



सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2010-2011



सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2010-2011

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
विनियोग लेखे का सारांश	2-12
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	13-15
विनियोग लेखे-	
1. कृषि विभाग	16-29
2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	30-42
3. भवन निर्माण विभाग	43-51
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	52-54
5. राज्यपाल सचिवालय	55
6. निर्वाचन	56-58
7. निगरानी	59
8. नागरिक विमानन विभाग	60
9. सहकारिता विभाग	61-65
10. ऊर्जा विभाग	66-74
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	75-76
12. वित्त विभाग	77-81
13. ब्याज संदाय	82-85
14. ऋण की वापसी अदायगी	86-89
15. पेंशन	90-92
16. राष्ट्रीय बचत	93-94
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	95-97
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	98-104
19. वन एवं पर्यावरण विभाग	105-114
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	115-133
21. उच्च शिक्षा विभाग	134-136
22. गृह विभाग	137-143
23. उद्योग विभाग	144-149
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	150-155
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	156-158
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	159-170

27. विधि विभाग	171-173
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	174
29. खान एवं भूतत्व विभाग	175-177
30. अल्प संख्यक कल्याण विभाग	178-180
31. संसदीय कार्य विभाग	181
32. विधान मंडल	182-184
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	185-186
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	187
35. योजना एवं विकास विभाग	188-191
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	192-196
37. राजभाषा विभाग	197
38. निबंधन विभाग	198
39. आपदा प्रबंधन विभाग	199-204
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	205-209
41. पथ निर्माण विभाग	210-217
42. ग्रामीण विकास विभाग	218-234
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	235-245
44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	246-258
45. ईख विभाग	259
46. पर्यटन विभाग	260-266
47. परिवहन विभाग	267-270
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	271-280
49. जल संसाधन विभाग	281-292
50. लघु सिंचाई विभाग	293-299
51. कल्याण विभाग	300-321
52. खेलकूद, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	322-331
परिशिष्ट	332-333

प्रस्तावना

वर्ष 2010-11 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

राज्य में राष्ट्रपति शासन रहने के कारण संसद के द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुदान पर मत दिया गया। अनुदान का उपशीर्षवार विस्तृत विवरण लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विनियोग लेखे में दर्शाये गये प्रथम अनुपूरक अनुदान का उपशीर्षवार व्यौरा वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया। यद्यपि मूल अनुदान, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुदान पर राज्य विधानमंडल द्वारा मत दिया गया।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
1. कृषि विभाग दत्तमत्त	4,66,22,60	2,70,00	2,85,01,79	1,50,00
2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग दत्तमत्त	2,11,15,01	10,20,00	1,65,03,67	7,18,80
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत्त	72,64,81	75,70,00	68,12,61	49,29,42
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग दत्तमत्त	20,65,90	13,32,68
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	5,88,78	5,12,04
6. निर्वाचन दत्तमत्त	36,79,28	21,72,80
7. निगरानी दत्तमत्त	10,62,74	10,05,81
8. नागर विमानन विभाग दत्तमत्त	11,38,71	11,24,22
9. सहकारिता विभाग दत्तमत्त	2,11,51,30	8,60,00	1,58,22,35	8,30,00
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत्त	8,92,93,98	4,08,00,00	5,46,89,37	2,75,43,38
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत्त	14,52,08	13,59,13

सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

1,81,20,81	1,20,00
46,11,34	3,01,20
4,52,20	26,40,58
7,33,22
76,74
15,06,48
56,93
14,49
53,28,95	30,00
3,46,04,61	1,32,56,62
92,95

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
12. वित्त विभाग दत्तमत्त	1,38,07,14	12,70,00	1,32,49,26	11,63,20
13. ब्याज संदाय प्रभारित	21,60,19,67	22,27,54,26
14. ऋण की वापसी अदायगी प्रभारित	15,44,07,81	12,99,42,68
15. पेंशन दत्तमत्त	18,28,14,60	20,75,09,36
प्रभारित	2,00,00	6,00,36
16. राष्ट्रीय बचत दत्तमत्त	2,44,18	2,08,53
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग दत्तमत्त	49,30,67	41,02,81
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दत्तमत्त	6,62,20,62	5,77,93,21
19. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत्त	2,91,03,78	9,76,00	2,22,68,32	9,75,00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दत्तमत्त	8,42,66,78	2,29,29,37	6,64,25,97	1,42,68,14
21. उच्च शिक्षा विभाग दत्तमत्त	3,41,67,00	3,31,53,55

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

5,57,88	1,06,80
....	67,34,59 (67,34,58,627)
....	2,44,65,13
....	2,46,94,76 (2,46,94,75,576)
....	4,00,36 (4,00,36,008)
35,65
8,27,86
84,27,41
68,35,46	1,00
1,78,40,81	86,61,23
10,13,45

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
22. गृह विभाग दत्तमत्त	18,59,96,86	1,81,01,32	17,76,67,01	79,26,92
23. उद्योग विभाग दत्तमत्त	1,76,73,10	1,02,00	1,44,83,84	1,00,00
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत्त	34,69,92	26,41,17
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दत्तमत्त	3,48,29	1,31,41
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग दत्तमत्त	7,83,56,70	6,35,12,35
27. विधि विभाग दत्तमत्त	2,03,45,00	1,74,51,01
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय प्रभारित	36,77,08	33,85,36
29. खान एवं भूतत्व विभाग दत्तमत्त	24,23,86	10,00	18,55,30	10,00
30. अल्प संख्यक कल्याण विभाग दत्तमत्त	1,11,36	23,13,22	87,33	21,53,09
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत्त	14,70	7,60
32. विधान मंडल दत्तमत्त	40,22,14	36,04,67
प्रभारित	18,00	28,40

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

83,29,85	1,01,74,40
31,89,26	2,00
8,28,75
2,16,88
1,48,44,35
28,93,99
2,91,72
5,68,56
24,03	1,60,13
7,10
4,17,47
....	10,40
		(10,39,547)	

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग दत्तमत्त	17,02,69	...	13,22,37	...
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	4,25,31	...	2,90,96	...
35. योजना एवं विकास विभाग दत्तमत्त	30,16,52	16,15,65
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत्त	1,76,81,52	3,45,06,80	1,74,07,84	2,67,24,85
37. राजभाषा विभाग दत्तमत्त	8,79,79	8,72,88
38. निबंधन विभाग दत्तमत्त	16,28,75	15,39,35
39. आपदा प्रबन्धन विभाग दत्तमत्त	5,70,50,76	5,28,41,31
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत्त	2,43,81,46	1	2,15,86,98
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत्त	1,88,90,86	8,17,44,53	1,68,30,58	6,70,74,63
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत्त	19,47,17,87	8,32,00,00	17,90,62,69	5,95,38,38
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत्त	1,26,28,77	67,30,00	74,46,27	39,92,20

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

3,80,32
1,34,35
14,00,87
2,73,68	77,81,95
6,91
89,40
42,09,45
27,94,48	1
20,60,28	1,46,69,90
1,56,55,18	2,36,61,62
51,82,50	27,37,80

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग दत्तमत्त	36,48,44,19	8,61,00	33,37,00,24	2,99,31
45. ईख विभाग
46. पर्यटन विभाग दत्तमत्त	8,01,49	19,55,00	3,98,28	5,04,95
47. परिवहन विभाग दत्तमत्त	82,81,20	3,04,16,00	29,42,17	3,01,18,91
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत्त	3,12,97,92	6,93,97,04	2,56,81,43	36,58,45
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत्त	2,39,27,88	3,82,00,00	2,08,29,43	2,28,29,13
50. लघु सिंचाई विभाग दत्तमत्त	70,49,67	1,22,20,00	60,91,01	92,39,75
51. कल्याण विभाग दत्तमत्त	12,88,57,05	2,75,51,47	10,79,73,59	1,65,99,52
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग दत्तमत्त	79,95,83	43,15,00	67,12,57	11,28,40
कुल दत्तमत्त :-	1,82,87,97,33	48,73,18,76	1,62,03,31,77	30,24,76,43
कुल प्रभारित :-	22,09,28,84	15,44,07,81	22,75,71,38	12,99,42,68
कुल जोड़ :-	2,04,97,26,17	64,17,26,57	1,84,79,03,15	43,24,19,11

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
3,11,43,95	5,61,69
...
4,03,21	14,50,05
53,39,03	2,97,09
56,16,49	6,57,38,59
30,98,45	1,53,70,87
9,58,66	29,80,25
2,08,83,46	1,09,51,95
12,83,26	31,86,60
23,31,60,32	18,48,42,33	2,46,94,76	...
5,02,81	2,44,65,13	71,45,35	...
23,36,63,13	20,93,07,46	3,18,40,11	...

विनियोग लेखे का सारांश -क्रमांत

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

- 13 ब्याज संदाय
- 15 पेंशन
- 32 विधान मंडल

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

- 15 पेंशन

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2010-11 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व (हजार रुपयों में)	पूँजी	राजस्व (हजार रुपयों में)	पूँजी
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,62,03,31,77	30,24,76,43	22,75,71,38	12,99,42,68
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	5,34,29,63	52,89,50
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दिखाया गया है।	1,56,69,02,14	29,71,86,93	22,75,71,38	12,99,42,68

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।


झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:
नई दिल्ली



(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2402 मृदा तथा जल संरक्षण			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	4,60,58,88}	4,66,22,60	2,85,01,79	-1,81,20,81
अनुपूरक	5,63,72}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 75,88,48

पूँजी:

मूल	2,70,00}	2,70,00	1,50,00	-1,20,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 1,20,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 1,81,20.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 1,79.94 लाख) और मार्च 2011 (₹ 3,83.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,63.72 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 75,88.48 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,81,20.81 लाख) से ₹ 1,05,32.33 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म, 107 - वनस्पति संरक्षण, 09- पौधा संरक्षण योजना (गैर-योजना), 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 01- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर योजना), 20- मैक्रो मैनेजमेंट की योजना (के०प्रा० यो०), 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 44 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) और 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 06-बंजर भूमि का विकास (योजना) के अन्तर्गत ₹ 52.33 लाख, ₹ 73.35 लाख, ₹ 59.85 लाख, ₹ 4,01.14 लाख एवं ₹ 1,18.95 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 6,98.49 लाख, ₹ 22,87.51 लाख, ₹ 6,30.00 लाख, ₹ 40,60.00 लाख एवं ₹ 15,14.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,47.28}			
	अनुपूरक 0.20}	1,19.11	1,19.41	+0.30
	पुनर्वि० -28.37}			
	₹ 28.07 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
2.	102 खाद्यान्न फसलें 04 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम-कृषकों को धान एवं अन्य बीजों की उपलब्धता (योजना)			
	मूल 7,80.00}	6,51.56	5,42.78	-1,08.78
	पुनर्वि० -1,28.44}			
3.	103 बीज 01 बीज संवर्द्धन फार्म (गैर-योजना)			
	मूल 2,98.54}			
	अनुपूरक 48.11}	3,06.48	3,04.48	-2.00
	पुनर्वि० -40.17}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 02 प्रमंडलीय तथा अनुमंडलीय स्तर पर कृषि प्रशासन (योजना)			
	मूल 60.00}	49.36	21.94	-27.42
	पुनर्वि० -10.64}			
5.	08 क्षेत्र परीक्षात्मक सेवा की योजना (गैर- योजना)			
	मूल 94.35}	1,16.00	99.86	-16.14
	अनुपूरक 48.61}			
	पुनर्वि० -26.96}			
6.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 70.00}	62.44	19.09	-43.35
	पुनर्वि० -7.56}			
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 23,46.00}	23,46.00	1,40.17	-22,05.83
8.	29 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,60.00}	3,60.00	28.38	-3,31.62

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 22,05.83 लाख एवं ₹ 3,31.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	29 माइक्रोइरीगेशन की योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	89.89	49.96	-39.93
	पुनर्वि० -0.11}			
10.	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें 01 उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 2,70.78}	2,44.22	2,27.89	-16.33
	पुनर्वि० -26.56}			
11.	05 सब्जी विकास योजना (रोगमुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (गैर-योजना)			
	मूल 1,70.95}	1,53.83	1,50.20	-3.63
	पुनर्वि० -17.12}			
12.	47 नई तकनीक की प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 46.00}	24.32	23.77	-0.55
	पुनर्वि० -21.68}			
13.	789 अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 6,00.00}	3,12.43	2,74.94	-37.49
	पुनर्वि० -2,87.57}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	44 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,00.00}	5,19.90	4,89.53	-30.37
	पुनर्वि० -6,80.10}			
उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
15.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	22.34	24.09	+1.75
	पुनर्वि० -3,77.66}			
₹ 3,75.91 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 16,20.00}	11,32.39	8,64.54	-2,67.85
	पुनर्वि० -4,87.61}			
₹ 7,55.46 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
17.	12 तेलहन विकास कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 85.00}	0.65	0.65	...
	पुनर्वि० -84.35}			
₹ 84.35 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	18 के०भी०के० सुदृढीकरण एवं कृषि सूचना तंत्र (योजना)			
	मूल 8,00.00}	6,00.00	6,00.00	...
	पुनर्वि० -2,00.00}			
	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
19.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,20.00}	7,20.00	5,85.09	-1,34.91
	₹ 1,34.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
20.	20 मैक्रो-मैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	44.34	45.36	+1.02
	पुनर्वि० -35.66}			
	₹ 34.64 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
21.	25 प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण एवं प्रचार की योजना (योजना)			
	मूल 2,65.00}	2,23.38	1,99.66	-23.72
	पुनर्वि० -41.62}			
	₹ 65.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
22.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 27,54.00}	27,54.00	25.00	-27,29.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	29 माइक्रोइरीगेशन सिस्टम योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,40.00}	4,40.00	15.00	-4,25.00
24.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	68.00	-42.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 27,29.00 लाख, ₹ 4,25.00 लाख एवं ₹ 42.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
25.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)			
	मूल 1,10.00}	3.65	3.65	...
	पुनर्वि० -1,06.35}			
₹ 1,06.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
26.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 11,00.00}	1,22.98	1,20.01	-2.97
	पुनर्वि० -9,77.02}			
₹ 9,79.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
27.	49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 11,00.00}	11,00.00	5,61.83	-5,38.17

₹ 5,38.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	800 09 अन्य व्यय विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास (योजना)			
	मूल 4,60.00}	1,17.47	1,17.47
	पुनर्वि० -3,42.53}			
29.	10 के०भी०के० का सुदृढीकरण एवं कृषि सूचना तंत्र (योजना)			
	मूल 7,00.00}	5,00.00	5,00.00
	पुनर्वि० -2,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,42.53 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
30.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	55.64	49.19	-6.45
	पुनर्वि० -5,44.36}			
₹ 5,50.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
31.	49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	4,32.62	-4,67.38
₹ 4,67.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
32.	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 101 मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण 01 सर्वे स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,99.50}	1,64.43	1,64.41	-0.02
	पुनर्वि० -35.07}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
33.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
	01 फसल कृषि-कर्म			
	277 शिक्षा			
	02 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (गैर योजना)			
	मूल 73.16}	93.61	93.61
अनुपूरक 53.72}				
पुनर्वि० -33.27}				

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 35.07 लाख एवं ₹ 33.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

34.	80 सामान्य			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	04 बिरसा कृषि विश्वद्यालय को अनुदान (योजना)			
	मूल 35,00.00}	22,94.71	22,94.71
	पुनर्वि० -12,05.29}			

₹ 12,05.29 लाख की प्रत्याशित बचत गैर-शिक्षण संवर्ग का पुनरीक्षित वेतन की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।

35.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
	01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
	102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं			
	03 एग्रीकल्चर कन्सलटेन्सी एवं इम्प्ल्यूशन सर्विस (योजना)			
	मूल 45.00}	6.59	6.59
पुनर्वि० -38.41}				

₹ 38.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
36.	04 बीज गुणवत्ता नियंत्रण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 41.83}	47.12	44.88	-2.24
	अनुपूरक 59.84}			
	पुनर्वि० -54.55}			

₹ 56.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

37.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 एग्रीकल्चर कंसलटेंसी एवं इभेल्यूशन सर्विस (योजना)			
	मूल 55.00}	8.35	8.35
	पुनर्वि० -46.65}			

₹ 46.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

38.	06 राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	17.04	-32.96

₹ 32.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 102 खाद्यान्न फसलें 06 मिलेट खेती विकास (योजना)			
	मूल 26.00}
	पुनर्वि० -26.00}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	104 कृषि फार्म 03 बीज उत्पादन (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
3.	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 05 एक्सटेंशन रिफार्मस (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,45.00}	9,45.00	-9,45.00
4.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 4,14.00}	1,40.17	-1,40.17
	पुनर्वि० -2,73.83}			
5.	43 पॉइलट बेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	-90.00
6.	114 तिलहन विकास 04 तेलहन विकास (योजना)			
	मूल 75.00}
	पुनर्वि० -75.00}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	789 03	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मिलेट खेती विकास (योजना)		
	मूल	20.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		
8.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना बीज उत्पादन (योजना)		
	मूल	70.00}
	पुनर्वि०	-70.00}		
9.	16	मिलेट खेती विकास (योजना)		
	मूल	54.00}
	पुनर्वि०	-54.00}		
10.	32	एक्सटेंशन रिफार्मस (के०प्रा०यो०)		
	मूल	11,25.00}	11,25.00	-11,25.00
11.	51	राष्ट्रीय जैविक खेती विकास (के०यो०यो०)		
	मूल	1,10.00}	1,10.00	-1,10.00
12.	800 51	अन्य व्यय राष्ट्रीय जैविक खेती विकास (योजना)		
	मूल	90.00}	90.00	-90.00

उपर्युक्त बारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
13.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा				
	80 सामान्य				
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
	10 दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)				
	मूल 1,00.00}	
	पुनर्वि० -1,00.00}				
प्रस्ताव की संस्वीकृति नहीं मिलने के फलस्वरूप निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।					
14.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम				
	01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण				
	102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ				
	01 गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना (योजना)				
	मूल 15.00}	
	पुनर्वि० -15.00}				
15.	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	106 भार और माप का विनियमन				
	02 माप एवं तौल का मानकीकरण (के०यो०यो०)				
		मूल 1,30.00}	1,30.00	-1,30.00
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
	02 माप एवं तौल का मानकीकरण (के०यो०यो०)				
		मूल 1,70.00}	1,70.00	-1,70.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹15.00 लाख, ₹ 1,30.00 लाख एवं ₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

पूँजी

(v) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
05 दुमका में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (योजना)			
मूल 1,20.00}
पुनर्वि० -1,20.00}			

₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 2 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2403	पशुपालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली-पालन		
3451	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व:

मूल	2,02,37,39}	2,11,15,01	1,65,03,67	-46,11,34
अनुपूरक	8,77,62}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(18 फरवरी 2011	:	5,00,00		27,98,47
31 मार्च 2011	:	22,98,47)		

पूंजी:

मूल	10,20,00}	10,20,00	7,18,80	-3,01,20
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2011)				2,75,52
-------------------	--	--	--	---------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 46,11.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 1,41.23 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 7,36.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,77.62 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 27,98.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 46,11.34 लाख) से ₹ 18,12.87 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2403- पशुपालन, 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 03- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं के अन्तर्गत ₹ 1,11.48 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 33,37.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2403 पशुपालन 001 निदेशन और प्रशासन 01 अधीक्षण-जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 4,50.48}	5,04.85	4,67.65	-37.20
	अनुपूरक 1,03.19}			
	पुनर्वि० -48.82}			
2.	03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 2,11.81}	2,11.81	1,04.35	-1,07.46
3.	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 06 टीका इकाइयां (के०प्रा०यो०)			
	मूल 28.50}	28.50	7.68	-20.82
4.	08 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,10.00}	2,10.00	1,09.88	-1,00.12

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	24 अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (योजना)			
	मूल 3,54.50}	3,54.50	2,68.84	-85.66
6.	102 पशु तथा भैंस विकास 03 फ़ोजन सीमेन बैंक (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	32.45	-42.55
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	06 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित सांदों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्डों में वितरण सहित) (गैर योजना)			
	मूल 11,61.15}	10,16.40	10,08.38	-8.02
	अनुपूरक 38.66}			
	पुनर्वि० -1,83.41}			
₹ 1,83.41 लाख की प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 8.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
8.	103 कुक्कुट विकास 05 कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 1,40.00}	1,40.00	86.04	-53.96
9	29 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कुक्कुट विकास) (योजना)			
	मूल 81.00}	81.00	26.34	-54.66

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 53.96 लाख एवं ₹ 54.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	104 भेड़ तथा ऊन विकास 03 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (ऊन कर्त्तन तथा वर्गीकरण केन्द्र की योजना) (गैर-योजना)			
	मूल 89.61 } अनुपूरक 38.00 } पुनर्वि० -20.03 }	1,07.58	1,07.36	-0.22
	₹ 20.03 लाख की प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ए०सी०पी० का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई थी।			
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 2,65.15 }	2,65.15	2,26.21	-38.94
12.	05 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 94.00 }	94.00	70.36	-23.64
13.	19 पशु स्वास्थ्य एवं पशु उत्पादन संस्थान का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 88.00 }	88.00	37.57	-50.43
14.	26 प्रसार एवं प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 61.60 }	61.60	29.96	-31.64

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	31 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सुकर विकास) (योजना)			
	मूल 1,81.14}	1,81.14	1,47.19	-33.95
16.	35 गो सेवा आयोग-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	3,25.00	-2,75.00
उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
17.	2404 डेरी विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार (योजना)			
	मूल 2,65.00}	1,88.90	1,88.90	...
	पुनर्वि० -76.10}			
₹ 76.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 49.10 लाख की बचत विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 27.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
18.	102 डेरी विकास परियोजनाएं 02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	मूल 9,06.00}	8,14.68	8,14.00	-0.68
	पुनर्वि० -91.32}			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	04 ग्रामीण डेरी (योजना)			
	मूल 75.00}	6.17	6.17	...
	पुनर्वि० -68.83}			

₹ 68.83 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 50.00 लाख की बचत समय पर कार्यकारी एजेंसी का चयन नहीं किये जाने के फलस्वरूप योजना का क्रिन्यान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 18.83 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

20.	05 टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,71.00}	1,53.44	1,53.44	...
	पुनर्वि० -1,17.56}			

₹ 1,17.56 लाख की प्रत्याशित बचत कोषगार से विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

21.	09 दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,21.00}	2,04.65	2,00.16	-4.49
	पुनर्वि० -1,16.35}			

₹ 1,16.35 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई थी।

22.	31 चैफ कटर योजना (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 2,55.00}	2,55.00	1,43.44	-1,11.56

₹ 1,11.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,84.00}	1,53.43	1,53.43	...
	पुनर्वि० -1,30.57}			
<p>₹ 1,30.57 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने (₹ 75.57 लाख) और निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 55.00 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
24.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 4,97.00}	3,06.87	3,06.87	...
	पुनर्वि० -1,90.13}			
<p>₹ 1,90.13 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्र पारित नहीं किये जाने (₹ 1,75.13 लाख) एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 15.00 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
25.	09 दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 4,35.00}	1,38.61	1,38.61	...
	पुनर्वि० -2,96.39}			
<p>₹ 2,96.39 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
26.	2405 मछली-पालन 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,95.00}	2,30.30	2,32.64	+2.34
	पुनर्वि० -64.70}			

₹ 64.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक संवर्ग समिति द्वारा नये वाहनों के क्रय की संस्वीकृति नहीं दिये जाने तथा वर्षा कम होने के फलस्वरूप जीरा का उत्पादन कम होने के कारण हुई थी। ₹ 2.34 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (गैर योजना)			
	मूल 3,55.78}	2,14.86	2,11.51	-3.35
	पुनर्वि० -1,40.92}			
28.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 95.00}	74.23	69.03	-5.20
	पुनर्वि० -20.77}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,44.27 लाख तथा ₹ 25.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

29.	43 जलाशय मत्स्य का विकास (योजना)			
	मूल 1,00.00}	53.44	48.64	-4.80
	पुनर्वि० -46.56}			

₹ 46.56 लाख की प्रत्याशित बचत वर्षा अपर्याप्त होने के कारण हुई थी। ₹ 4.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

30.	789 अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना			
	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 75.00}	46.91	44.59	-2.32
	पुनर्वि० -28.09}			

₹ 28.09 लाख की प्रत्याशित बचत नये वाहनों के क्रय हेतु निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
31.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 जलाशय मत्स्य का विकास (योजना)			
	मूल 1,25.00}	88.58	86.12	-2.46
	पुनर्वि० -36.42}			
कारण	₹ 36.42 लाख की प्रत्याशित बचत वर्षा कम होने के फलस्वरूप मछली "अंगुलिका" का संग्रह कम होने के हुई थी।			
32.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 3,35.00}	2,64.20	2,64.18	-0.02
	पुनर्वि० -70.80}			
	₹ 70.80 लाख की प्रत्याशित बचत नई गाड़ी का क्रय नहीं होने एवं वर्षा कम होने के फलस्वरूप जीरा का उत्पादन नहीं होने के कारण हुई थी।			
33.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (मत्स्य प्रक्षेत्र एवं तालाब का सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,06.48	1,03.68	-2.80
	पुनर्वि० -43.52}			
	₹ 43.52 लाख की प्रत्याशित बचत योजना हेतु कम निधि की संस्वीकृति मिलने के कारण हुई थी।			
34.	3451 सचिवालय-अर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 08 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (योजना)			
	मूल 63.71}	31.73	33.09	+1.36
	पुनर्वि० -31.98}			
	₹ 31.98 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम रहने के कारण हुई थी। ₹ 1.36 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
35.	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	01	जनगणना			
	001	निदेशन और प्रशासन			
	03	पशु गणना (के०प्रा०यो०)			
	मूल	56.00}	29.00	25.00	-4.00
	पुनर्वि०	-27.00}			

₹ 27.00 लाख की प्रत्याशित बचत जनगणना एवं प्रकाशन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2403	पशुपालन			
	101	पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
	02	पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (योजना)			
	मूल	70.00}	70.00	-70.00
2.	09	जिला रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना (योजना)			
	मूल	20.00}	20.00	-20.00
3.	102	पशु तथा भैंस विकास			
	32	परामर्शी सेवाएँ (योजना)			
	मूल	25.00}	25.00	-25.00

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	106 08 अन्य पशुधन विकास गौ सेवा आयोग को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 4,25.00}	4,25.00	-4,25.00
5.	109 33 विस्तार तथा प्रशिक्षण पारा भेट प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 40,00}	40.00	-40.00
उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
6.	2404 डेरी विकास 102 डेरी विकास परियोजनाएं 28 ग्रास लैण्ड डेवलपमेंट (के०यो०यो०)			
	मूल 93.50}
	पुनर्वि० -93.50}			
7.	29 फॉडर ब्लॉक मेकिंग युनिट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21.25}
	पुनर्वि० -21.25}			
8.	29 फॉडर ब्लॉक मेकिंग युनिट (योजना)			
	मूल 63.75}
	पुनर्वि० -63.75}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 93.50 लाख, ₹ 21.25 लाख एवं ₹ 63.75 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
	07	खटाल पुनर्वास योजना (योजना)		
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		

₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत राँची में जमीन की अनुपलब्धता के फलस्वरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी।

10.	2405	मछली-पालन		
	101	अन्यदेशीय मछली-पालन		
	09	मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार (के०प्रा०यो०)		
	मूल	20.00}
	पुनर्वि०	-20.00}		

भारत सरकार से समय पर निधि विमुक्त नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

11.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
	47	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (झाँसकोफिस का गठन) (योजना)		
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		

योजना की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी

(v) अम्यर्पित प्रावधान (₹ 2,75.52 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,01.20 लाख) से ₹ 25.68 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101 अन्तर्देशीय मीन उद्योग 39 मछुआरों का आवास, चापाकल, सामुहिक बीमा (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,53.00}	1,20.88	1,19.90	-0.98
	पुनर्वि० -1,32.12}			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (योजना)			
	मूल 1,03.00}	1,00.00	90.60	-9.40
	पुनर्वि० -3.00}			
₹ 3.00 लाख की प्रत्याशित बचत पी०एच०ई० की दर अधिक रहने के कारण हुई थी। ₹ 9.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	03 मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,03.00}	23.10	23.10
	पुनर्वि० -79.90}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,54.00}	99.00	95.40	-3.60
	पुनर्वि० -55.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 79.90 लाख और ₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2216	आवास		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व:

मूल	59,35,92}	72,64,81	68,12,61	-4,52,20
अनुपूरक	13,28,89}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 4,04,80

पूंजी:

मूल	75,70,00}	75,70,00	49,29,42	-26,40,58
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 25,65,23
(16 मार्च 2011 : 14,87,10
31 मार्च 2011 : 10,78,13)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 4,52.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 1.82 लाख), जनवरी 2011 (₹ 10,10.00 लाख) और मार्च 2011(₹ 3,17.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,28.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,04.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,52.20 लाख) से ₹ 47.40 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन, 04 भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,72.30 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 22,26.84 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य	3,04.03	3,01.46	-2.57
	80 सामान्य			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	03 भवन निर्माण-अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 3,07.17}			
	अनुपूरक 47.20}			
	पुनर्वि० -50.34}			
2.	05 निरूपण (गैर-योजना)	1,24.79	1,24.69	-0.10
	मूल 1,66.50}			
	पुनर्वि० -41.71}			
3.	051 निर्माण	17.13	16.63	-0.50
	03 राजकीय राजधानी संबंधी रिजर्व (स्थापना दिवस समारोह सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 32.24}			
	पुनर्वि० -15.11}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 52.91 लाख, ₹ 41.81 लाख एवं ₹ 15.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2059 लोक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 053 रखरखाव तथा मरम्मत 06 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (गैर-योजना)			
मूल 30.00}
पुनर्वि० -30.00}			

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूंजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 25,65.23 लाख), अंतिम बचत (₹ 26,40.58 लाख) से ₹ 75.35 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01	कार्यालय भवन			
051	निर्माण			
1.	40 आयुक्त-सह-आरक्षी उप-महानिरीक्षक कार्यालय डाल्टेनगंज/अनुमंडल, कार्यालय, महुआटाँड़ कार्यालय, अभियंत्रण भवन, रामगढ़, बोकारो, लातेहार/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/निबंधन भवन इत्यादि (योजना)			
	मूल 1,85.00}	1,51.40	1,51.14	-0.26
	पुनर्वि० -33.60}			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	43	रामगढ़ में न्यायिक पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ए.बी.सी.डी टाईप आवास/22 कोर्ट रामगढ़/ जिला मुख्यालयों में न्याय सेवा सदन/विभिन्न जिला मुख्यालयों में ए.बी.सी.डी टाईप आवास आदि (योजना)			
	मूल	2,60.00}	2,00.00	2,00.00	...
	पुनर्वि०	-60.00}			
3.	44	रामगढ़ में समाहरणालय/विकास भवन, बोकारो/रंका में अनुमंडल/ कार्यपालक अभियंता कार्यालय, हजारीबाग एवं अन्य कार्यालय भवन (योजना)			
	मूल	8,95.00}	4,72.17	4,72.17	...
	पुनर्वि०	-4,22.83}			
4.	45	डी०जे०एस०डी०जे०एम० एवं पी०ओ० आवास, रामगढ़ 15 कोर्ट, तेनुघाट/22 कोर्ट, चतरा/16पी०ओ० आवास, हजारीबाग/गोड्डा एवं अन्य (योजना)			
	मूल	6,87.00}	5,43.85	5,38.87	-4.98
	पुनर्वि०	-1,43.15}			
5.	46	विभिन्न स्थानों में परिसदन भवन/8 कमरा/30 कमरा रेस्ट हाउस/अन्य (योजना)			
	मूल	30.00}	14.96	14.96	...
	पुनर्वि०	-15.04}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 33.60 लाख, ₹ 60.00 लाख, ₹ 4,22.83 लाख, ₹ 1,43.15 लाख एवं ₹ 15.04 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्भव्य में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। क्र० सं० 4 के अन्तर्गत ₹ 4.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 जिला मुख्यालय में विभिन्न कोर्ट भवन/आवास का निर्माण इत्यादि (योजना)			
	मूल 7,55.00}	5,28.52	5,28.52	...
	पुनर्वि० -2,26.48}			
₹ 2,26.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	07 जिला गेस्ट हाउस अन्य परिसदन (योजना)			
	मूल 1,74.00}	84.95	74.18	-10.77
	पुनर्वि० -89.05}			
8.	40 झारखण्ड विधान सभा में सिटिंग ऐरेजमेंट/अनुमंडल कार्यालय, सिमडेगा/ राजमहल/खूँटी/सरायकेला में कार्यपालक अभियंता/दुमका एवं पाकुड़ में समाहरणालय भवन का निर्माण आदि (योजना)			
	मूल 4,17.00}	2,07.33	2,06.86	-0.47
	पुनर्वि० -2,09.67}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 89.05 लाख एवं ₹ 2,09.67 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। क्र० सं० 7 के अन्तर्गत ₹ 10.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों से सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
9.	41 सरायकेला में परिसदन भवन का निर्माण एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 10.00}	50.00	10.00	-40.00
	पुनर्वि० 40.00}			

कार्यापालक अभियंता द्वारा निधि की माँग के कारण ₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 40.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों का सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	42 राँची में माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों हेतु 8 आवास/ पाकुड़ में 8 पी०ओ० आवास/ पोरहट, चक्रधरपुर में न्यायिक भवन/दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्माण एवं जिला मुख्यालयों में ए,बी,सी,डी आवास तथा कोर्ट भवन इत्यादि (योजना)			
	मूल 4,15.00}	1,60.76	1,61.95	+1.19
	पुनर्वि० -2,54.24}			

₹ 2,54.24 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। ₹ 1.19 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

11.	47 समाहरणालय राँची/ खूँटी/ अनुमंडल कार्यालय, जगरनाथपुर/ आयुक्त कार्यालय, चाईबासा/ विधान सभा में निर्माण/ कार्यपालक अभियंता भवन, सिमडेगा एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 22,35.00}	16,42.72	16,25.58	-17.14
	पुनर्वि० -5,92.28}			

कार्यपालक अभियंता द्वारा निधि की माँग के कारण ₹ 12.35 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 5,79.93 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,82.62 लाख की बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। ₹ 3,97.31 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 17.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01 सरकारी रिहायशी भवन 700 अन्य आवास 07 चतरा में डी०डी०सी०/ अपर समहर्ता आवास/ गिरिडीह/ लातेहार में डी०डी०सी० आवास/ रंका एवं महुआँटाड़ में एस०डी०ओ०/ डी०एस०पी० आवास इत्यादि (योजना)	91.98	89.33	-2.65
	मूल 1,10.00} पुनर्वि० -18.02}			

₹ 18.02 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी।

(vii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण 05 कोर्ट भवन/अवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट भवन से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (के०प्रा०यो०)	30.00	...	-30.00
	मूल 30.00}	30.00		

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट भवन से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादी (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	05 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक निर्माण एवं कोर्ट भवन से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

₹ 40.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(viii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में अम्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सरकारी रिहायशी भवन			
	700 अन्य आवास			
	09 आयुक्त आवास, रामगढ़ एवं अन्य चालू आवासीय भवन (योजना)			
	मूल 1,76.00}	1,47.13	1,55.45	+8.32
	पुनर्वि० -28.87}			

₹ 28.87 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। ₹ 8.32 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 राजधानी, राँची में माननीय मंत्री आवास, एम०एल०ए० आवास, खूँटी/ सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी आवास, राजमहल/सिमडेगा का निर्माण/ राजधानी/उप-राजधानी/प्रमण्डल अनुमंडल/मुख्यालय में आवास (योजना)			
	मूल 7,63.00}	3,31.49	3,86.87	+55.38
	पुनर्वि० -4,31.51}			

₹ 3,91.51 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती क्रमशः योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण एवं कार्यापालक अभियंता द्वारा निधि की माँग किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 55.38 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2011)।

3.	08 गुमला/जमशेदपुर में ए,बी,सी,डी प्रकार आवास/बहुमंजिला/डुप्लेक्स/ मुख्यमंत्री आवास, दुमका का निर्माण, मुख्यमंत्री आवास में हैलिपैड का निर्माण राँची में ए,बी,सी,डी आवास का निर्माण आदि। (योजना)			
	मूल 2,54.00}	2,09.48	2,20.91	+11.43
	पुनर्वि० -44.52}			

₹ 44.52 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई थी। ₹ 11.43 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2013 मंत्रिपरिषद			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			

राजस्व:

मूल	17,13,87}	20,65,90	13,32,68	-7,33,22
अनुपूरक	3,52,03}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 5,98,88

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 7,33.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 1,79.07 लाख), जनवरी 2011 (₹ 87.18 लाख) एवं मार्च 2011(₹ 85.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,52.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक समिति किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,98.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,33.22 लाख) से ₹ 1,34.34 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2013 मंत्रिपरिषद			
	101 मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन			
1.	01 मंत्रिगण (गैर-योजना)			
	मूल	4,55.80}	2,57.53	2,56.00
	अनुपूरक	28.62}		-1.53
	पुनर्वि०	-2,26.89}		

₹ 2,26.89 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्रिपरिषद के गठन में विलम्ब के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 01 मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय) (गैर-योजना)			
	मूल 2,20.23}	1,49.88	1,49.85	-0.03
	अनुपूरक 13.74}			
	पुनर्वि० -84.09}			
	₹ 84.09 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण हुई थी।			
3.	24 मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)			
	मूल 2,26.99}	3,24.58	2,56.95	-67.63
	अनुपूरक 97.59}			
4.	25 मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)			
	मूल 1,15.31}	1,28.31	59.11	-69.20
	अनुपूरक 13.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 67.63 लाख और ₹ 69.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 01 राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.05}	98.08	98.08	...
	पुनर्वि० -1,01.97}			
<p>₹ 1,01.97 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों तथा राज्य अतिथियों की संख्या कम होने के कारण हुई थी।</p>				
6.	02 झारखण्ड भवन-स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,86.28}	2,97.45	2,97.49	+0.04
	अनुपूरक 1,79.07}			
	पुनर्वि० -67.90}			
7.	800 अन्य व्यय 04 पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को देय सुविधा (गैर-योजना)			
	मूल 29.39}	39.08	36.04	-3.04
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० -10.31}			
8.	11 झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	20.00	20.03	+0.03
	पुनर्वि० -80.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 67.90 लाख, ₹ 10.31 लाख एवं ₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।

**विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
राजस्व:				
मूल	5,88,78}	5,88,78	5,12,04	-76,74
अनुपूरक	शून्य}			
	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)			75,12

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) शीर्ष 03-राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 090-सचिवालय, 01-सचिवालय स्थापना (गैर-योजना) एवं 103-पारिवारिक स्थापना, 01-राज्यपाल का घरेलू स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 20.20 लाख एवं ₹ 11.34 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 2,49.81 लाख एवं ₹ 1,41.02 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
03	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
103	पारिवारिक स्थापना			
05	बाग एवं उद्यान			
मूल	83.04}	55.78	50.23	-5.55
पुनर्वि०	-27.26}			

₹ 32.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2015	निर्वाचन			
राजस्व:				
मूल	31,29,28}	36,79,28	21,72,80	-15,06,48
अनुपूरक	5,50,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				14,97,81

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 15,06.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,97.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,06.48 लाख) से ₹ 8.67 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	102 निर्वाचन अधिकारी 01 मुख्यालय और सामान्य स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल	6,22.24}	4,25.49	4,25.18
	पुनर्वि०	-1,96.75}		-0.31

अनुदान संख्या - 6 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	105 संसद का चुनाव कराने के लिए प्रभार			
	01 लोकसभा का आम निर्वाचन (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,25.54	1,26.48	+0.94
	पुनर्वि० -1,74.46}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,96.75 लाख एवं ₹ 1,74.46 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

3.	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिये प्रभार			
	01 राज्य विधान सभा का आम चुनाव (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	3,21.08	3,21.08	...
	पुनर्वि० -6,78.92}			

₹ 52.59 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एवं ₹ 6,26.33 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

4.	03 राज्य विधान सभा का उप-निर्वाचन (गैर-योजना)			
	मूल 0.02}	42.80	32.81	-9.99
	पुनर्वि० 42.78}			

₹ 52.59 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹ 9.81 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः खरसावा विधान सभा उप-चुनाव हेतु अपर्याप्त निधि एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	108 मतदाताओं का फोटो पहचान-पत्र जारी करना 01 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (गैर-योजना)			
	मूल 8,05.00}	10,16.10	10,15.63	-0.47
	अनुपूरक 5,50.00}			
	पुनर्वि० -3,38.90}			
	₹ 3,38.90 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
6.	02 मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 4,02.00}	2,50.47	2,51.63	+1.16
	पुनर्वि० -1,51.53}			

₹ 1,51.53 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1.16 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व:				
मूल	7,58,85}	10,62,74	10,05,81	-56,93
अनुपूरक	3,03,89}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 56.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 2,90.44 लाख) और मार्च 2011 (₹ 13.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,03.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	104 सतर्कता 02 मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,21.19}	1,51.08	1,35.28	-15.80
	अनुपूरक 29.89}			
2.	03 तकनीकी परीक्षक कोषांग (गैर-योजना)			
	मूल 1,18.24}	1,34.59	1,17.60	-16.99
	अनुपूरक 16.35}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 15.80 लाख एवं ₹ 16.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 8 - नागर विमानन विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3053	नागर विमानन			
राजस्व:				
मूल	11,30,53}	11,38,71	11,24,22	-14,49
अनुपूरक	8,18}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,49
(22 सितम्बर 2010 :	11,00			
31 मार्च 2011 :	3,49)			

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 14.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 8.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2425 सहकारिता			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	63,61,30}	2,11,51,30	1,58,22,35	-53,28,95
अनुपूरक	1,47,90,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 53,19,64

पूंजी :

मूल	8,60,00}	8,60,00	8,30,00	-30,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 30,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 53,28.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 1,33,80.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 14,10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,47,90.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 53,19.64 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,28.95 लाख) से ₹ 9.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2425 - सहकारिता, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 32- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को क्षतिपूर्ति (योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,32.91 लाख की बचत, जो कि ₹ 79,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 सहकारिता 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,17.95}	97.24	86.41	-10.83
	पुनर्वि० -20.71}			
₹ 20.71 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 35 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 6,30.00}	38.10	38.10	...
	अनुपूरक 3,30.00}			
	पुनर्वि० -9,21.90}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 04 कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 4,20.00}	25.40	25.40	...
	अनुपूरक 2,00.00}			
	पुनर्वि० -5,94.60}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,21.90 लाख एवं ₹ 5,94.60 लाख की प्रत्याशित बचत दावेदारों की संख्या कम रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सुदृढीकरण हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	19.58	19.58	...
	पुनर्वि० -30.42}			
5.	27 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अर्न्तगत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 10,50.00}	1,04.09	1,04.09	...
	अनुपूरक 5,30.00}			
	पुनर्वि० -14,75.91}			
6.	28 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा निधि को अनुदान (योजना)			
	मूल 2,50.00}	43,88.89	43,88.89	...
	अनुपूरक 55,80.00}			
	पुनर्वि० -14,41.11}			

₹ 30.42 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।

उपयुक्त दोनों मामलों में ₹ 14,75.91 लाख एवं ₹ 14,41.11 लाख की प्रत्याशित बचत दावेदारों की संख्या कम रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 सहकारिता 277 सहकारी शिक्षा 01 सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सुदृढीकरण हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00 } पुनर्वि० -30.00 }
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सुदृढीकरण हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00 } पुनर्वि० -20.00 }
3.	18 कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 } पुनर्वि० -1,00.00 }

उपयुक्त दोनों मामलों में कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख एवं 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

दावेदारों की संख्या कम रहने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

पूँजी :

(v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय 108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश 04 एन०सी०डी०सी० सम्मोषित आई०सी०डी०पी० के लिए हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 1,00.00}	90.00	90.00	...
	पुनर्वि० -10.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 एन०सी०डी०सी० सम्मोषित आई०सी०डी०पी० जिलों को हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,35.00	1,35.00	...
	पुनर्वि० -15.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10.00 लाख एवं ₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2059 लोक निर्माण-कार्य			
2801 बिजली			
2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	7,42,71,35}	8,92,93,98	5,46,89,37	-3,46,04,61
अनुपूरक	1,50,22,63}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,11,97,69
(8 मार्च 2011 : 1,50,00,00				
31मार्च 2011 : 1,61,97,69)				

पूंजी :

मूल	3,88,00,00}	4,08,00,00	2,75,43,38	-1,32,56,62
अनुपूरक	20,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				98,56,62
(31 मार्च 2011)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 3,46,04.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 7.65 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 1,50,14.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,50,22.63 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनादश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,11,97.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,46,04.61 लाख) से ₹ 34,06.92 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2801 बिजली			
	01 हाइडल उत्पादन			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 13,34.99 }	6,05.99	6,05.99	...
	पुनर्वि० -7,29.00 }			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 43,46.68 }	19,73.39	19,73.39	...
	पुनर्वि० -23,73.29 }			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 7,29.00 लाख एवं ₹ 23,73.29 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	800 अन्य व्यय			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 51,18.33 }	23,23.45	23,23.45	...
	पुनर्वि० -27,94.88 }			

₹ 27,94.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2801 बिजली			
	02 ताप विद्युत उत्पादन			
	800 अन्य व्यय			
	01 तेनुघाट विद्युत निगम लि० को इक्वीटी (अनुदान) (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ ।

2.	05 संचरण तथा वितरण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,20.27}	4,20.27	...	-4,20.27

₹ 4,20.27 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

3.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 4,20.27}
	पुनर्वि० -4,20.27}			

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 4,20.27 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित उर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 13,68.40}	13,68.40	...	-13,68.40
	₹ 13,68.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
5.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 13,68.40}
	पुनर्वि० -13,68.40}			
	योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 13,68.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
6.	800 अन्य व्यय 01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,11.32}	16,11.32	...	-16,11.32
	₹ 16,11.32 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
7.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 16,11.32}
	पुनर्वि० -16,11.32}			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
8.	07 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टु सकसेसर कम्पनी ऑफ जे0एस0ई0बी0 हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 2,10,00.00}
	पुनर्वि० -2,10,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 16,11.32 लाख एवं ₹ 2,10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	08 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) इनर्जी इफिसियेन्सी कन्जरवेशन/परामर्शी एवं अन्य कार्य हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 3,40.00}
	पुनर्वि० -3,40.00}			

निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण ₹ 3,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) ₹ 1,32,56.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 20,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 98,56.62 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,32,56.62 लाख) से ₹ 34,00.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(vii) शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 09-झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,56.99 लाख की बचत, जो कि ₹ 52,19.76 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	03	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु उधार (योजना)			
	मूल	14,50.00}	12,70.04	12,70.04	...
	पुनर्वि०	-1,79.96}			
<p>₹ 1,79.96 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।</p>					
2.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	03	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु उधार (योजना)			
		मूल	65,00.00}	56,93.10	56,93.10
	पुनर्वि०	-8,06.90}			
3.	800	विद्युत बोर्ड को अन्य कर्ज			
	03	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (पावर बॉन्ड पर ब्याज) (योजना)			
		मूल	65,50.00}	57,37.24	57,37.24
	पुनर्वि०	-8,12.76}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 8,06.90 लाख एवं ₹ 8,12.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	05 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को उत्पादन हेतु कर्ज (योजना)			
	मूल 90,00.00}	50,00.00	50,00.00	...
	पुनर्वि० -40,00.00}			

₹ 40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
1.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,20.27}	4,20.27	...	-4,20.27

₹ 4,20.27 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 4,20.27}
	पुनर्वि० -4,20.27}			

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 4,20.27 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित उर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 13,68.40}	13,68.40	...	-13,68.40
	पुनर्वि० -13,68.40}			
₹ 13,68.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 13,68.40}
	पुनर्वि० -13,68.40}			
5.	06 झारखंड राज्य जल विद्युत हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 13,68.40 लाख एवं ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	800 विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज 01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 16,11.32}	16,11.32	...	-16,11.32

₹ 16,11.32 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	01 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार (योजना)			
	मूल 16,11.32}
	पुनर्वि० -16,11.32}			

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 16,11.32 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2039	राज्य उत्पाद शुल्क			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
राजस्व:				
मूल	13,67,73}	14,52,08	13,59,13	-92,95
अनुपूरक	84,35}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 92.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011(₹ 3.65 लाख) और मार्च 2011 (₹ 80.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 84.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001-निदेशन और प्रशासन, 02-जिला प्रभार (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 50.20 लाख की बचत, जो कि ₹ 10,83.18 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
1.	03 गृह रक्षा वाहिनी (गैर-योजना)			
	मूल	76.50}	76.50	61.59
				-14.91

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 07 स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 24.18}	44.18	32.55	-11.63
	अनुपूरक 20.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 14.91 लाख और ₹ 11.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		

राजस्व:

मूल	33,29,49}	1,38,07,14	1,32,49,26	-5,57,88
अनुपूरक	1,04,77,65}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 5,73,50

पूंजी :

मूल	12,20,00}	12,70,00	11,63,20	-1,06,80
अनुपूरक	50,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 1,02,92

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 5,57.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 2,90.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 1,01,64.65 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 23.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,04,77.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,73.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,57.88 लाख) से ₹ 15.62 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 05 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 1,09.26}	21.14	21.14	...
	पुनर्वि० -88.12}			

₹ 68.78 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एम०ए०सी०पी० के बकाये का भुगतान, नये कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए सविदा भत्ता, ईंधन के मूल्य में वृद्धि तथा नये फोटोकॉपीयर मशीन के क्रय के कारण हुई थी। ₹ 19.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	06 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण- जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 8,50.30}	6,83.60	6,84.99	+1.39
	पुनर्वि० -1,66.70}			

₹ 1,65.31 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

3.	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 097 खजाना स्थापना 01 कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (गैर-योजना)			
	मूल 7,61.13}	6,86.90	6,56.86	-30.04
	पुनर्वि० -74.23}			

₹ 1,04.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

4.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800 अन्य व्यय 08 विविध तथा आकस्मिक व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 47.08}	15.03	15.03	...
	पुनर्वि० -32.05}			

₹ 32.05 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 02 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में पेंशनधारी राज्यकर्मियों का डाटाबेस (गैर-योजना)			
अनुपूरक 2,50.00 }
पुनर्वि० -2,50.00 }			

माँग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

(v) निम्नलिखित मामले में, व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 800 अन्य व्यय 01 भविष्य निधि लेखा का संधारण (गैर-योजना)			
	...	46.52	+46.52

बिना बजट प्रावधान के ₹ 46.52 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

(vi) ₹ 1,06.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम 01 सरकारी सेवकों को मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,20.00	1,20.00	...
	पुनर्वि० -80.00}			

₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कटौती एवं ₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	03 मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 20.00}	5.00	1.35	-3.65
	पुनर्वि० -15.00}			

3.	04 विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,30.00	1,30.00	...
	अनुपूरक 50.00}			
	पुनर्वि० -20.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 15.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
201 भवन निर्माण अग्रिम			
02 भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह-निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
मूल 50.00}
पुनर्वि० -50.00}			

संस्वीकृत गृह-निर्माण अग्रिम की अदायगी हेतु निधि का प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 12.50 लाख के पुनर्वियोग द्वारा प्रावधान में कटौती की गई। ₹ 37.50 लाख की प्रत्याशित बचत के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**विनियोग संख्या - 13 - ब्याज संदाय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2049	ब्याज अदायगियां			
राजस्व:				
मूल	21,35,05,01}	21,60,19,67	22,27,54,26	+67,34,59
अनुपूरक	25,14,66}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				28,10,26

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) विनियोग से ₹ 67,34,58,627 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 67,34.59 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 6,06.66 लाख) और जनवरी 2011 (₹ 19,08.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,14.66 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा प्रत्याशित बचत के रूप में 31 मार्च 2011 को किया गया ₹ 28,10.26 लाख का प्रत्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
- (iii) अधिक व्यय (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज				
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज				
	01 राज्य विकास ऋण पर ब्याज (ब्याजदेय) (गैर-योजना)				
	मूल	4,68,87.41}	4,68,87.41	6,09,22.68	+1,40,35.27
2.	305 ऋण प्रबन्ध				
	02 नीवन ऋणों से सम्बन्धित व्यय (गैर-योजना)				
	मूल	1,32.59}	1,32.59	1,91.16	+58.57

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
3.	01 साधारण भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 1,10,00.00}	1,10,00.00	1,63,37.71	+53,37.71

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,40,35.27 लाख, ₹ 58.57 लाख एवं ₹ 53,37.71 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) शीर्ष 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज, 123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, 01-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना), 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज, 02 - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गये कर्जे से ब्याज-आर०आई०डी०एफ०आई०एक्स० (गैर-योजना) एवं 11-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर०इ०सी०) से लिए गये कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 15,11.92 लाख, ₹ 6,19.43 लाख एवं ₹ 1,68.07 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 9,09,12.75 लाख, ₹ 95,50.00 लाख एवं ₹ 74,40.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे उपर्युक्त टिप्पणी (iii) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
	200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज			
1.	08 आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गये कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 43,38.00}	32,01.21	32,01.21	...
	पुनर्वि० -11,36.79}			

₹ 11,36.79 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम भुगतान के कारण हुई थी।

2.	10 पावर बॉन्ड- ब्याज भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 1,25,86.18}	1,25,86.18	1,12,37.66	-13,48.52

₹ 13,48.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	12 दीनदयाल आवास योजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 29,66.00}	21,88.58	21,88.58	...
	पुनर्वि० -7,77.42}			
₹ 7,77.42 लाख की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम भुगतान के कारण हुई थी।				
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
4.	02 ए०आई०एस० भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	1,36.30	-13,63.70
	108 बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज			
5.	01 बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	6,03.62	-13,96.38
	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
6.	02 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जों से ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 2,43,88.79}	2,43,88.79	2,09,52.97	-34,35.82

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	104 योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज 03 अन्य गैर-योजना मद में प्राप्त कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)	11,34.65	3,95.45	-7,39.20
	मूल 11,34.65}	11,34.65	3,95.45	-7,39.20

उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(v) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज 107 1984-85 पूर्व के कर्जों पर ब्याज 02 1979-84 पूर्व समेकित कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)	65.61	...	-65.61
	मूल 65.61}	65.61	...	-65.61
2.	60 अन्य दायित्त्वों पर ब्याज 701 विविध 04 बिक्री-कर वापसी के मामलों में देय ब्याज (गैर-योजना)
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 65.61 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**विनियोग संख्या - 14 - ऋण की वापसी अदायगी
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			

पूंजी :

मूल	15,05,67,17}	15,44,07,81	12,99,42,68	-2,44,65,13
अनुपूरक	38,40,64}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 2,58,34,35

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 2,44,65.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 38,40.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,58,34.35 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,44,65.13 लाख) से ₹ 13,69.22 लाख अधिक था।

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
01 हुडको से ऋण (गैर-योजना)			
मूल	2,00,10.00}	92,40.77	92,40.77
पुनर्वि०	-1,07,69.23}		...

₹ 1,07,69.23 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आँकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 101 बाजार कर्जे 01 ब्याजदेय बाजार कर्जे (गैर-योजना)			
	मूल 5,20,59.11}	5,20,59.11	...	-5,20,59.11
2.	02 अब्याजदेय बाजार कर्जे (गैर-योजना)			
	मूल 27.99}	27.99	...	-27.99
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,20,59.11 लाख एवं ₹ 27.99 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज 08 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिये गये कर्ज (आर.ई.सी.) (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}
	पुनर्वि० -1,50,00.00}			

₹ 1,47.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती एवं ₹ 1,48,53.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये कर्ज के भुगतान तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आँकड़े उपलब्ध नहीं हाने के कारण हुई थी।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

(v) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ 01 राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (गैर-योजना)				
	मूल	1,24,10.65}	1,24,10.65	2,71,33.28	+1,47,22.63
2.	6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज 101 एकमुश्त कर्ज 01 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (गैर-योजना)				
	मूल	1,47,00.00}	1,47,00.00	2,40,35.87	+93,35.87

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,47,22.63 लाख एवं ₹ 93,35.87 लाख के अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत

(vi) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अम्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
106 प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र			
02 जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध-पत्र (गैर-योजना)			
मूल 2,25.00}	12.89	48.91	+36.02
पुनर्वि० -2,12.11}			

₹ 2,12.11 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 36.02 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
	101 बाजार कर्ज			
1.	35 10.82% झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2011 (गैर-योजना)	...	1,22,61.43	+1,22,61.43
2.	42 11.50% बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 (गैर-योजना)	...	85,84.68	+85,84.68
3.	43 10.52 % बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 (गैर-योजना)	...	73,34.10	+73,34.10
4.	44 12% बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 (गैर-योजना)	...	20,23.20	+20,23.20

उपर्युक्त चार मामलों में बिना बजट प्रावधान के ₹ 1,22,61.43 लाख, ₹ 85,84.68 लाख, ₹ 73,34.10 लाख एवं ₹ 20,23.20 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 15 - पेंशन

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
राजस्व :				
दत्तमत्त :				
मूल	13,99,12,80}	18,28,14,60	20,75,09,36	+2,46,94,76
अनुपूरक	4,29,01,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
प्रभारित :				
मूल	2,00,00}	2,00,00	6,00,36	+4,00,36
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ:				

दत्तमत्त :

- (i) अनुदान से ₹ 2,46,94,75,576 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 2,46,94.76 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 3,00.00 लाख) एवं मार्च 2011(₹ 4,26,01.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,29,01.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 01-सिविल, 101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, 04-पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन का भुगतान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,04.54 लाख का अधिक व्यय, जो कि ₹ 3,50,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01 सिविल 101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते 01 पेंशन पाने वाले को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 7,02,00.00}	9,00,00.00	10,40,77.01	+1,40,77.01
	अनुपूरक 1,98,00.00}			
2.	02 जीवन यापन भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	1,65,47.51	+1,25,47.51
3.	115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ 01 सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)			
	मूल 1,00,00.00}	1,00,00.00	1,28,29.52	+28,29.52
4.	117 अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 03 भविष्य निधि- अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)			
	मूल 35,00.00}	53,00.00	68,86.29	+15,86.29
	अनुपूरक 18,00.00}			

उपयुक्त चार मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत

(iv) शीर्ष 01-सिविल, 102-पेंशन का सारांशिकृत मूल्य, 01-पेंशन का सारांशिकृत मूल्य (गैर-योजना) एवं 104-उपदान, 01-अन्य उपदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,38.64 लाख तथा ₹ 4,33.74 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 75,00.00 लाख तथा ₹ 2,00,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे उपर्युक्त टिप्पणी (iii) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01 सिविल			
	105 परिवार पेंशन			
	01 परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 50,00.00}	1,00,00.00	48,59.24	-51,40.76
	अनुपूरक 50,00.00}			
2.	111 विधायकों को पेंशन			
	01 विधायकों को पेंशन- राज्य विधायक (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	1,69.60	-8,30.40

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 51,40.76 लाख एवं ₹ 8,30.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

प्रभारित :

(v) विनियोग से ₹ 4,00,36,008 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है।

(vi) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
01 सिविल			
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
01 पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)			
मूल 2,00.00}	2,00.00	6,00.36	+4,00.36

₹ 4,00.36 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 16 - राष्ट्रीय बचत
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष				
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,41,18}	2,44,18	2,08,53	-35,65
अनुपूरक	3,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				35,92
(6 जुलाई 2010	: 3,00			
31 मार्च 2011	: 32,92)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 35.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया 3.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 35.92 लाख), अंतिम बचत (₹ 35.65 लाख) से ₹ 0.27 लाख अधिक था।
- (iii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	
1.	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 01 मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	30.85}	28.44	28.44
	अनुपूरक	3.00}		...
	पुनर्वि०	-5.41}		

₹ 5.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) संविदा के आधार पर दैनिक भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने (₹ 3.00 लाख) एवं आर्थिक मित्तव्ययिता के आलोक में क्रय कम किये जाने (₹ 0.99 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 जिला प्रभार (अल्प बचत का प्रचार सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 2,10.33}	1,79.82	1,80.09	+0.27
	पुनर्वि० -30.51}			

₹ 30.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सेवानिवृत्ति एवं कर्मचारियों का निलंबन (₹ 27.26 लाख), (ii) विपित्र पारित नहीं किये जाने (₹ 1.03 लाख) एवं (iii) प्रशासनिक कारणों (₹ 1.00 लाख) के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 17 - वित्त (वाणिज्य कर) विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	35,45,95}	49,30,67	41,02,81	-8,27,86
अनुपूरक	13,84,72}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(11 फरवारी 2011	: 1,03,98			8,10,46
31 मार्च 2011	: 7,06,48)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 8,27.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 5,39.38 लाख), जनवरी 2011 (₹ 4,29.84 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 4,15.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,84.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,10.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,27.86 लाख)से ₹ 17.40 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,48.36}	2,80.16	2,80.16	...
	अनुपूरक 63.00}			
	पुनर्वि० -31.20}			

₹ 31.20 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 3.98 लाख की बचत संविदा के रद्द होने के फलस्वरूप चालक, स्वीपर एवं प्रोग्रामर के वेतन का भुगतान कार्यालय व्यय से किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 27.22 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	101 संग्रहण प्रभार 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 27,26.38}	30,25.11	30,27.86	+2.75
	अनुपूरक 9,18.87}			
	पुनर्वि० -6,20.14}			
<p>₹ 6,20.14 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2.75 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
3.	03 भू-अर्जन, निर्माण तथा संरचनात्मक विकास (योजना)			
	मूल 75.00}	60.85	60.85	...
	पुनर्वि० -14.15}			
<p>₹ 14.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
4.	04 सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}	45.59	38.24	-7.35
	पुनर्वि० -4.41}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	69.72	60.44	-9.28
	पुनर्वि० -30.28}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11.76 लाख एवं ₹ 39.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		
	05	प्रशिक्षण (योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}
2.	06	परामर्शी तथा अन्य सुविधायें (योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}
3.	07	प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार (योजना)		
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3456	सिविल पूर्ति			
राजस्व :				
मूल	5,20,30,00}	6,62,20,62	5,77,93,21	-84,27,41
अनुपूरक	1,41,90,62}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				85,99,00
(23 दिसम्बर 2010 :	31,21,01			
31 मार्च 2011 :	54,77,99)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 84,27.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 1.20 लाख), जनवरी 2011 (₹ 1,38,52.70 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 3,36.72 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,41,90.62 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 85,99.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 84,27.41 लाख) से ₹ 1,71.59 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	3456 सिविल पूर्ति			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	1,25.86}	19.28	18.27
	पुनर्वि०	-1,06.58}		-1.01

₹ 1,06.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बिहार राज्य में कर्मचारियों का स्थान्तरण (₹ 4.28 लाख) तथा राशन कार्ड मुद्रित नहीं किये जाने (₹ 1,00.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	102 सिविल पूर्ति योजना 03 अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 5,79.00}	4,79.88	4,79.88	...
	पुनर्वि० -99.12}			
₹ 99.12 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने कारण हुई थी।				
3.	08 ग्रामीण अन्न कोष (योजना)			
	मूल 48.05}	8.39	8.39	...
	पुनर्वि० -39.66}			
₹ 39.66 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 37.91 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 1.75 लाख) के कारण हुई थी।				
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 08 ग्रामीण अन्न कोष (योजना)			
	मूल 30.81}	5.78	4.25	-1.53
	पुनर्वि० -25.03}			
₹ 25.03 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 24.31 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 0.72 लाख) के कारण हुई थी।				
5.	12 एल०पी०जी० के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 3,36.00}	2,42.70	2,42.70	...
	पुनर्वि० -93.30}			
₹ 93.30 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	796 08 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना ग्रामीण अन्न कोष (योजना)			
	मूल 1,58.14}	29.61	22.76	-6.85
	पुनर्वि० -1,28.53}			

₹ 1,28.53 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 1,24.78 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 3.75 लाख)के कारण हुई थी। ₹ 6.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

7.	10 गोदाम का निर्माण (योजना)			
	मूल 7,92.00}	6,71.65	6,27.57	-44.08
	पुनर्वि० -1,20.35}			
8.	12 एल.पी.जी. के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 14,02.10}	12,14.30	12,14.30	...
	पुनर्वि० -1,87.80}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,20.35 लाख एवं ₹ 1,87.80 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हुई थी। क्रम सं० 7 के अन्तर्गत ₹ 44.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3456 102 07 सिविल पूर्ति सिविल पूर्ति योजना बी०पी०एल०परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिनयुक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 10,89.00}
	पुनर्वि० -10,89.00}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 8,16.75 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 2,72.25 लाख) के कारण ₹ 10,89.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	15 लेवी चीनी का वितरण (योजना)			
	मूल 4,84.90}
	पुनर्वि० -4,84.90}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 3,49.75 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 1,35.15 लाख) के कारण ₹ 4,84.90 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 2,65.80}
	पुनर्वि० -2,65.80}			

अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,65.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

4.	17 किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 91.10}
	पुनर्वि० -91.10}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 67.22 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 23.88 लाख) के कारण ₹ 91.10 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

5.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीनयुक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 4,85.60}
	पुनर्वि० -4,85.60}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 3,64.20 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 1,21.40 लाख) के कारण ₹ 4,85.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	15	लेवी चीनी का वितरण (योजना)		
		मूल 2,16.30}
		पुनर्वि० -2,16.30}		
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 1,56.01 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 60.29 लाख) के कारण ₹ 2,16.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	16	ए०पी०एल० योजना (योजना)		
		मूल 1,43.50}
		पुनर्वि० -1,43.50}		
अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,43.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	17	किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)		
		मूल 31.80}
		पुनर्वि० -31.80}		
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 23.46 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 8.34 लाख) के कारण ₹ 31.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	796 06	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना बी०पी०एल० परिवारों के बीच सिंगल बर्नर एल०पी० गैस चुल्हा का वितरण (योजना)		
		मूल 25.00}
		पुनर्वि० -25.00}		

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 19.00 लाख) तथा अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 6.00 लाख) के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीनयुक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल	21,61.00}
	पुनर्वि०	-21,61.00}		
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 16,20.75 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 5,40.25 लाख) के कारण ₹ 21,61.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
11.	15 लेवी चीनी का वितरण (योजना)			
	मूल	9,62.50}
	पुनर्वि०	-9,62.50}		
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 6,94.24 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 2,68.26 लाख) के कारण ₹ 9,62.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
12.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल	6,94.20}
	पुनर्वि०	-6,94.20}		
अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण ₹ 6,94.20 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
13.	17 किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल	1,21.04}
	पुनर्वि०	-1,21.04}		

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 89.32 लाख) एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹ 31.72 लाख) के कारण ₹ 1,21.04 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3456 सिविल पूर्ति 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 17,65.77}	17,73.67	17,99.92	+26.25
	अनुपूरक 3,20.42}			
	पुनर्वि० -3,12.52}			
2.	102 सिविल पूर्ति योजना 10 गोदाम का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,52.00}	2,58.85	2,88.57	+29.72
	पुनर्वि० -93.15}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
	अनुपूरक 2,00.00}	1,67.53	1,75.52	+7.99
	पुनर्वि० -32.47}			
4.	10 गोदाम का निर्माण (योजना)			
	मूल 3,44.00}	2,51.14	3,02.91	+51.77
	पुनर्वि० -92.86}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 93.15 लाख, ₹ 32.47 लाख एवं ₹ 92.86 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 29.72 लाख, ₹ 7.99 लाख एवं ₹ 51.77 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 19 - वन एवं पर्यावरण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,60,31,84}	2,91,03,78	2,22,68,32	-68,35,46
अनुपूरक	30,71,94}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 35,90,93

पूंजी :

मूल	9,76,00}	9,76,00	9,75,00	-1,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 68,35.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹18,93.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 4,61.40 लाख) और मार्च 2011 (₹ 7,17.54 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,71.94 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 35,90.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 68,35.46 लाख) से ₹ 32,44.53 लाख) कम था।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (गैर-योजना) और 800-अन्य व्यय, 13- पथ तट रोपण-सह-शहरी विकास (योजना) के अन्तर्गत ₹ 87.95 लाख और ₹ 1,25.34 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 58,84.64 लाख और ₹ 17,82.22 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण			
	02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,61.82	1,61.82	...
	पुनर्वि० -38.18}			
	₹ 38.18 लाख की प्रत्याशित बचत अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता का आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
2.	005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग			
	01 वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन (योजना)			
		मूल 6,70.89}	6,24.80	2,65.03
	पुनर्वि० -46.09}			
	₹ 46.09 लाख की प्रत्याशित बचत वन कार्य योजना के पुनर्निरीक्षण के कारण हुई थी। ₹ 3,59.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
3.	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	04 कल्चरल ऑपरेशन (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	52.15	-3,47.85

₹ 3,47.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	15 वन प्रबंधन सुविधायें (योजना)			
	मूल 16,60.00}	13,45.43	13,01.77	-43.66
	पुनर्वि० -3,14.57}			
<p>₹ 3,14.57 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से संस्वीकृत राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 43.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
5.	20 वन प्रचार (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,26.26	1,18.86	-7.40
	पुनर्वि० -23.74}			
<p>₹ 23.74 लाख की प्रत्याशित बचत पुरस्कार वितरण नहीं किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 7.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
6.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (योजना)			
	मूल 40.00}	13.60	4.67	-8.93
	पुनर्वि० -26.40}			
<p>₹ 35.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
7.	102 समाज तथा फार्म वानिकी 05 शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का बगान (योजना)			
	मूल 55.44}	55.30	38.01	-17.29
	पुनर्वि० -0.14}			
<p>₹ 17.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 4,35.98}	3,60.33	3,60.33	...
	पुनर्वि० -75.65}			

₹ 75.65 लाख की प्रत्याशित बचत 100 मिट्रिक टन "सिसल रेशा" का उत्पादन नहीं होने के फलस्वरूप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने तथा पौधों की उत्तरजीविता के कारण हुई थी।

9.	105 वन उत्पाद 38 13वें वित्त आयोग से अनुदान (योजना)			
	अनुपूरक 18,93.00}	7,27.91	5,95.74	-1,32.17
	पुनर्वि० -11,65.09}			

₹ 11,65.09 लाख की प्रत्याशित बचत विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 1,32.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

10.	39 अवकृष्ट वनों में पुनरूत्थान एवं पुर्नजनन (मृदा-सह-जल संरक्षण कार्य) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	अनुपूरक 2,93.00}	2,93.00	93.45	-1,99.55

₹ 1,99.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 37 ईन्टेसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (योजना)			
	मूल 1,71.72 } पुनर्वि० -42.95 }	1,28.77	1,28.27	...
₹ 42.95 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।				
12.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक 09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 7,87.01 } पुनर्वि० -4.21 }	7,82.80	4,67.51	-3,15.29
13.	13 पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल 1,70.68 } पुनर्वि० -5.56 }	1,65.12	1,32.33	-32.79
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4.21 लाख और ₹ 5.56 लाख की प्रत्याशित बचत पौधों की उत्तरजीविता के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 3,15.29 लाख और ₹ 32.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
14.	28 लाह विकास योजना (योजना)			
	मूल 3,56.97 } पुनर्वि० -1,73.67 }	1,83.30	92.13	-91.17

₹ 1,73.67 लाख की प्रत्याशित बचत ब्रुड लाह की अनुपलब्धता के कारण हुई थी। ₹ 91.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	34 गहन वन विकास कार्यक्रम- ईंधन काष्ठचारा परियोजना (योजना)			
	मूल 2,21.47 } पुनर्वि० -0.09 }	2,21.38	15.64	-2,05.74
₹ 2,05.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 13 पथ पट रोपण- सह-शहरी वानिकी (योजना)			
	मूल 13,56.33 } पुनर्वि० -3,30.70 }	10,25.63	10,25.63	...
₹ 3,30.70 लाख की प्रत्याशित बचत सिद्धू-कान्हू पार्क, दुमका के लिए कोषागार से राशि की निकास नहीं किए जाने एवं पौधों की उत्तरजीविता के कारण हुई थी।				
17.	15 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट (योजना)			
	अनुपूरक 1,21.57 } पुनर्वि० -24.10 }	97.47	97.47	...
₹ 24.10 लाख की प्रत्याशित बचत कोषागार से राशि की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई थी।				
18.	34 गहन वन विकास कार्यक्रम- ईंधन काष्ठचारा परियोजना (योजना)			
	मूल 4,40.18 } पुनर्वि० -2.07 }	4,38.11	3,76.10	-62.01
19.	800 अन्य व्यय 34 गहन वन विकास कार्यक्रम- ईंधन काष्ठचारा परियोजना (योजना)			
	मूल 3,87.24 } पुनर्वि० -8.72 }	3,78.52	44.72	-3,33.80

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2.07 लाख और ₹ 8.72 लाख की प्रत्याशित बचत पौधों की उत्तरजीविता के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 62.01 लाख और ₹ 3,33.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीव परिरक्षण 02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय (वन प्रबंधन योजना) (योजना)			
	मूल 72.00}	21.26	20.56	-0.70
	पुनर्वि० -50.74}			
₹ 50.74 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।				
21.	03 हाथी परियोजना (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	1,22.96	1,19.49	-3.47
	पुनर्वि० -1,77.04}			
22.	08 पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (के०यो०यो०)			
	मूल 1,75.00}	54.57	54.57	...
	पुनर्वि० -1,20.43}			
23.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (के०प्रा०यो०)			
	मूल 80.00}	74.70	39.30	-35.40
	पुनर्वि० -5.30}			
24.	21 व्याघ्र परियोजना, पलामू (योजना)			
	मूल 80.00}	74.70	38.10	-36.60
	पुनर्वि० -5.30}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
25.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 3,70.00}	3,36.23	35.17	-3,01.06
	पुनर्वि० -33.77}			
26.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}	13.60	13.26	-0.34
	पुनर्वि० -26.40}			
<p>उपर्युक्त छः मामलों में ₹ 1,77.04 लाख, ₹ 1,20.43 लाख, ₹ 5.30 लाख, ₹ 5.30 लाख, ₹ 33.77 लाख और ₹ 26.40 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय को भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 23, 24 एवं 25 के अन्तर्गत ₹ 35.40 लाख, ₹ 36.60 लाख और ₹ 3,01.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
27.	24 अन्य उद्यान (गैर-योजना)			
	मूल 91.79}	91.79	11.36	-80.43
<p>₹ 80.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
28.	37 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,15.16}	1,71.16	1,25.49	-45.67
	पुनर्वि० -3,44.00}			

₹ 3,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय को भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 45.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 वानिकी 105 वन उत्पाद 39 अवकृष्ट वनों में पुनरूत्थान एवं पुर्नजनन (मृदा-सह-जल संरक्षण कार्य) के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (के०यो०यो०)	2,93.00	...	-2,93.00
	अनुपूरक	2,93.00 }	2,93.00	...
	₹ 2,93.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)			
2.	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 वन्य जीव परिरक्षण 23 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन योजना (के०यो०यो०)	10.61	...	-10.61
	मूल	60.00 }	10.61	...
	पुनर्वि०	-49.39 }	...	-10.61
	₹ 49.39 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय को भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि तक सीमित किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
3.	32 अन्य उद्यान-भगवान बिरसा जैविक उद्यान (के०यो०यो०)
	मूल	70.00 }
	पुनर्वि०	-70.00 }

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	32 अन्य उद्यान-भगवान बिरसा जैविक उद्यान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

व्यय को भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि तक सीमित किये जाने के कारण उपर्युक्त दोनो मामलों में ₹ 70.00 लाख और ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

5.	32 अन्य उद्यान-भगवान बिरसा जैविक उद्यान (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

झारखण्ड राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

6.	38 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (के०यो०यो०)			
	मूल 1,71.70}
	पुनर्वि० -1,71.70}			

व्यय को भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि तक सीमित किये जाने के कारण ₹ 1,71.70 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	8,00,45,43}	8,42,66,78	6,64,25,97	-1,78,40,81
अनुपूरक	42,21,35}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 1,43,02,41

पूंजी :

मूल	2,18,81,99}	2,29,29,37	1,42,68,14	-86,61,23
अनुपूरक	10,47,38}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 78,52,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 1,78,40.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 14,47.61 लाख), जनवरी 2011 (₹ 27,09.14 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 64.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 42,21.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,43,02.41 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,78,40.81 लाख) से ₹ 35,38.40 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र, 02-स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना), 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना) तथा 03-अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,93.94 लाख, ₹ 5,49.88 लाख एवं ₹ 3,29.32 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 32,80.52 लाख, ₹ 1,08,23.27 लाख एवं ₹ 43,53.58 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 97.11}	32.60	11.27	-21.33
	पुनर्वि० -64.51}			
₹ 64.51 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 21.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	05 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चिकित्सा सहायता (हृदय, किडनी एवं कैंसर रोग) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	9,45.83	8,18.88	-1,26.95
	पुनर्वि० -5,54.17}			
3.	07 राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन, उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)			
	मूल 10,00.00}	7,70.47	4,87.60	-2,82.87
	पुनर्वि० -2,29.53}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,81.12 लाख एवं ₹ 5,12.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	09 स्वास्थ्य आकस्मिकता प्रबंधन कोष- मोबाईल हेल्थ क्लिनिक/ट्रामा सेन्टर (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,47.56	2,47.56	...
	पुनर्वि० -1,52.44}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	10	स्वास्थ्य आकस्मिकता प्रबंधन कोष- लोक स्वास्थ्य संस्थान अन्तर्गत बिल्डिंग का निर्माण (योजना)		
		मूल 50.00}	3,47.32	3,47.32
		अनुपूरक 3,52.62}		...
		पुनर्वि० -55.30}		
		उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,52.44 लाख एवं ₹ 55.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।		
6.	110 15	अस्पताल और औषधालय इटकी सेनेटोरियम (गैर-योजना)		
		मूल 4,04.17}	5,05.76	4,82.64
		अनुपूरक 1,64.00}		-23.12
		पुनर्वि० -62.41}		
		₹ 34.88 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 27.53 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गई कमी एवं ₹ 23.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।		
7.	789 02	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना गरीबी रेखा अन्तर्गत चिकित्सा सहायता- गरीबी रेखा के नीचे लोगों को विशिष्ट रोगों (हृदय, किडनी, कैंसर आदि) की चिकित्सा हेतु अनुदान तथा सर्वस्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट को अनुदान (योजना)		
		मूल 5,00.00}	1,91.87	1,21.23
		पुनर्वि० -3,08.13}		-70.64
8.	19	राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)		
		मूल 5,69.00}	3,86.36	2,09.92
		पुनर्वि० -1,82.64}		-1,76.44

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,78.77 लाख एवं ₹ 3,59.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 योजना का प्रशासन (कुष्ठ) (योजना)			
	मूल 1,55.53}	1,28.29	1,27.84	-0.45
	पुनर्वि० -27.24}			
	₹ 27.24 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।			
10.	03 अन्य स्वास्थ्य सेवाएं (कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 97.60}	...	0.03	+0.03
	पुनर्वि० -97.60}			
	भारत सरकार द्वारा निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण ₹ 97.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
11.	04 अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा) (योजना)			
	मूल 1,24.00}	98.05	96.95	-1.10
	पुनर्वि० -25.95}			
	₹ 25.95 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।			
12.	12 एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 4,19.12}	3,44.99	3,29.01	-15.98
	पुनर्वि० -74.13}			
	₹ 90.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
13.	15 अंधेपन की रोकथाम (के०प्रा०यो०)			
	मूल 28.17}	...	0.37	+0.37
	पुनर्वि० -28.17}			
	₹ 28.17 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने के फलस्वरूप निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	19 राज्य के विभिन्न अस्पतालों हेतु मशीन उपकरण एवं उपस्कर का क्रय (योजना)			
	मूल 15,00.00}	12,49.17	7,97.56	-4,51.61
	पुनर्वि० -2,50.83}			
15.	20 फार्मैसी (योजना)			
	मूल 46.77}	40.27	19.45	-20.82
	पुनर्वि० -6.50}			
16.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 200 अन्य पद्धतियाँ 02 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- राजकीय युनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरीडिह तथा राजकीय होम्योपैथीक अस्पताल, गोड्डा (योजना)			
	मूल 1,05.67}	53.36	52.31	-1.05
	पुनर्वि० -52.31}			
17.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल, चाईबासा/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मैसी महाविद्यालय, साहेबगंज तथा गुमला			
	मूल 76.62}	33.99	33.92	-0.07
	पुनर्वि० -42.63}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 7,02.44 लाख, ₹ 27.32 लाख, ₹ 53.36 लाख एवं ₹ 42.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
18.	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	800	अन्य व्यय			
	14	मल्टी सैक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु राज्यांश (योजना)			
	मूल	6,00.00}	6,00.00	4,09.44	-1,90.56
	पुनर्वि०				
₹ 1,90.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।					
19.	04	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
	101	आयुर्वेद			
	03	ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)			
	मूल	8,42.77}	7,56.14	7,09.99	-46.15
	पुनर्वि०	-86.63}			
20.	102	होम्योपैथी			
	01	होम्योपैथी औषधालय (गैर-योजना)			
		मूल	3,67.35}	3,15.93	3,09.39
	पुनर्वि०	-51.42}			
21.	103	यूनानी			
	01	यूनानी औषधालय (गैर-योजना)			
		मूल	1,07.49}	88.48	79.25
	पुनर्वि०	-19.01}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 86.63 लाख, ₹ 51.42 लाख एवं ₹ 19.01 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रमशः ₹ 46.15 लाख, ₹ 6.54 लाख एवं ₹ 9.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105 एलोपैथी 04 प्रशिक्षण-नर्स (योजना)			
	मूल 88.00}	35.08	34.80	-0.28
	पुनर्वि० -52.92}			
23.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 एम०जी०एम०मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 1,55.00}	85.52	83.23	-2.29
	पुनर्वि० -69.48}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 53.20 लाख तथा ₹ 71.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
24.	06 लोक स्वास्थ्य 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 11,77.21}	8,99.55	8,19.71	-79.84
	पुनर्वि० -2,77.66}			
₹ 2,77.66 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 79.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
25.	07 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम- डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (योजना)			
	मूल 67.15}	47.99	27.85	-20.14
	पुनर्वि० -19.16}			

₹ 39.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
26.	2211 परिवार कल्याण 001 निदेशन और प्रशासन 03 तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण- जिला परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 7,39.25}	6,33.89	5,97.36	-36.53
	पुनर्वि० -1,05.36}			
27.	003 प्रशिक्षण 04 ए.एन.एम. स्कूल/ एल.एच.भी. स्कूल (के०यो०यो०)			
	मूल 5,75.09}	2,72.77	2,71.14	-1.63
	पुनर्वि० -3,02.32}			
28.	05 परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (के०यो०यो०)			
	मूल 87.02}	31.04	31.25	+0.21
	पुनर्वि० -55.98}			
29.	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 01 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 1,49,98.41}	52,22.15	47,72.18	-4,49.97
	पुनर्वि० -97,76.26}			
30.	102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं 01 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (के०यो०यो०)			
	मूल 4,35.94}	1,29.99	1,29.45	-0.54
	पुनर्वि० 3,05.95}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 1,05.36 लाख, ₹ 3,02.32 लाख, ₹ 55.98 लाख, ₹ 97,76.26 लाख एवं ₹ 3,05.95 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम निधि की संस्वीकृति दिये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 26 एवं 29 के अन्तर्गत ₹ 36.53 लाख एवं ₹ 4,49.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 06 लोक स्वास्थ्य संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	08 निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये सहायक अनुदान			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
3.	13 टुबैको कन्ट्रोल (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
4.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय- आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं की स्थापना (योजना)			
	मूल 58.00}
	पुनर्वि० -58.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 40.00 लाख, ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 58.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामले में व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2211 परिवार कल्याण			
200 अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
21 परिवार नियोजन सामग्रियों की मुफ्त आपूर्ति (गैर-योजना)			
	...	1,41.11	+1,41.11

बिना बजट प्रावधान के ₹ 1,41.11 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

(vi) ₹ 86,61.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 10,47.38 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 78,52.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 86,61.23 लाख) से ₹ 8,09.23 लाख कम था।

(viii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
	07 भवनों-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल	2,50.00}	2,00.00	1,25.00
	पुनर्वि०	-50.00}		-75.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/ मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	4,71.34	4,32.20	-39.14
	पुनर्वि० -5,28.66}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,25.00 लाख एवं ₹ 5,67.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	10 भवनें-स्वास्थ्य उप-केन्द्र की स्थापना- भवनें(मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	2,81.42	1,95.19	-86.23
	पुनर्वि० -7,18.58}			
₹ 7,18.58 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,00.00 लाख की बचत अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता के कारण हुई थी। ₹ 4,18.58 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 86.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	110 अस्पताल और औषधालय 17 भवनें-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 6,60.00}			
	अनुपूरक 1,00.00}	5,41.07	5,40.81	-0.26
	पुनर्वि० -2,18.93}			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	24 भवनें-(मशीन, उपकरण उपस्कर सहित) सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,02.09	1,01.93	-0.16
	पुनर्वि० -1,97.91}			
6.	26 भवनें-(मशीन-उपकरण सहित) रेफरल अस्पताल-भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 20.00}			
	अनुपूरक 1,32.37}	83.58	83.87	+0.29
	पुनर्वि० -68.79}			
7.	34 भवनें-(मशीन-उपकरण उपस्कर सहित) अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,28.50	1,28.50	...
	पुनर्वि० -3,71.50}			
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	01 सदर/अनुमंडलीय अस्पताल (मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) भवनें-(मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) सदर अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,50.00	1,50.00	...
	पुनर्वि० -50.00}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 2,18.93 लाख, ₹ 1,97.91 लाख, ₹ 68.79 लाख, ₹ 3,71.50 लाख एवं ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	05 भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना-भवनें- (मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,82.51	1,82.51	...
	पुनर्वि० -3,17.49}			
10.	06 भवनें-(मशीन उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,49.55	2,49.55	...
	पुनर्वि० -50.45}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,17.49 लाख एवं ₹ 50.45 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्भव्य में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
11.	07 भवनें-(मशीन-उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	7,81.44	-2,18.56
<p>₹ 2,18.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 25 भवनें- (मशीन एवं उपकरण सहित) रेफरल अस्पताल (योजना)			
	मूल 25.00}			
	अनुपूरक 3,15.00}	2,87.90	2,83.66	-4.24
	पुनर्वि० -52.10}			
<p>₹ 56.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	33 भवनें-सदर अस्पताल (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित)- अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 7,50.00}	4,81.69	4,74.85	-6.84
	पुनर्वि० -2,68.31}			

₹ 2,68.31 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 6.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

14.	35 भवनें-सदर अस्पताल (मशीन एवं उपकरण सहित) जिला चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय का भवन निर्माण (चिकित्सा एवं पारा मेडिकल कर्मियों का आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	2,69.15	2,20.27	-48.88
	पुनर्वि० -7,30.85}			

₹ 7,30.85 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता रहने (₹ 5,00.00 लाख) तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 2,30.85 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 48.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

15.	36 भवनें-सदर अस्पताल (मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) सदर अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,84.60	3,84.60	-1,00.00
	पुनर्वि० -15.40}			

₹ 15.40 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	39 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीन एवं उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन-उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 14,00.00}	7,12.17	6,89.13	-23.04
	पुनर्वि० -6,87.83}			
	₹ 7,10.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
17.	40 भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना- भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 13,00.00}	2,61.28	2,28.91	-32.37
	पुनर्वि० -10,38.72}			
	₹ 10,38.72 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 5,38.72 लाख) एवं अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता (₹ 5,00.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 32.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
18.	45 क्षेत्रीय अस्पताल, दुमका एवं चाईबासा (मशीन उपकरण एवं उपसकर सहित) का निर्माण/उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	2,99.50	2,99.26	-0.24
	पुनर्वि० -1,00.50}			
	₹ 1,00.50 लाख की प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी।			
	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
19.	05 एन.एन.एम. स्कूल का निर्माण- भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	75.00	-1,75.00
	₹ 1,75.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(ix) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 अस्पताल और औषधालय 01 निजी क्षेत्रों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए शॉफ्ट लोन (योजना)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			
₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना मशीन उपकरण सहित (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।				
3.	110 अस्पताल और औषधालय 31 भवनों-(मशीन-उपकरण, उपस्कर सहित) सदर अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों का आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल 6,00.00}
	पुनर्वि० -6,00.00}			

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	02 भवनें-सदर/अनुमंडलीय अस्पताल- (मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित)- भवनें-(मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल	2,50.00}
	पुनर्वि०	-2,50.00}		
<p>₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
5.	03 भवनें-सदर/अनुमंडलीय अस्पताल (मशीन/उपकरण एवं उपस्कर सहित) जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों का आवासीय भवन सहित) (योजना)			
	मूल	4,00.00}
	पुनर्वि०	-4,00.00}		
6.	09 भवनें-(मशीन उपकरण सहित) पलामू में नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना (योजना)			
	मूल	50.00}
	पुनर्वि०	-50.00}		

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्ब्यय में कटौती किये जाने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,00.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना मशीन उपकरण सहित (योजना)		
	मूल	1,00.00}
	पुनर्वि०	-1,00.00}		

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने (₹ 40.00 लाख) एवं अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता रहने (₹ 60.00 लाख) के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

8.	796 06	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना भवनें-(मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) दुमका तथा चाईबासा में नये मेडिकल कॉलेज अस्तपाल की स्थापना (योजना)		
	मूल	1,00.00}
	पुनर्वि०	-1,00.00}		

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	46	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना मशीन एवं उपकरण सहित (योजना)		
	मूल	2,00.00}
	पुनर्वि०	-2,00.00}		

अन्य उपशीर्षों में निधि की आवश्यकता रहने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	47 भवनें-(मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थायें- राँची में आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं (औषधि जाँच प्रयोगशाला, राज्य औषधि नियंत्रक एवं आयुष चिकित्सा परिषद्) का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 20.00 }
	पुनर्वि० -20.00 }			

₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

11.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
	04 एन.एन.एम. स्कूल का निर्माण- भवन निर्माण			
	मूल 2,50.00 }
	पुनर्वि० -2,50.00 }			

योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्ब्यय में कटौती किये जाने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 21 - उच्च शिक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202 सामान्य शिक्षा				
राजस्व :				
मूल अनुपूरक	3,41,67,00} शून्य}	3,41,67,00	3,31,53,55	-10,13,45

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) बचत के किसी भी भाग का अभ्यर्पण नहीं किया गया था।

(ii) शीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 01-संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-सहायक अनुदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,07.51 लाख की बचत, जो कि ₹ 70,44.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू-सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	14,28.00}	14,28.00	10,76.88
				-3,51.12

₹ 3,51.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 05 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु सन्त विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को अनुदान (योजना)	30.00	...	-30.00
2.	20 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय को अनुदान (योजना)	30.00	...	-30.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु-सिद्धु-कान्हू विश्वविद्यालय दुमका को अनुदान (योजना)	30.00	...	-30.00
4.	17 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को अनुदान (योजना)	30.00	...	-30.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	20 उच्च शिक्षा निदेशालय- सेमिनार एवं सिम्पोजियम (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00
6.	27 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00

उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	15,74,52,88}	18,59,96,86	17,76,67,01	-83,29,85
अनुपूरक	2,85,43,98}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 77,53,95

पूंजी :

मूल	1,81,01,32}	1,81,01,32	79,26,92	-1,01,74,40
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 87,26,31

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 83,29.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 1,72.41 लाख), जनवरी 2011 (₹ 2,24,93.27 लाख) और मार्च 2011 (₹ 58,78.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,85,43.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 77,53.95 लाख), अंतिम बचत (₹ 83,29.85 लाख) से ₹ 5,75.90 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) शीर्ष-2055-पुलिस, 001-निदेशन और प्रशासन, 12-सुरक्षा पर व्यय (गैर-योजना), 110-ग्राम पुलिस, 01-चौकीदार-दफादार स्थापना (गैर-योजना), 2056-जेल, 101-जेल, 02-जिला जेल (गैर-योजना) और 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 107-होमगार्ड, 01-ग्रामीण के अन्तर्गत ₹ 2,90.81 लाख, ₹ 8,18.41 लाख, ₹ 1,03.76 लाख और ₹ 1,39.39 लाख तथा शीर्ष 2055-पुलिस, 109-जिला पुलिस, 01-जिला कार्यकारी बल (गैर-योजना), 114-बेतार और कम्प्यूटर, 01-संकेत (गैर-योजना) और 2056-जेल, 101-जेल, 01-केन्द्रीय जेल (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,87.04 लाख, ₹ 1,80.38 लाख और ₹ 1,23.44 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 80,00.00 लाख, ₹ 1,12,89.69 लाख, ₹ 30,22.66 लाख, ₹ 31,83.52 लाख, ₹ 8,61,15.62 लाख, ₹ 24,63.08 लाख और ₹ 25,43.59 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2055 पुलिस 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 कानून व्यवस्था पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,01.59	2,04.65	+3.06
	पुनर्वि० -48.41}			
₹ 48.41 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी। ₹ 3.06 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	03 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय (गैर-योजना)			
	मूल 5,10.00}	1,38.78	1,34.28	-4.50
	पुनर्वि० -3,71.22}			
₹ 3,71.22 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	104 विशेष पुलिस 01 अश्वारोही सैन्य पुलिस (गैर-योजना)			
	मूल 1,19.06}	...	1.20	+1.20
	पुनर्वि० -1,19.06}			

मुख्यतः अश्वारोही सैन्य पुलिस की नियुक्ति नहीं किये जाने (₹ 1,19.00 लाख) के कारण ₹ 1,19.06 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹ 1.20 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	110 ग्राम पुलिस 02 मानकी मुण्डा डाकुआ के लिए सम्मान (गैर-योजना)			
	मूल 14,07.49}	8,50.49	8,53.74	+3.25
	पुनर्वि० -5,57.00}			
₹ 5,53.75 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
5.	111 रेल पुलिस 01 बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)			
	मूल 68.79}	42.75	42.87	+0.12
	अनुपूरक 10.50}			
	पुनर्वि० -36.54}			
₹ 36.54 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
6.	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण 01 चिकित्सालय व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,15.38}	1,17.55	1,17.78	+0.23
	अनुपूरक 29.10}			
	पुनर्वि० -26.93}			
₹ 26.93 लाख की प्रत्याशित बचत चिकित्सकों की पदस्थापना के स्थान पर प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी।				
7.	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01 पुलिस आधुनिकीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,47.09	4,47.09	...
	पुनर्वि० -52.91}			

₹ 52.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	67 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50,00.00}	10,80.34	7,43.34	-3,37.00
	पुनर्वि० -39,19.66}			
9.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800 अन्य व्यय 09 उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिस कर्मी/ग्रामीण पुलिस/ गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 7,35.11}	6,31.09	6,08.15	-22.94
	पुनर्वि० -1,04.02}			
10.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम 03 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,44.65	1,42.93	-1.72
	पुनर्वि० -55.35}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 42,56.66 लाख, ₹ 1,26.96 लाख और ₹ 57.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूंजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 87,26.31 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,01,74.40 लाख) से ₹ 14,48.09 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(v) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 28 कारा मुख्य गेट के सुरक्षा हेतु घेराबंदी-सौर्य घेराबंदी (योजना)			
	मूल 2,25.00}	1,91.39	1,91.32	-0.07
	पुनर्वि० -33.61}			
2.	33 कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु (योजना)			
	मूल 2,20.00}	28.92	28.92	...
	पुनर्वि० -1,91.08}			
3.	45 पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (योजना)			
	मूल 8,55.00}	5,23.53	5,23.53	...
	पुनर्वि० -3,31.47}			
4.	211 पुलिस आवास 01 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (गैर-योजना)			
	मूल 82,87.00}	57,81.06	43,33.06	-14,48.00
	पुनर्वि० -25,05.94}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी, चहारदीवारी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,75.00}	91.60	91.64	+0.04
	पुनर्वि० -1,83.40}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 33.61 लाख, ₹ 1,91.08 लाख, ₹ 3,31.47 लाख, ₹ 25,05.94 लाख और ₹ 1,83.40 लाख की प्रत्याशित बचत तथा क्रम संख्या 4 के अन्तर्गत ₹ 14,48.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(vi) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 16 नए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 11,50.00}
	पुनर्वि० -11,50.00}			
2.	42 कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
3.	43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 19,14.00}
	पुनर्वि० -19,14.00}			
4.	44 गैर-पारम्परिक ऊर्जा (सोलर/बायो गैस सहित) (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 42 कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	45 गैर पारम्परिक सोलर ऊर्जा बायो गैस सहित (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
7.	46 कारा निरीक्षणालय का निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
8.	67 पुलिस आधुनिकीरण एवं भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 16,91.00}
	पुनर्वि० -16,91.00}			
9.	4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 46 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म का क्रय (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
6885 उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज			

राजस्व :

मूल	1,46,13,43}	1,76,73,10	1,44,83,84	-31,89,26
अनुपूरक	30,59,67}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				30,51,39
(3 जुलाई 2010 : 9,47,00				
6 जनवरी 2011 : 92,48				
मार्च 2011 : 4,62,18				
31 मार्च 2011 : 15,49,73)				

पूंजी :

मूल	1,02,00}	1,02,00	1,00,00	-2,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				2,00
---	--	--	--	------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 31,89.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 5,30.36 लाख), जनवरी 2011 (₹ 23,00.21 लाख) और मार्च 2011 (₹ 2,29.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,59.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 30,51.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 31,89.26 लाख) से ₹ 1,37.87 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 01 लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,20.72	2,20.72	...
	पुनर्वि० -79.28}			
₹ 79.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।				
2.	44 नए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 24.40}	2.63	2.63	...
	पुनर्वि० -21.77}			
₹ 21.77 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
3.	103 हस्तशिल्प उद्योग 02 समेकित हस्तकरघा विकास योजना-हैण्डलूम कलस्टर विकास हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00}	4,17.61	4,17.61	...
	पुनर्वि० -1,82.39}			
₹ 1,82.39 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि की संस्वीकृति मिलने के कारण हुई थी।				
4.	107 रेशम उत्पादन उद्योग 29 तसर कीट पालको को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,15.00}	2,61.13	2,61.13	...
	पुनर्वि० -53.87}			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 06 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना रेशम का विकास (योजना)			
	मूल 2,98.00}	2,61.87	2,60.46	-1.41
	पुनर्वि० -36.13}			
6.	16 झारखण्ड राज्य रेशम उत्पादन एवं हस्त शिल्प निगम की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	22.96	-1,27.04
7.	29 तसर कीट पालकों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 8,50.00}	6,89.66	6,89.65	-0.01
	पुनर्वि० -1,60.34}			
8.	33 आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (योजना)			
	मूल 4,75.00}	4,26.49	4,26.49	...
	पुनर्वि० -48.51}			
9.	46 रेशम का विकास- रेशम कीटों के माध्यम से न्यूक्लीयस सीड रियरिंग (योजना)			
	मूल 1,15.00}	73.17	73.17	...
	पुनर्वि० -41.83}			
10.	47 रेशम का विकास- पोस्ट कोकुन का विकास (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,69.47	1,69.47	...
	पुनर्वि० -30.53}			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	49 रेशम का विकास- वृक्षारोपण-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 80.00}	35.70	35.70	...
	पुनर्वि० -44.30}			
उपर्युक्त आठ मामलों में प्रत्याशित बचत और क्रम संख्या 6 के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
	2852 उद्योग			
	80 सामान्य			
	102 औद्योगिक उत्पादकता			
12.	27 भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के लिए दिल्ली में पैवेलियन का निर्माण एवं मेला (योजना)			
	मूल 1,50.00}	81.96	81.96	...
	पुनर्वि० -68.04}			
₹ 68.04 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की सम्भावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
13.	42 प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	8.44	8.44	...
	पुनर्वि० -41.56}			
14.	50 औद्योगिक विकास के अभियान के अन्तर्गत पूँजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियाँ (योजना)			
	मूल 50.00}	6.30	6.30	...
	पुनर्वि० -43.70}			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	64 पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन- झारखण्ड उद्योग मेला (योजना)			
	मूल 2,25.00}	91.06	91.06	...
	पुनर्वि० -1,33.94}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 41.56 लाख, ₹ 43.70 लाख और ₹ 1,33.94 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजनाओं में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 01 लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}
	पुनर्वि० -4,00.00}			
2.	103 हथकरघा उद्योग 06 समेकित हस्तकरघा योजना के प्रसार, अनुश्रवण, निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
3.	07 बुनकर सेवा केन्द्र/ आई.आई.एच.टी. की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 20.00 लाख और ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2852 उद्योग			
	80 सामान्य			
	102 औद्योगिक उत्पादकता			
4.	03 फुड पार्क/नॉलेज पार्क की स्थापना-भू-अर्जन- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,37.00}
	पुनर्वि० -4,37.00}			
5.	07 एसाईड योजना हेतु राज्यांश- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,50.00}
	पुनर्वि० -2,50.00}			
6.	08 औद्योगिक सहायता केन्द्र (सिंगल विण्डो सिस्टम) की स्थापना (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की सम्भावना नहीं रहने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 4,37.00 लाख, ₹ 2,50.00 लाख एवं ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
07.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	05 भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

अन्य योजनाओं में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
--	------------	---------------------------------------	----------------------

मुख्य शीर्ष

2220	सूचना तथा प्रचार
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

राजस्व :

मूल	32,78,60}	34,69,92	26,41,17	-8,28,75
अनुपूरक	1,91,32}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 8,22,70

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 8,28.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2010 (₹ 11.50 लाख), जनवरी 2011 (₹ 34.80 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 1,45.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,91.32 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,22.70 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,28.75 लाख) से ₹ 6.05 लाख कम था।

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2220 सूचना तथा प्रचार			
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
1.	01 क्षेत्रीय प्रचार योजना (योजना)			
	मूल	30.00}	16.69	14.72
	पुनर्वि०	-13.31}		-1.97

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैक्स, होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 75.00}	64.90	63.52	-1.38
	पुनर्वि० -10.10}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 13.31 लाख तथा ₹ 10.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	06 क्षेत्रीय प्रचार योजना- गीत नाट्य (योजना)			
	मूल 50.00}	34.99	34.99	...
	पुनर्वि० -15.01}			
₹ 15.01 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य में चुनाव एवं अन्य कार्यक्रमों के कारण हुई थी।				
4.	09 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	55.32	55.32	...
	पुनर्वि० -44.68}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 क्षेत्रीय प्रचार योजना (योजना)			
	मूल 58.00}	27.68	24.73	-2.95
	पुनर्वि० -30.32}			
6.	02 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फिल्म निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	73.68	73.68	...
	पुनर्वि० -1,26.32}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 44.68 लाख, ₹ 30.32 लाख एवं ₹ 1,26.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	03 क्षेत्रीय प्रचार योजना - सूचना भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	20.00	20.00	...
	पुनर्वि० -1,80.00}			
	₹ 1,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत ठोस प्रस्ताव एवं प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।			
8.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैक्स, होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 1,25.00}	1,13.07	1,09.43	-3.64
	पुनर्वि० -11.93}			
9.	06 क्षेत्रीय प्रचार योजना- गीत एवं नाट्य (योजना)			
	मूल 50.00}	31.86	30.93	-0.93
	पुनर्वि० -18.14}			
	उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11.93 लाख एवं ₹ 18.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
10.	11 क्षेत्रीय प्रचार योजना- जनसंचार हेतु छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 25.00}	1.16	1.16	...
	पुनर्वि० -23.84}			
	₹ 23.84 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
11.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 15 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 47.61}	31.74	31.63	-0.11
	पुनर्वि० -15.87}			
	₹ 15.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2220 सूचना तथा प्रचार 60 अन्य 106 क्षेत्र प्रचार 03 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
	तकनीकी प्राक्कलन एवं ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
2.	10 क्षेत्रीय प्रचार योजना- नई मोटरगाड़ी का क्रय (योजना)			
	मूल 12.00}
	पुनर्वि० -12.00}			
	प्रशासकीय शाखा समिति से अनुसंशा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
3.	11 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सामुदायिक रेडियों कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 15.00}
	पुनर्वि० -15.00}			

ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 07 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना क्षेत्रीय प्रचार योजना- जन संचार संस्थान की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
5.	09 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
<p>पुस्तकों के चयन एवं पुस्तकालय की स्थापना की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
6.	12 क्षेत्रीय प्रचार योजना- शोध एवं अन्वेषण योजना (योजना)			
	मूल 15.00}
	पुनर्वि० -15.00}			
<p>योजना का निर्णय नहीं किये जाने के कारण ₹ 15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
7.	13 क्षेत्रीय प्रचार योजना- प्रेस क्लब की स्थापना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

प्रेस क्लब हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	14 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सामुदायिक रेडियों कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 10.00}
	पुनर्वि० -10.00}			

तकनिकी एवं व्यवहारिक असुविधाओं के फलस्वरूप योजना को लागू नहीं किये जाने के कारण ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	16 क्षेत्रीय प्रचार योजना- विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए सेमीनार, सिम्पोजिया तथा वर्कशॉप (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 25 - सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	3,48,29}	3,48,29	1,31,41	-2,16,88
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				2,11,19

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,11.19 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,16.88 लाख) से ₹ 5.69 लाख कम था।
- (ii) बचत (₹ 5.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	092 अन्य कार्यालय 10 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (गैर-योजना)			
	मूल	64.00}	49.42	43.73
	पुनर्वि०	-14.58}		-5.69

₹ 20.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	19 सांस्थिक वित्त विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 84.29}	74.96	74.96	...
	पुनर्वि० -9.33}			
₹ 9.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 सांस्थिक वित्त विभाग (ग्रामीण शाख प्रभाग) (योजना)			
	मूल 17.24}	4.36	4.36	...
	पुनर्वि० -12.88}			
4.	02 सांस्थिक वित्त विभाग (परियोजना संगठन) (योजना)			
	मूल 57.14}	7.47	7.47	...
	पुनर्वि० -49.67}			
5.	20 सांस्थिक वित्त विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका) (योजना)			
	मूल 47.00}	0.88	0.88	...
	पुनर्वि० -46.12}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 12.88 लाख, ₹ 49.67 लाख और ₹ 46.12 लाख की प्रत्याशित बचत संस्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमांत

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 35.16}
	पुनर्वि० -35.16}			
2.	06 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 35.16}
	पुनर्वि० -35.16}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं होने के कारण प्रत्येक में ₹ 35.16 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	7,26,34,90}	7,83,56,70	6,35,12,35
अनुपूरक	57,21,80}		-1,48,44,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,43,54,28
(23 दिसम्बर 2010 : 53,14,54			
23 फरवरी 2011 : 3,00,00			
23 मार्च 2011 : 43			
31 मार्च 2011 : 87,39,31)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,48,44.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 22.05 लाख), जनवरी 2011 (₹ 55,44.85 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 1,54.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 57,21.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,43,54.28 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,48,44.35 लाख) से ₹ 4,90.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना), 04-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना), 05-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) एवं 04-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,38.29 लाख, ₹ 2,40.87 लाख, ₹ 2,60.15 लाख, ₹ 14,87.75 लाख एवं ₹ 3,62.42 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,11,88.79 लाख, ₹ 33,54.60 लाख, ₹ 27,32.28 लाख, ₹ 1,60,31.41 लाख एवं ₹ 46,72.20 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	02 कर्मचारी राज्य बीमा योजना (गैर-योजना)			
	मूल	14,96.09}		
	अनुपूरक	3.82}	11,11.37	11,03.80
	पुनर्वि०	-3,88.54}		-7.57

पदों के रिक्त रहने के कारण ₹ 82.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,47.54 लाख की प्रत्याशित बचत, ₹ 59.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 7.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	2230 श्रम तथा रोजगार			
	01 श्रम			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 श्रमायुक्त (गैर-योजना)			
	मूल	1,56.09}		
	अनुपूरक	1.48}	1,32.43	1,32.43
	पुनर्वि०	-25.14}		...

₹ 25.14 लाख की प्रत्याशित बचत श्रमायुक्त एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	101 औद्योगिक संबंध 05 औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 1,59.53}			
	अनुपूरक 85.45}	2,16.88	2,06.37	-10.51
	पुनर्वि० -28.10}			

₹ 28.10 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 10.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

4.	103 सामान्य श्रम कल्याण 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 12,00.00}	3,71.56	3,71.56	...
	पुनर्वि० -8,28.44}			

₹ 8,28.44 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों में स्मार्ट कार्ड का निर्माण नहीं होने (₹ 5,28.44 लाख) तथा केवल 24 जिलों में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन किये जाने (₹ 3,00.00 लाख) के कारण हुई थी।

5.	111 श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा 01 झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन नियमावली, 2006) के अन्तर्गत कल्याण बोर्ड का क्रियाकलाप एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	4,89.40	4,87.41	-1.99
	पुनर्वि० -5,10.60}			

कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण ₹ 1,89.54 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती की गई तथा ₹ 2,60.60 लाख की प्रत्याशित बचत हुई। ₹ 60.46 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गई कटौती के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 बाल श्रमिक आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	9.10	9.10	...
	पुनर्वि० -40.90}			
	₹ 40.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
7.	02 श्रमायुक्त के अधीनस्थ नये राजपत्रित पदों का सृजन (योजना)			
	मूल 50.00}	6.43	5.99	-0.44
	पुनर्वि० -43.57}			
	₹ 43.57 लाख की प्रत्याशित बचत राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई थी।			
8.	07 बीड़ी मजदूरों के लिये अस्पताल निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	23.44	23.44	...
	पुनर्वि० -26.56}			
	₹ 26.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
9.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 12,00.00}	8,88.05	8,88.05	...
	पुनर्वि० -3,11.95}			
	₹ 3,11.95 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,00.00 लाख की बचत केवल चौबीस जिलों में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 11.95 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	02 रोजगार सेवाएं 101 रोजगार सेवाएं 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 1,59.00 } पुनर्वि० -50.64 }	1,08.36	1,08.17	-0.19
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)			
	मूल 1,66.00 } पुनर्वि० -90.68 }	75.32	74.94	-0.38
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.64 लाख एवं ₹ 90.68 लाख की प्रत्याशित बचत पदों का सृजन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
12.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 10,80.85 } पुनर्वि० -9,00.52 }	1,80.33	1,79.72	-0.61
₹ 9,00.52 लाख की प्रत्याशित बचत वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने (₹ 6,50.00 लाख) एवं व्यावसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने (₹ 2,50.52 लाख) के कारण हुई थी।				
13.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचों का सुदृढ़ीकरण (योजना)			
	मूल 15,73.00 } पुनर्वि० -4,40.42 }	11,32.58	11,32.58	...

₹ 4,40.42 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,80.00 लाख की बचत वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 60.42 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,23.40}	1,74.60	1,74.60	...
	पुनर्वि० -2,48.80}			
₹ 2,48.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
15.	38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 11,45.85}	1,86.86	1,81.12	-5.74
	पुनर्वि० -9,58.99}			
₹ 9,58.99 लाख की प्रत्याशित बचत वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने (₹ 7,00.00 लाख) एवं व्यावसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 2,58.99 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 5.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
16.	09 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 19,05.00}	11,94.40	11,77.90	-16.50
	पुनर्वि० -7,10.60}			
₹ 7,10.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,20.00 लाख की बचत वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,90.60 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 16.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
17.	42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 23,47.00}	16,51.61	16,51.61	...
	पुनर्वि० -6,95.39}			
₹ 6,95.39 लाख की प्रत्याशित बचत वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने के कारण हुई थी।				

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 2,24.32}	4,21.96	3,85.59	-36.37
	अनुपूरक 3,88.37}			
	पुनर्वि० -1,90.73}			

₹ 1,90.73 लाख की प्रत्याशित बचत नये पेंशनधारियों का चयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 36.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

19.	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 6,40.00}	4,04.60	3,65.70	-38.90
	पुनर्वि० -2,35.40}			

₹ 2,35.40 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,35.40 लाख की बचत जिलों से निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 38.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

20.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,11.55	2,11.52	-0.03
	पुनर्वि० -88.45}			

₹ 88.45 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
21.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 53,90.20}	47,57.99	47,54.40	-3.59
	पुनर्वि० -6,32.21}			
<p>₹ 6,32.21 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,82.21 लाख की बचत मृत पेंशनधारियों के बदले नये पेंशनधारियों के चयन में विलम्ब के कारण हुई थी। ₹ 2,50.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 3.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
22.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 20,73.20}	18,36.81	18,37.33	+0.52
	पुनर्वि० -2,36.39}			
<p>₹ 2,36.39 लाख की प्रत्याशित बचत मृत पेंशनधारियों के बदले नये पेंशनधारियों के चयन में विलम्ब के कारण हुई थी।</p>				
23.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 8,19.10}	10,20.14	10,05.49	-14.65
	अनुपूरक 8,55.52}			
	पुनर्वि० -6,54.48}			
24.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 1,37.48}	1,37.40	1,37.40	...
	अनुपूरक 1,75.42}			
	पुनर्वि० -1,75.50}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 6,54.48 लाख तथा ₹ 1,75.50 लाख की प्रत्याशित बचत नये पेंशनधारियों का चयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 23 के अन्तर्गत ₹ 14.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
25.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 10,60.00}	6,91.34	6,61.23	-30.11
	पुनर्वि० -3,68.66}			
<p>₹ 3,68.66 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,68.66 लाख की बचत जिलों के द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 2,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 30.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
26.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 21,55.47}	35,92.16	35,51.26	-40.90
	अनुपूरक 22,51.46}			
	पुनर्वि० -8,14.77}			
<p>₹ 8,14.77 लाख की प्रत्याशित बचत नये पेंशनधारियों का चयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 40.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
27.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 3,61.80}	2,49.90	2,51.47	+1.57
	अनुपूरक 3,92.47}			
	पुनर्वि० -5,04.37}			

₹ 5,04.37 लाख की प्रत्याशित बचत नये पेंशनधारियों का चयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1.57 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
	60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102	समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
28.	01	वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल	6,61.79}	4,97.23	4,99.58	+2.35
	पुनर्वि०	-1,64.56}			

₹ 1,64.56 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 2.35 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
	2230	श्रम तथा रोजगार			
	01	श्रम			
	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1.	10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल	6,00.00}
	पुनर्वि०	-6,00.00}			

योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों में स्मार्ट कार्ड का निर्माण नहीं होने (₹ 2,00.00 लाख) एवं चौबीस जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन किये जाने (₹ 4,00.00 लाख) के कारण 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	12	बीड़ी मजदूरों के लिये आवास निर्माण (योजना)			
	मूल	80.00}
	पुनर्वि०	-80.00}			

₹ 80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने की योजना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
	वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			
4.	40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
	₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 कन्सलटेन्सी (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
6.	29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने की योजना (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
	वृद्धावस्था पेंशन हेतु निधि का प्रावधान कम किये जाने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	32 शिल्प प्रशिक्षण/ प्रशिक्षु प्रशिक्षण का सुदृढीकरण योजना (योजना)			
	मूल	30.00}
	पुनर्वि०	-30.00}

पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप उप-निदेशक, प्रशिक्षण, दुमका का वेतन-पूर्जा निर्गत नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

8.	40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल	40.00}
	पुनर्वि०	-40.00}

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष				
2014	न्याय प्रशासन			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	1,22,19,66}	2,03,45,00	1,74,51,01	-28,93,99
अनुपूरक	81,25,34}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 28,79,62

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 28,93.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 63,90.94 लाख), जनवरी 2011 (₹ 7,68.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 9,66.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 81,25.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28,79.62 लाख), अंतिम बचत (₹ 28,93.99 लाख) से ₹ 14.37 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 01-सिविल और सेशन न्यायालय (गैर-योजना) तथा 02-फास्ट ट्रैक कोर्ट (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,35.30 लाख तथा ₹ 1,11.73 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 1,45,51.87 लाख एवं ₹ 11,76.55 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	
	2014 न्याय प्रशासन			
	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता			
1.	03 सरकारी मुकदमों (गैर-योजना)			
	मूल	1,70.00}	1,46.77	1,41.94
	पुनर्वि०	-23.23}		-4.83

₹ 23.23 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ वकीलों द्वारा समय पर विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	04 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडिशियल एकेडेमी) (गैर-योजना)			
	मूल 1,15.20}	80.84	82.06	+1.22
	पुनर्वि० -34.36}			

₹ 34.36 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।
₹ 1.22 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

3.	06 स्थायी लोक अदालत- अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	85.64	65.77	-19.87
	अनुपूरक 2.00}			
	पुनर्वि० -16.36}			

₹ 16.36 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ लोक अदालतों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 19.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

4.	10 13वें वित्त आयोग की अनुसंशा के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों/लोक अभियोजकों को ज्यूडिशियल अकादमी द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,64.40}	1,56.18	1,56.18	...
	पुनर्वि० -1,08.22}			

₹ 1,08.22 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि की स्वीकृति मिलने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2014 न्याय प्रशासन 105 सिविल और सेशन न्यायालय 04 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला जजों के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,19.26}
	पुनर्वि० -2,19.26}			

कोर्ट मैनेजर के प्रस्तावित पद का सृजन नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,19.26 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

2.	05 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में गठित प्रातःकालीन/सायंकालीन कोर्ट (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 16,52.40}
	पुनर्वि० -16,52.40}			

प्रस्तावित प्रातःकालीन/सायंकालीन कोर्ट का गठन नहीं होने के कारण ₹ 16,52.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	06 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट बिल्डिंग हेतु (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 2,97.40}
	पुनर्वि० -2,97.40}			

उच्च प्राधिकार समिति द्वारा हेरीटेज कोर्ट बिल्डिंग हेतु प्रस्ताव की अनुशांसा नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,97.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**विनियोग संख्या - 28 - झारखण्ड उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2014 न्याय प्रशासन				
राजस्व :				
मूल	28,49,41}	36,77,08	33,85,36	-2,91,72
अनुपूरक	8,27,67}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				3,20,91

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 2,91.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 66.67 लाख), जनवरी 2011 (₹ 50.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 7,11.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,27.67 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,20.91 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,91.72 लाख) से ₹ 29.19 लाख अधिक था।
- (iii) शीर्ष 102-उच्च न्यायालय, 01-उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,71.77 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 36,57.14 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत कम है, के अलावे निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102 उच्च न्यायालय				
02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)				
मूल	19.94}
पुनर्वि०	-19.94}			

कोर्ट मैनेजर के पद का सृजन नहीं होने के कारण ₹ 19.94 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	24,15,19}	24,23,86	18,55,30	-5,68,56
अनुपूरक	8,67}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,23,04
(4 मार्च 2011 : 55,00				
31 मार्च 2011 : 3,68,04)				

पूंजी :

मूल	10,00}	10,00	10,00	...
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,00
(4 मार्च 2011)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 5,68.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2011 (₹ 4.90 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 3.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,23.04 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,68.56 लाख) से ₹ 1,45.52 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 02 खानों का विनियमन तथा विकास 001 निदेशन और प्रशासन 01 खनन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 11,25.58}			
	अनुपूरक 2.41}	8,76.52	8,10.97	-65.55
	पुनर्वि० -2,51.47}			
₹ 3,17.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	01 खनन स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,00.93	76.42	-24.51
	पुनर्वि० -49.07}			
₹ 49.07 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 31.70 लाख की प्रत्याशित बचत परिवहन चालान की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 17.37 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 24.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	102 खनिज खोज 01 भूतात्विक वेधन एवं प्रयोगात्मक कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 2,35.00}	1,83.86	1,24.08	-59.78
	पुनर्वि० -51.14}			
₹ 1,10.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 04 खान एवं भूतत्व विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,66.82}	1,36.23	1,36.23	...
	अनुपूरक 0.03}			
	पुनर्वि० -30.62}			
₹ 30.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

पूँजी :

(iv) ₹ 10.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 10.00 लाख का व्यय किया गया तथा उतनी ही राशि का अभ्यर्पण भी 4 मार्च 2011 को किया गया।

(v) निम्नलिखित मामले में व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय			
02 अलौह धातु			
004 अनुसंधान तथा विकास			
01 खनन स्थापना - मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
मूल	10.00}	...	10.00
पुनर्वि०	-10.00}		+10.00

बिना बजट प्रावधान के ₹ 10.00 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 30 - अल्प संख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	69,66}	1,11,36	87,33	-24,03
अनुपूरक	41,70}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				23,97

पूंजी :

मूल	19,37,00}	23,13,22	21,53,09	-1,60,13
अनुपूरक	3,76,22}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				6,11

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 24.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 41.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 5.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान 01 झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, राँची को अनुदान (गैर-योजना)	2.11	2.11	...
	मूल 8.36 } पुनर्वि० -6.25 }			

₹ 6.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन नहीं होने तथा माननीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिये जाने (₹ 5.88 लाख) के कारण हुई थी।

2.	02 झारखंड राज्य हज समिति को अनुदान (गैर-योजना)	7.77	7.77	...
	मूल 9.38 } अनुपूरक 14.00 } पुनर्वि० -15.61 }			

₹ 15.61 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने एवं विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

पूँजी :

(iii) ₹ 1,60.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,76.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,60.13 लाख) से ₹ 1,54.02 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

(v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 01 अल्प संख्यक कल्याण विभाग के लिये छात्रावास का निर्माण (योजना)	3,35.46	2,87.84	-47.62
	मूल 3,40.00 } पुनर्वि० -4.54 }			
2.	10 छात्रावास-बर्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (योजना)	40.00	6.81	-33.19
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 अल्प संख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)	1,00.00	59.30	-40.70
4.	09 छात्रावास-बर्तन, उपकरण एवं टी०वी० (योजना)	90.00	70.06	-19.94

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 33.19 लाख, ₹ 40.70 लाख एवं ₹ 19.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	14,70}	14,70	7,60	-7,10
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				7,10

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
090	सचिवालय			
22	संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)			
मूल	14.70}	7.60	7.60	...
पुनर्वि०	-7.10}			

₹ 7.10 लाख की प्रत्याशित बचत आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायों के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 32 - विधान मंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :				
दत्तमत:				
मूल	34,81,82}	40,22,14	36,04,67	-4,17,47
अनुपूरक	5,40,32}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				4,12,58
प्रभारित :				
मूल	18,00}	18,00	28,40	+10,40
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				9,16
टीका एवं टिप्पणियाँ:				
दत्तमत :				
(i) ₹ 4,17.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,40.32 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,12.58 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,17.47 लाख) से ₹ 4.89 लाख कम था।				

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, 103-विधानमंडल सचिवालय, 01-विधान सभा सचिवालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 96.26 लाख की बचत, जो कि ₹ 26,87.76 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	02 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
	101 विधान सभा			
	04 सचेतकगण का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 41.36}			
	अनुपूरक 48.75}	52.53	52.58	+0.05
	पुनर्वि० -37.58}			
<p>₹ 37.58 लाख की प्रत्याशित बचत झारखंड विधान सभा निलंबित रहने के फलस्वरूप निजी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
2.	05 सदस्यगण (गैर-योजना)			
	मूल 4,49.00}			
	अनुपूरक 8.00}	3,18.34	3,15.46	-2.88
	पुनर्वि० -1,38.66}			
<p>₹ 2.56 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 1,36.10 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः विरोधी दल के नेता के लिये नई गाड़ी का क्रय तथा झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के कारण हुई थी।</p>				
3.	07 सदस्यगण-निःशुल्क रेल भाड़ा एवं कूपन (गैर-योजना)			
	मूल 6,10.00}	5,11.76	5,11.76	...
	पुनर्वि० -98.24}			
	<p>₹ 1.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹ 96.84 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः विपत्र का भुगतान तथा राज्य विधान सभा के निलंबित रहने के कारण हुई थी।</p>			

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	10 सदस्यगण-माननीय सदस्यों के निजी सहायकों का वेतन (गैर-योजना)			
	मूल 74.40}	59.36	57.76	-1.60
	पुनर्वि० -15.04}			

₹ 15.04 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय सदस्यों के द्वारा निजी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

प्रभारित :

- (iv) अनुदान से ₹ 10,39,547 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (v) ₹ 10.40 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, 31 मार्च 2011 को प्रत्याशित बचत के रूप में ₹ 9.16 लाख का अभ्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।
- (vi) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में की गई कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल			
101 विधान सभा			
01 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, आतिथ्य भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित) (गैर-योजना)			
मूल 18.00}	8.84	28.40	+19.56
पुनर्वि० -9.16}			

₹ 9.16 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 19.56 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 33 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष				
2051	लोक सेवा आयोग			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2220	सूचना एवं प्रचार			

राजस्व :

मूल	12,06,53}	17,02,69	13,22,37	-3,80,32
अनुपूरक	4,96,16}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 4,18,85

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 3,80.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 2,46.35 लाख), जनवरी 2011 (₹ 1,99.31 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 50.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,96.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,18.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,80.32 लाख) से ₹ 38.53 लाख अधिक था।

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	

2051	लोक सेवा आयोग			
103	कर्मचारी चयन आयोग			
1.	01 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
	अनुपूरक	2,46.35}	63.72	63.72
	पुनर्वि०	-1,82.63}		...

₹ 1,82.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003 प्रशिक्षण 02 उप-दंडाधिकारियों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,39.02}			
	अनुपूरक 1,79.49}	3,69.17	3,69.82	+0.65
	पुनर्वि० -49.34}			

₹ 49.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः उप-निदेशक (विधि) के स्थानान्तरण के फलस्वरूप बकाया वेतन एवं भत्ते की निकासी नहीं होने एवं नवनियुक्त आई०ए०एस० के प्रशिक्षकों की संख्या कम रहने (₹ 45.88 लाख) तथा आर्थिक मित्तव्ययिता के उपायो (₹ 1.44 लाख) के कारण हुई थी।

3.	104 निगरानी 01 लोकायुक्त का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 54.81}			
	अनुपूरक 23.50}	62.05	62.04	-0.01
	पुनर्वि० -16.26}			

₹ 16.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यालय में अधिकांश पदों के रिक्त रहने (₹ 6.42 लाख) एवं संस्वीकृति आदेश की अनुपलब्धता के फलस्वरूप नई मोटरगाड़ी का क्रय नहीं होने (₹ 7.50 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान, रांची का उन्नयन (योजना)			
मूल 95.20}
पुनर्वि० -95.20}			

₹ 95.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**विनियोग संख्या - 34 - झारखंड लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
राजस्व :			
मूल	4,05,31}	4,25,31	-1,34,35
अनुपूरक	20,00}		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 1,33,92

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,34.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
शीर्ष			
102 राज्य लोक सेवा आयोग			
01 लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
मूल	4,05.31}		
अनुपूरक	20.00}	2,91.39	-0.43
पुनर्वि०	-1,33.92}		

₹ 1,33.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) परीक्षा का आयोजन नहीं होने (₹ 73.18 लाख), (ii) समय पर संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 19.51 लाख), (iii) कार्यरत कर्मचारियों की कमी (₹ 18.71 लाख), (iv) विपत्र प्राप्त नहीं होने (₹ 14.00 लाख) एवं छुट्टी यात्रा रियायत एवं दौरे का उपयोग नहीं किये जाने (₹ 4.37 लाख) के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			

राजस्व :

मूल	20,13,02}	30,16,52	16,15,65	-14,00,87
अनुपूरक	10,03,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011) 14,25,33

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 14,00.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 9,60.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 41.50 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 2.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,03.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,25.33 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,00.87 लाख) से ₹ 24.46 लाख अधिक था।

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	
1.	2053 जिला प्रशासन 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (सिविल निबन्धन प्रणाली) के व्यय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल	32.00}	21.05	20.75
	पुनर्वि०	-10.95}		-0.30

₹ 11.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
	204	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन			
	05	प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी तंत्र (गैर-योजना)			
	मूल	2,05.71}	1,50.76	1,50.87	+0.11
	पुनर्वि०	-54.95}			
3.	12	क्षेत्र एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल	19.80}	9.53	9.55	+0.02
	पुनर्वि०	-10.27}			
4.	205	राज्य सांख्यिकी एजेंसी			
	01	सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल	1,00.00}	22.76	22.16	-0.60
	पुनर्वि०	-77.24}			
5.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	12	सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल	1,75.00}	35.25	35.42	+0.17
	पुनर्वि०	-1,39.75}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 54.95 लाख, ₹ 10.27 लाख, ₹ 77.24 लाख एवं ₹ 1,39.75 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 02 13वें वित्त आयोग के अनुसंशा के आलोक में जिला जिर्णोद्धार राशि के लिये अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
केन्द्र सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 जिला योजना के लिए अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 12.00}
	पुनर्वि० -12.00}			
3.	13 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 17.00}
	पुनर्वि० -17.00}			
4.	17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (सिविल निबन्धन प्रणाली के व्यय का सुदृढीकरण) (के०प्रा०यो०) (योजना)			
	मूल 24.00}
	पुनर्वि० -24.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 12.00 लाख, ₹ 17.00 लाख एवं ₹ 24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	19	13वें वित्त आयोग के अनुसंशा के आलोक में जिला जिर्णोद्धार राशि के लिए अनुदान (योजना)		
	अनुपूरक	2,80.00}
	पुनर्वि०	-2,80.00}		
6.	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	205	राज्य सांख्यिकी एजेंसी		
	02	13वें वित्त आयोग के आलोक में राज्य सांख्यिकीय तंत्र के लिये अनुदान (गैर-योजना)		
	अनुपूरक	4,80.00}
	पुनर्वि०	-4,80.00}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,80.00 लाख एवं ₹ 4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	1,66,61,02}	1,76,81,52	1,74,07,84
अनुपूरक	10,20,50}		-2,73,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)			2,96,39
पूंजी :			
मूल	3,00,00,00}	3,45,06,80	2,67,24,85
अनुपूरक	45,06,80}		-77,81,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (17 फरवरी 2011 : 25,00,00 31 मार्च 2011 : 52,55,25)			77,55,25
टीका एवं टिप्पणियाँ :			
राजस्व :			
(i) ₹ 2,73.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, जनवरी 2011 (₹ 1,00.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 9,20.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,20.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,96.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,73.68 लाख) से ₹ 22.71 लाख अधिक था।			
(iii) शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जल पूर्ति, 101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम, 01-आदित्यपुर जल पूर्ति योजना (गैर-योजना), 04-नगर निगम की शहरी जल पूर्ति योजना (गैर-योजना) एवं 102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, 02-ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 29.06 लाख, ₹ 45.73 लाख एवं ₹ 2,36.32 लाख की कुल बचत क्रमशः ₹ 5,92.74 लाख, ₹ 30,09.95 लाख एवं ₹ 31,15.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

पूँजी :

(iv) ₹ 77,81.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 45,06.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 77,55.25 लाख), अंतिम बचत (77,81.95 लाख) से ₹ 26.70 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जल पूर्ति 102 ग्रामीण जल पूर्ति 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 48,86.00}	28,85.66	28,93.63	+7.97
	पुनर्वि० -20,00.34}			
	₹ 19,92.37 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
2.	04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरीय क्षेत्र में जल पूर्ति (योजना)			
	मूल 1,43.00}	66.73	54.64	-9.09
	पुनर्वि० -76.27}			
	₹ 85.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
3.	06 बड़े शहरों में जलपूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 18,00.00}	11,00.00	11,00.00	...
	पुनर्वि० -7,00.00}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	08 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 59,22.00}	46,51.00	46,51.00	...
	पुनर्वि० -12,71.00}			
5.	106 मल निकासी सेवाएं 07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 7,75.00}	6,80.00	6,80.00	...
	पुनर्वि० -95.00}			
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 1,70.00}	74.91	74.00	-0.91
	पुनर्वि० -95.09}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 12,71.00 लाख, ₹ 95.00 लाख एवं ₹ 95.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 ग्रामीण जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 19,65.00}	15,89.29	15,71.11	-18.18
	पुनर्वि० -3,75.71}			
8.	04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरीय क्षेत्रों में जल पूर्ति (योजना)			
	मूल 3,07.00}	2,68.54	2,60.06	-8.48
	पुनर्वि० -38.46}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,93.89 लाख एवं ₹ 46.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	06 बड़े शहरो में जल पूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	22.02	22.02	...
	पुनर्वि० -77.98}			
10.	07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 9,00.00}	5,95.00	5,95.00	...
	पुनर्वि० -3,05.00}			
11.	08 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (योजना)			
	मूल 85,06.00}	59,00.00	59,00.00	...
	पुनर्वि० -26,06.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 77.98 लाख, ₹ 3,05.00 लाख एवं ₹ 26,06.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
मूल 50.00}
पुनर्वि० -50.00}			

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

(viii) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किये गये व्यय में से ₹ (-) 1.10 लाख (निवल) को शीर्ष "उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2011 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2215 जल पूर्ति तथा सफाई विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,17.59	...	3.11	(-) 3.11	1,14.48
जोड़	1,17.59	...	3.11	(-) 3.11	1,14.48
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय विविध निर्माण कार्य अग्रिम	3.51	2.01	...	2.01	5.52
जोड़	3.51	2.01	...	2.01	5.52

**अनुदान संख्या - 37 - राजभाषा विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	8,71,15}	8,79,79	8,72,88	-6,91
अनुपूरक	8,64}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				10,91

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 6.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 8.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10.91 लाख), अंतिम बचत (₹ 6.91 लाख) से ₹ 4.00 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या - 38 - निबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण			
राजस्व :				
मूल	12,04,18}	16,28,75	15,39,35	-89,40
अनुपूरक	4,24,57}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 89.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 2,02.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 50.00 लाख) एवं मार्च 2011(₹ 1,72.57 लाख) में प्राप्त किया गया 4,24.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई भी हिस्सा अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) शीर्ष-03-पंजीकरण, 001-निदेशन और प्रशासन, 02-जिला प्रभार (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 63.98 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 11,74.43 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
02	स्टाम्प-न्यायिकेत्तर			
101	स्टाम्पों की लागत			
02	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
मूल	60.00}	60.00	48.11	-11.89

₹ 11.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
राजस्व :				
मूल	45,68,96}	5,70,50,76	5,28,41,31	-42,09,45
अनुपूरक	5,24,81,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				42,29,20

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 42,09.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 2,64,46.80 लाख), जनवरी 2011 (₹ 1,00,00.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 1,60,35.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,24,81.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 42,29.20 लाख), अंतिम बचत (₹ 42,09.45 लाख) से ₹ 19.75 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 282-लोक स्वास्थ्य, 01-दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,53.20 लाख की बचत, जो कि ₹ 16,15.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	01 पुनर्वास			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	01 प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित स्थापन व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,79.22}			
	अनुपूरक 1.80}	1,43.92	1,37.59	-6.33
	पुनर्वि० -37.10}			

₹ 37.10 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ ग्रेड 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों का स्थानान्तरण बिहार में होने के कारण हुई थी। ₹ 6.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
	01 सूखा			
	101 आनुग्रहित राहत			
	01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 1.00}	5,03.29	5,03.29	...
	अनुपूरक 6,00.00}			
	पुनर्वि० -97.71}			

₹ 97.71 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	72,19.55	72,19.55	-
	अनुपूरक 55,00.00}			
	पुनर्वि० 16,19.55}			

सूखा क्षेत्र घोषित किये जाने के फलस्वरूप राज्य के चौबीस जिलों में खाद्यान्न की त्वरित आपूर्ति किये जाने के कारण ₹ 25,62.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 9,42.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

4.	06 अन्य कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	3,84.19	3,84.19	...
	पुनर्वि० -1,15.81}			

₹ 1,15.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

5.	07 कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक) (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	16,55.91	16,55.91	...
	अनुपूरक 20,00.00}			
	पुनर्वि० -13,44.09}			

चौबीस जिलों में खाद्यान्न की त्वरित आपूर्ति किये जाने के कारण ₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 10,94.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

6.	102 पीने के पानी की पूर्ति 01 ट्रकों एवं टैंकों से पेयजल की दुलाई (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	19.33	19.33	...
	पुनर्वि० -80.67}			

₹ 80.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	02 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}	54,37.50	54,37.50	...
	अनुपूरक 72,00.00}			
	पुनर्वि० -18,12.50}			

चौबीस जिलों में खाद्यान्न की त्वरित आपूर्ति किये जाने के कारण ₹ 18,12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।

	02 बाढ़, चक्रवात आदि			
	113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
8.	02 बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	87.12	87.12	...
	पुनर्वि० -19,12.88}			

चौबीस जिलों में खाद्यान्न की त्वरित आपूर्ति किये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 14,12.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
	02 बाढ़, चक्रवात आदि			
	101 आनुग्रहिक राहत			
1.	01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
3.	112 जनसंख्या का निष्क्रमण 01 जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
4.	282 लोक स्वास्थ्य 01 मानव दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
5.	80 सामान्य 102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध 02 संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन सम्बन्धी उपकरणों की उपलब्धी (गैर-योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

जिलों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 50.00, ₹ 50.00 लाख, ₹ 25.00 लाख और ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

(v) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा दायित्व निधि:

9वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की योजना बनायी। यह योजना वित्तीय वर्ष 1990-91 में लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी 10वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को 1995-96 से जारी रखने की अनुशंसा की तथा यह वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक जारी रही। पुनः 11वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 2004-05 तक जारी रखने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के प्रशासन एवं संचालन की योजना को वर्ष 2005-2010 के अंत तक जारी रखा है।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ने अपने पत्र संख्या 32-3/2010 एन०डी०एम०-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अधीन वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा दायित्व निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य आपदा दायित्व निधि को स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया गया। राज्य आपदा राहत निधि में 31 मार्च 2010 के शेष को राज्य आपदा दायित्व निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा आपदा राहत निधि का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए।

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

झारखण्ड के आपदा राहत कोष के लिए वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक अंशदान की राशि निम्नलिखित होगी:-

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	जोड़
	(करोड़ रुपयों में)					
केन्द्रांश (75%)	1,94.59	2,04.32	2,14.53	2,25.26	2,36.52	10,75.22
राज्यांश (25%)	64.86	68.10	71.51	75.08	78.84	3,58.39
जोड़	2,59.45	2,72.42	2,86.04	3,00.34	3,15.36	14,33.61

वर्ष 2010-11 के लिए, भारत सरकार ने 2010-11 के पहले एवं दूसरे किश्त के रूप में ₹ 1,94.59 करोड़ की राशि 30 जून 2010 तथा 9 सितम्बर 2010 को विमुक्त किया। राज्य सरकार ने संस्वीकृति निर्गत की तथा ₹ 2,59.45 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 1,94.59 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 64.86 करोड़) वर्ष 2010-11 के पहले एवं दूसरे किश्त के रूप में स्थानान्तरित किया। अंशदान की कुल राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों) को मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ" के अधीनस्थ राज्य आपदा दायित्व निधि में जमा किया जाना है।

13वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर मुख्य शीर्ष "8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ" के अधीनस्थ लघु शीर्ष 111-आपदा राहत निधि के अन्तर्गत ₹ 8,60.55 करोड़ (जमा), लघु शीर्ष 112-आपदा राहत निधि-निवेश लेखा के अन्तर्गत ₹ 1,16.22 करोड़ (नामे), एवं लघु शीर्ष 200-अन्य निधियाँ के अन्तर्गत ₹ 23.60 करोड़ (जमा) की शेष राशि को शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, 122-राज्य आपदा दायित्व निधि" में 31 मार्च 2010 को स्थानान्तरित किया गया। ₹ 7,67.93 करोड़ के अथ शेष तथा निधि में स्थानान्तरित एवं निधि से पुनर्भुगतान की राशि को लेखे में लिये जाने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2011 को अन्त शेष ₹ 5,44.75 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या - 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सवेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,19,17,90}	2,43,81,46	2,15,86,98	-27,94,48
अनुपूरक	24,63,56}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(30 मार्च 2011) 15,17,67

पूंजी :

मूल	1}	1	...	-1
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 27,94.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 20.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 2,54.97 लाख) तथा मार्च 2011 (₹ 21,88.59 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,63.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पुर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,17.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 27,94.48 लाख) से ₹ 12,76.81 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2029-भू राजस्व, 104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, 01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरात रेमीशन कमिटी सहित) (गैर-योजना) तथा 2053-जिला प्रशासन, 093-जिला स्थापना, 01-जिला प्रशासन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 10,38.85 लाख तथा ₹ 1,28.40 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,18,64.99 लाख तथा ₹ 38,48.70 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व			
	102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य			
	15 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 28,89.89}	23,31.12	22,31.91	-99.21
	अनुपूरक 40.00}			
	पुनर्वि० -5,98.77}			
₹ 5,98.77 लाख की प्रत्याशित बचत बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग का पद तीन माह से रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 99.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
	092 अन्य कार्यालय			
	04 भूमि अधिग्रहण से संबंधित स्थापना व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 4,59.08}	5,99.08	5,13.70	-85.38
	अनुपूरक 1,45.00}			
	पुनर्वि० -5.00}			

₹ 90.38 लाख (जिसमें पूर्व वर्षों के आपत्तिगत बही उचंत से समाशोधन के रूप में ₹ 0.24 लाख सम्मिलित है) की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
3.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	115	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
	03	परिसदन (गैर-योजना)			
	मूल	1,18.47}	91.59	91.19	-0.40
	अनुपूरक	17.20}			
	पुनर्वि०	-44.08}			
4.	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
	200	अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
	01	जमीन की वार्षिक दरों के आधार पर जिला परिषदों को सेस की अदायगियाँ (गैर-योजना)			
	मूल	40.00}	16.70	16.70	...
	पुनर्वि०	-23.30}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 44.08 लाख तथा ₹ 23.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
2.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	06 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यालय का निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			

जमीन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	103 भू-अभिलेख 01 भु-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
5.	104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध 03 भु-दान यज्ञ समिति को सहायता अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 21.38}	21.38	...	-21.38
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,00.00 लाख तथा ₹ 21.38 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 08 सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यालय का निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु (योजना)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			
जमीन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख रु० के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	13 राजस्व कर्मचारियों का प्रशिक्षण			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,22,01,86}	1,88,90,86	1,68,30,58	-20,60,28
अनुपूरक	66,89,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 15,29,57

पूंजी :

मूल	6,97,40,00}	8,17,44,53	6,70,74,63	-1,46,69,90
अनुपूरक	1,20,04,53}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 1,36,20,32
(7 दिसम्बर 2010 : 4,53
31 मार्च 2011 : 1,36,15,79)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 20,60.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 60,00.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 56.63 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 6,32.37 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 66,89.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,29.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 20,60.28 लाख) से ₹ 5,30.71 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3054 सड़क तथा सेतु 03 राज्य राजमार्ग 337 सड़क निर्माण-कार्य 01 सड़क निर्माण-कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 40,00.00}	91,29.51	87,76.42	-3,53.09
	अनुपूरक 60,00.00}			
	पुनर्वि० -8,70.49}			
2.	02 कार्यभारित स्थापना पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	88.72	67.56	-21.16
	पुनर्वि० -11.28}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12,23.58 लाख एवं ₹ 32.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	799 उच्चत 05 उच्चत (गैर-योजना)			
		...	-30.26	-30.26
इस उच्चत शीर्ष में नाम से अधिक जमा के कारण ₹ 30.26 लाख की अंतिम बचत हुई।				
4.	80 सामान्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 अनुश्रवण (योजना)			
	मूल 1,58.35}	96.19	53.33	-42.86
	पुनर्वि० -62.16}			

₹ 1,05.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	06 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना प्रभाग-निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 91.18}	69.18	69.69	+0.51
	अनुपूरक 10.00}			
	पुनर्वि० -32.00}			
₹ 31.49 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
6.	08 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना प्रभाग-कार्य सम्पादन (गैर-योजना)			
	मूल 14,91.03}	11,98.24	11,69.99	-28.25
	अनुपूरक 12.26}			
	पुनर्वि० -3,05.05}			
निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 11.55 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 3,21.75 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	09 अग्रिम योजना स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 4,01.72}	3,39.08	3,34.42	-4.66
	अनुपूरक 0.57}			
	पुनर्वि० -63.21}			
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 कार्य सम्पादन (योजना)			
	मूल 3,00.82}	2,75.49	2,62.26	-13.23
	पुनर्वि० -25.33}			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	03 अनुश्रवण (योजना)			
	मूल 1,89.18}	1,24.12	1,04.61	-19.51
	पुनर्वि० -65.06}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 67.87 लाख, ₹ 38.56 लाख एवं ₹ 84.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

(iv) ₹ 1,46,69.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,20,04.53 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,36,20.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,46,69.90 लाख) से ₹ 10,49.58 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	03 राज्य राजमार्ग			
	101 सेतु			
	01 पुल (योजना)			
	मूल 25,35.00}	7,17.75	7,01.04	-16.71
	पुनर्वि० -18,17.25}			
2.	337 सड़क निर्माण-कार्य			
	01 वृहद सड़कें (योजना)			
	मूल 1,37,10.00}	1,10,73.15	1,09,68.98	-1,04.17
	पुनर्वि० -26,36.85}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 18,33.96 लाख एवं ₹ 27,41.02 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	08 वृहद सड़कें-राज्य मार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 50,00.00}	45,48.48	35,56.59	-9,91.89
	अनुपूरक 4.53}			
	पुनर्वि० -4,56.05}			
<p>₹ 4,56.05 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4.53 लाख की बचत सविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4,51.52 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 9,91.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 वृहद सड़कें (योजना)			
	मूल 2,96,90.00}	3,82,99.33	3,40,22.58	-42,76.75
	अनुपूरक 1,20,00.00}			
	पुनर्वि० -33,90.67}			
<p>₹ 33,90.67 लाख की प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित प्राक्कलन की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 42,76.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
5.	03 पुल (योजना)			
	मूल 35,30.00}	30,22.82	30,20.99	-1.83
	पुनर्वि० -5,07.18}			
6.	06 मशीन तथा उपकरण (योजना)			
	मूल 1,65.00}	34.87	34.23	-0.64
	पुनर्वि० -1,30.13}			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	08 वृहद सड़कों-राज्य मार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,04,27.81	57,23.60	-47,04.21
	पुनर्वि० -45,72.19}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 5,09.01 लाख ₹ 1,30.77 लाख एवं ₹ 92,76.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(vii) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपस्कर			
06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
मूल 1,10.00}
पुनर्वि० -1,10.00}			

₹ 1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामले में बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
799 उच्चत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)			
	...	90,46.61	+90,46.61

₹ 90,46.61 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(ix) उच्चत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 90,16.35 लाख (निवल) का उपयोग “उच्चत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2011 को अन्तशेष
(लाख रुपयों में)					
(i) 3054-सड़क तथा सेतु विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,55.11	...	30.26	(-)30.26	4,24.85
जोड़	4,55.11	...	30.26	(-)30.26	4,24.85
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय विविध निर्माण कार्य अग्रिम	52,75.42	1,18,30.47	27,83.86	90,46.61	1,43,22.03
जोड़	52,75.42	1,18,30.47	27,83.86	90,46.61	1,43,22.03

(ख) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2008-09	6,46,54.09	63,42.26	9.81	63.89	0.10
2009-10	4,70,98.48	76,17.99	16.17	92.60	0.20
2010-11	6,72,04.62	76,45.90	11.38	38.33	0.06

**अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2015	निर्वाचन		
2053	जिला प्रशासन		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	साचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
6515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज		
राजस्व :			
मूल	11,24,08,86}	19,47,17,87	17,90,62,69
अनुपूरक	8,23,09,01}		-1,56,55,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)			1,15,91,20
पूंजी :			
मूल	6,32,00,00}	8,32,00,00	5,95,38,38
अनुपूरक	2,00,00,00}		-2,36,61,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)			1,28,12,47

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 1,56,55.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 1,76,49.46 लाख), जनवरी 2011 (₹ 6,42,15.54 लाख) तथा मार्च 2011 (₹ 4,44.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,23,09.01 लाख का अनुपुरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,15,91.20 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,56,55.18 लाख) से ₹ 40,63.98 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार, 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (योजना), 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 04-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना), 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना), 05-पंचायत चुनाव (गैर-योजना), 15-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (योजना), 101-पंचायती राज, 07-13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान (योजना) तथा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 15-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,08.73 लाख, ₹ 1,21.78 लाख, ₹ 5,54.05 लाख, ₹ 3,09.30 लाख, ₹ 7,38.00 लाख, ₹ 1,87.44 लाख तथा ₹ 3,53.26 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,00,20.00 लाख, ₹ 60,48.00 लाख, ₹ 64,96.23 लाख, ₹ 84,70.00 लाख, ₹ 3,17,45.00 लाख, ₹ 1,76,25.30 लाख तथा ₹ 51,13.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के आलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2053 जिला प्रशासन 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 16 जिला योजना (योजना)			
	मूल 1,62.00}	1,14.59	1,06.42	-8.17
	पुनर्वि० -47.41}			
	₹ 55.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)			
2.	800 अन्य व्यय 16 जिला योजना (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	75.68	-34.32
	₹ 34.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 02 सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 101 लघु सिंचाई 01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 1,76.00}	1,05.60	1,05.60	...
	पुनर्वि० -70.40}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 01 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,64.00}	1,37.64	1,37.64	...
	पुनर्वि० -1,26.36}			
उपर्युक्त दोनों मामलो में ₹ 70.40 लाख तथा ₹ 1,26.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
5.	03 सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम- जल छाजन निदेशालय (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,15.58	96.89	-1,18.69
	अनुपूरक 34.70}			
	पुनर्वि० -19.12}			
6.	06 स्वरोजगार कार्यक्रम 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 4,80.00}	4,09.68	3,78.42	-31.26
	पुनर्वि० -70.32}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)			
	मूल 6,40.00 } पुनर्वि० -1,00.01 }	5,39.99	5,27.49	-12.50
8.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 6,00.00 } पुनर्वि० -2,82.52 }	3,17.48	3,02.54	-14.94
9.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 21,12.00 } पुनर्वि० -4,08.24 }	17,03.76	16,65.69	-38.07
10.	800 अन्य व्यय 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)			
	मूल 3,60.00 } पुनर्वि० -45.12 }	3,14.88	2,18.74	-96.14

उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डी.आर.डी.ए. प्रशासन (योजना)			
	मूल 4,00.00}	1,66.91	1,66.91	...
	पुनर्वि० -2,33.09}			
12.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 14,08.00}	8,91.95	8,91.95	...
	पुनर्वि० -5,16.05}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,33.09 लाख तथा ₹ 5,16.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
13.	06 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,71.33	-28.67
	2505 ग्राम रोजगार			
	01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
	702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना			
14.	11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,73.15	-26.85

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 28.67 लाख तथा ₹ 26.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना एन०आर०ई०जी०ए० मुख्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	50.88	48.39	-2.49
	पुनर्वि० -1,49.12}			
16.	03 इंदिरा आवास के लिए प्रशासनिक व्यय (योजना)			
	मूल 1,00.00}	27.72	27.66	-0.06
	पुनर्वि० -72.28}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,49.12 लाख तथा ₹ 72.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
17.	11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	7,10.81	-1,89.19
₹ 1,89.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
18.	02 04 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 12,00.00}	19,61.07	18,16.26	-1,44.81
	अनुपूरक 10,00.00}			
	पुनर्वि० -2,38.93}			
₹ 3,83.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 47,52.00}	61,21.61	61,21.61	...
	अनुपूरक 30,00.00}			
	पुनर्वि० -16,30.39}			
20.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन तथा प्रशासन 04 राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 32.56}	0.91	0.82	-0.09
	पुनर्वि० -31.65}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 16,30.39 लाख तथा ₹ 31.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
21.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण सहित) (योजना)			
	मूल 90.00}	30.00	30.00
	पुनर्वि० -60.00}			
₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
22.	25 मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)			
	मूल 71.10}	71.10	19.78	-51.32

₹ 51.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	26 प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 75.00}	64.40	35.37	-29.03
	पुनर्वि० -10.60}			
	₹ 39.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
24.	101 पंचायती राज 06 पंचायत भवनों का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00}	80.76	80.76	...
	पुनर्वि० -1,19.24}			
	₹ 1,19.24 लाख की प्रत्याशित बचत मांग अप्राप्त रहने के कारण हुई थी।			
25.	102 सामुदायिक विकास 10 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (गैर-योजना)			
	मूल 99,72.18}	96,65.68	85,56.69	-11,08.99
	अनुपूरक 45.44}			
	पुनर्वि० -3,51.94}			
26.	30 प्रशासनिक व्यय (योजना)			
	मूल 4,36.00}	4,00.00	3,56.58	-43.42
	पुनर्वि० -36.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 14,60.93 लाख तथा ₹ 79.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 29 ग्रामीण आवास (योजना)			
	मूल 1,20.00}	8.90	8.90	...
	पुनर्वि० -1,11.10}			
28.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)			
	मूल 2,50.00}	1,07.89	1,08.16	+0.27
	पुनर्वि० -1,42.11}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,11.10 लाख तथा 1,42.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
29.	17 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- प्रखंड भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 42,40.00}	59,10.00	51,30.63	-7,79.37
	अनुपूरक 20,00.00}			
	पुनर्वि० -3,30.00}			
₹ 11,09.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
30.	18 पंचायत भवन का निर्माण/ मरम्मत/परिवर्धन/सुसज्जीकरण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,42.61	-57.39
₹ 57.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
31.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण सहित) (योजना)			
	मूल 1,30.00}	1.28	1.28	...
	पुनर्वि० -1,28.72}			
<p>₹ 1,28.72 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 78.72 लाख की बचत निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 50.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
32.	26 प्रमंडलीय/जिला स्तरीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,39.00	90.06	-48.94
	पुनर्वि० -11.00}			
<p>₹ 59.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
33.	29 ग्रामीण आवास (गैर-योजना)			
	मूल 5,20.00}	33.90	33.90	...
	पुनर्वि० -4,86.10}			
<p>₹ 4,86.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
34.	30 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)			
	मूल 6,52.00}	6,06.07	5,59.79	-46.28
	पुनर्वि० -45.93}			
<p>₹ 92.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2,91.10	2,87.52	-3.58
	090 सचिवालय			
	10 ग्रामीण विकास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 3,25.21}			
	पुनर्वि० -34.11}			

₹ 2,87.52 लाख के व्यय में ₹ 0.61 लाख पूर्व वर्षों से संबंधित है, जिसे आपत्तिगत बही उचंत से समाशोधन किया गया। ₹ 34.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरित किये जाने (₹ 22.92 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2505 ग्राम रोजगार
	02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना			
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
	05 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 4,05.00}			
	पुनर्वि० -4,05.00}			
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
	05 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)			
	मूल 1,20.00}			
	पुनर्वि० -1,20.00}			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	796 05	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (योजना)		
	मूल	4,75.00 }
	पुनर्वि०	-4,75.00 }		
4.	2515 102 28	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास आदर्श ग्राम योजना (योजना)		
	मूल	7,20.00 }
	पुनर्वि०	-7,20.00 }		
5.	29	ग्रामीण आवास (योजना)		
	मूल	3,60.00 }
	पुनर्वि०	-3,60.00 }		
6.	789 20	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण सहित) (योजना)		
	मूल	50.00 }
	पुनर्वि०	-50.00 }		
7.	28	आदर्श ग्राम योजना (योजना)		
	मूल	2,40.00 }
	पुनर्वि०	-2,40.00 }		

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 28 आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 10,40.00}
	पुनर्वि० -10,40.00}			

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

(v) ₹ 2,36,61.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00,00.00 लाख का अनुपुरक अनुदान सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,28,12.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,36,61.62 लाख) से ₹ 1,08,49.15 लाख कम था।

(vii) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 103-ग्राम विकास, 10-मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 09-विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन (योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,50.36 लाख तथा ₹ 2,33.77 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 77,00.00 लाख तथा ₹ 57,73.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 103 ग्राम विकास 03 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,78.44	2,69.85	-8.59
	पुनर्वि० -21.56}			

₹ 21.56 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यकारी बल की कमी के कारण हुई थी। ₹ 8.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 67,00.00 }	1,02,20.42	59,55.76	-42,64.66
	अनुपूरक 99,00.00 }			
	पुनर्वि० -63,79.58 }			
3.	07 मुख्य अभियंता/ अधिक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	मूल 18,50.00 }	15,61.75	13,99.97	-1,61.78
	पुनर्वि० -2,88.25 }			
₹ 1,06,44.24 लाख तथा ₹ 4,50.03 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	8.62	8.62	...
	पुनर्वि० -91.38 }			
₹ 91.38 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग अप्राप्त रहने के कारण हुई थी।				
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
5.	04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 22,00.00 }	11,85.22	11,80.22	-5.00
	पुनर्वि० -10,14.78 }			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं.	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 79,00.00}	1,33,32.03	85,45.84	-47,86.19
	अनुपूरक 99,00.00}			
	पुनर्वि० -44,67.97}			
7.	07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	मूल 40,00.00}	36,25.31	32,91.78	-3,33.53
	पुनर्वि० -3,74.69}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 10,19.78 लाख, ₹ 92,54.16 लाख तथा ₹ 7,08.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
8.	6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज 102 सामुदायिक विकास 01 जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,02.35	1,51.76	-50.59
	पुनर्वि० -47.65}			

₹ 47.65 लाख की प्रत्याशित बचत केवल अनुदान के अनुपात में ही कर्ज की राशि संस्वीकृत किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 50.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,00.00	...	-1,00.00
	103 ग्राम विकास			
2.	17 राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (योजना)	1,00.00	...	-1,00.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	अनुपूरक 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
	अनुपूरक 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(ix) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उचंत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामें और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2011 का अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.01
जोड़	0.01	0.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	1,69.16
जोड़	1,69.16	1,69.16

**अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2203	तकनीकी शिक्षा			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	83,02,48}	1,26,28,77	74,46,27	-51,82,50
अनुपूरक	43,26,29}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				51,73,54
(1 जुलाई 2010	: 3,50,00			
26 फरवरी 2011	: 17,21,47			
31 मार्च 2011	: 31,02,07)			
पूंजी :				
मूल	67,30,00}	67,30,00	39,92,20	-27,37,80
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				27,31,80
(15 जनवरी 2011	: 1,19,47			
31 मार्च 2011	: 26,12,33)			
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 51,82.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 34,62.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 3.00 लाख) और मार्च 2011 (₹ 8,61.29 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 43,26.29 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 61 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अलोक में यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तहत बी०पी०एल० के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)			
	अनुपूरक 7,68.00}	5,82.00	5.82.00	...
	पुनर्वि० -1,86.00}			
₹ 1,86.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि की संस्वीकृति मिलने के कारण हुई थी।				
2.	105 बहुशिल्प (पॉलिटैक्नीक) विद्यालय 01 डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित (गैर-योजना)			
	मूल 13,88.58}	14,00.07	14,01.21	+1.14
	अनुपूरक 2,24.98}			
	पुनर्वि० -2,13.49}			
₹ 2,13.49 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 1.14 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	13 राजकीय पोलिटैक्नीक/ खनन संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 31.00}	0.22	0.22	...
	पुनर्वि० -30.78}			
4.	44 राजकीय पॉलिटैक्नीक/ खनन संस्थाओं का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 1,55.00}	97.94	98.12	+0.18
	पुनर्वि० -57.06}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	112 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 01 स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 8,67.96}	11,42.04	11,41.84	-0.20
	अनुदान 6,20.26}			
	पुनर्वि० -3,46.18}			
6.	02 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण योजना (योजना)			
	मूल 1,01.12}	12.53	12.53	...
	पुनर्वि० -88.59}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 30.78 लाख, ₹ 57.06 लाख, ₹ 3,46.18 लाख और ₹ 88.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 नेशनल ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 6,00.00}	3,27.80	3,27.80	...
	पुनर्वि० -2,72.20}			
₹ 2,72.20 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि की स्वीकृति मिलने के कारण हुई थी।				
8.	21 ई-गवर्नेंस-नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)			
	मूल 7,00.00}	65.00	65.00	...
	पुनर्वि० -6,35.00}			

₹ 6,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत जैप-आई.टी. द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने (₹ 5,90.00 लाख) एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 45.00 लाख) के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	44 राजकीय पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 65.00}	12.63	10.87	-1.76
	पुनर्वि० -52.37}			
10.	45 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 41.50}	10.46	10.46	...
	पुनर्वि० -31.04}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 52.37 लाख और ₹ 31.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
11.	55 ई०-प्रोक्वोरमेंट (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,83.72	1,85.46	+1.74
	पुनर्वि० -1,16.28}			
₹ 1,16.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1.74 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
12.	61 13वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में यूनिफाइड आइडेन्टीफिकेशन के तहत बी.पी.एल. के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)			
	अनुपूरक 13,28.00}	5,82.00	5,82.00	...
	पुनर्वि० -7,46.00}			

₹ 7,46.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम राशि स्वीकृत किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 03 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 69.28}	49.16	49.13	-0.03
	अनुपूरक 2.00}			
	पुनर्वि० -22.12}			

₹ 22.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 003 प्रशिक्षण 10 नेशनल ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
2.	103 तकनीकी विद्यालय 44 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 31.00}
	पुनर्वि० -31.00}			

कम निधि की स्वीकृति मिलने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 44 राजकीय पॉलिटेक्नीक/खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)			
	मूल 30.00}	4.59	...	4.59
	पुनर्वि० -25.41}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 31.00 लाख और ₹ 30.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
4.	61 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में यूनिवर्सिटी/आइडेन्टीफिकेशन के तहत बी.पी.एल. के नामांकन की सुविधाकरण (योजना)			
	अनुपूरक 2,32.00}
	पुनर्वि० -2,32.00}			
भारत सरकार द्वारा निधि की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण ₹ 2,32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 23 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण (ई-खतियान)			
	मूल 6,09.00}
	पुनर्वि० -6,09.00}			
भारत सरकार से एन.एल.आर.एम.पी. योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 6,09.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,82.00}
	पुनर्वि० -1,82.00}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	47 बाह्य-संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 26.00}
	पुनर्वि० -26.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,82.00 लाख और ₹ 26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
8.	51 सरकारी भवनों में वाई-फाई की कनेक्टिविटी इत्यादि (योजना)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
सुरक्षा धमकी की संभावना के फलस्वरूप निधि की स्वीकृति की संभावना नहीं रहने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
9.	52 ई-गवर्नेंस-डिजीटाईजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकार्ड एवं लिगेसी डाटा			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
एन०ई०जी०पी० परियोजना के अन्तर्गत इसी कार्य के लिए निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
10.	53 इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आई०आई०आई०टी०) (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

भारत सरकार द्वारा झारखंड में आई०आई०आई०टी० की स्थापना नहीं किये जाने के कारण ₹ 20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	56 ई-जिला (योजना)			
	मूल 91.00}
	पुनर्वि० -91.00}			
भारत सरकार से प्राप्त राशि को व्यय नहीं किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार को निधि की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 91.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
12.	57 राज्य के मुख्यालय में नॉलेज सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
राज्य में नॉलेज सेन्टर की स्थापना नहीं होने के कारण ₹ 20.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
13.	58 जैप-आई०टी० को अनुदान (योजना)			
	मूल 75.00}
	पुनर्वि० -75.00}			
जैप-आई०टी० द्वारा निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण ₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
14.	800 अन्य व्यय 08 कॉमन सर्विस सेन्टर (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	35	आई०टी०/कम्प्यूटर नेटवर्किंग (इंटरनेट) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}		
16.	40	ई-गवर्नेंस-नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)		
	मूल	2,00.00}
	पुनर्वि०	-2,00.00}		
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 25.00 लाख और ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।</p>				
17.	44	ई-गवर्नेंस-भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (ई० खतियान) (योजना)		
	मूल	3,00.00}
	पुनर्वि०	-3,00.00}		
<p>भारत सरकार से एन०एल०आर०एम०पी० योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
18.	47	बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम हेतु सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	62.00}
	पुनर्वि०	-62.00}		

₹ 62.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

पूँजी:

(iv) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 06 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटैकनीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (के०यो०यो०)			
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -9,80.86 }	19.14	13.14	-6.00
2.	07 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण सत्रह नये पॉलिटैकनीक का निर्माण एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 28,95.40 } पुनर्वि० -8,77.40 }	20,18.00	20,18.00	...
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-सत्रह नये पॉलिटैकनीक का निर्माण एवं अन्य कार्य (योजना)			
	मूल 12,14.20 } पुनर्वि० -3,12.69 }	9,01.51	9,01.51	...

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 9,80.86 लाख, ₹ 8,77.40 लाख और ₹ 3,12.69 लाख की प्रत्याशित बचत तथा क्रम संख्या-1 के अंतर्गत ₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
07 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण-सत्रह नये पोलिटैकनीक का निर्माण एवं अन्य कार्य			
मूल	5,60.40}
पुनर्वि०	-5,60.40}		

₹ 5,60.40 लाख के संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 44 - माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	30,01,93,32}	36,48,44,19	33,37,00,24	-3,11,43,95
अनुपूरक	6,46,50,87}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	4,00,00}	8,61,00	2,99,31	-5,61,69
अनुपूरक	4,61,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 3,11,43.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 2,98,60.50 लाख), जनवरी 2011 (₹ 73,02.62 लाख) तथा मार्च 2011 (₹ 2,74,87.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,46,50.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 01-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना) तथा 03-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०) के अन्तर्गत ₹ 8,88.12 लाख तथा ₹ 6,26,64 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 16,16,40.04 लाख और ₹ 1,35,85.48 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)	6,00.69 }	6,00.69	3,21.73 -2,78.96
2.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)	32,64.21 }	32,64.21	27,65.94 -4,98.27
3.	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 04 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)	57,20.00 }	57,20.00	35,55.99 -21,64.01
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)	28,80.00 }	28,80.00	20,95.07 -7,84.93

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	03 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 22,00.00}	22,00.00	19,67.90	-2,32.10
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 68,18.00}	1,38,30.00	1,20,03.42	-18,26.58
	अनुपूरक 70,12.00}			
7.	04 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,75.25}	2,75.25	1,94.59	-80.66
8.	04 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 30,80.00}	30,80.00	25,22.79	-5,57.21
9.	20 डायट (के०यो०यो०)			
	मूल 2,37.90}	2,37.90	20.83	-2,17.07
10.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,39.26	-60.74

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 31,61.54}	31,61.54	27,30.83	-4,30.71
12.	02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01 माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,32,92.39} अनुपूरक 41,85.33}	2,74,77.72	2,46,73.56	-28,04.16
13.	03 इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,18.17} अनुपूरक 44.07}	2,62.24	2,12.63	-49.61
14.	04 नेतरहाट आवासीय विद्यालय तथा आवासीय महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 5,47.13} अनुपूरक 36.66}	5,83.79	4,74.48	-1,09.31
15.	12 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,31.03	-1,18.97

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना)	2,50.00}	2,50.00	1,59.33	-90.67
17.	15 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों में उन्नत मध्य विद्यालयों का पद सृजन (योजना)	56.00}	56.00	23.59	-32.41
18.	22 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (योजना)	42.00}	42.00	4.53	-37.47
19.	24 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्गों के छात्राओं (वर्ग 8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)	मूल 2,25.00} अनुपूरक 7,39.00}	9,64.00	2,25.00	-7,39.00
20.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 01 शिक्षा विभाग (गैर-योजना)	2,88.95}	2,88.95	2,42.30	-46.65

उपर्युक्त बीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,64.47 } अनुपूरक 0.01 }	9,64.48	...	-9,64.48
2.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,75.85 }	1,75.85	...	-1,75.85
3.	28 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन की राशि (योजना)			
	अनुपूरक 15,22.92 }	15,22.92	...	-15,22.92
4.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं/ मदरसा को सहायता (योजना)			
	अनुपूरक 3,70.00 }	3,70.00	...	-3,70.00
5.	30 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि (योजना)			
	अनुपूरक 5,18.00 }	5,18.00	...	-5,18.00

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 20 डायट (के०यो०यो०)			
	मूल 2,06.50}	2,06.50	...	-2,06.50
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 28,93.41} अनुपूरक 0.01}	28,93.42	...	-28,93.42
8.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,27.54}	5,27.54	...	-5,27.54
9.	22 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,02.00}	1,02.00	...	-1,02.00
10.	32 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के०जी०बी०भी०) में भवन निर्माण (योजना)			
	अनुपूरक 58.30}	58.30	...	-58.30

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	796 05 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,64.47}	9,64.48	...	-9,64.48
	अनुपूरक 0.01}			
12.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,75.85}	1,75.85	...	-1,75.85
13.	28 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन की राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,14.50}	5,14.50	...	-5,14.50
14.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं/मदरसा को सहायता (योजना)			
	अनुपूरक 1,25.00}	1,25.00	...	-1,25.00
15.	30 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि (योजना)			
	अनुपूरक 1,75.00}	1,75.00	...	-1,75.00

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	31 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के०जी०बी०भी०) में मूल-भूत सुविधा (योजना)			
	अनुपूरक 3,03.00}	3,03.00	...	-3,03.00
17.	32 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के०जी०बी०भी०) में भवन निर्माण (योजना)			
	अनुपूरक 14,57.50}	14,57.50	...	-14,57.50
18.	800 अन्य व्यय 31 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के०जी०बी०भी०) में मूल-भूत सुविधा (योजना)			
	अनुपूरक 8,96.88}	8,96.88	...	-8,96.88
19.	32 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के०जी०बी०भी०) में भवन निर्माण (योजना)			
	अनुपूरक 43,14.20}	43,14.20	...	-43,14.20

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 06 इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)	42.00	...	-42.00
21.	11 राज्य के बी०एड० कालेजों का निर्माण (योजना)	1,17.00	...	-1,17.00
22.	15 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों में उन्नत मध्य विद्यालयों का पद सृजन (योजना)	1,12.00	...	-1,12.00
23.	22 झारखंड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर साक्षरता (योजना)	42.00	...	-42.00
24.	45 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण (योजना)	7,28.00	...	-7,28.00

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
25.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 45 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण (योजना)	2,08.00	...	-2,08.00
26.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 45 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण (योजना)	3,64.00	...	-3,64.00

उपर्युक्त छब्बीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी:

(v) ₹ 5,61.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 4,61.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

(vii) शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01-सामान्य शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 15.32 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹ 2,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारम्भिक शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)	1,36.00	64.63	-71.37
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)	64.00	50.00	-14.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 71.37 लाख तथा ₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमांत

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारम्भिक शिक्षा 26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का निर्माण (योजना)	2,88.00	2,88.00	-2,88.00
	अनुपूरक 2,88.00}	2,88.00	...	-2,88.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का निर्माण (योजना)	1,73.00	1,73.00	-1,73.00
	अनुपूरक 1,73.00}	1,73.00	...	-1,73.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,88.00 लाख तथा ₹ 1,73.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 45 - ईख विभाग

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2401	फसल कृषि-कर्म			
6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :				
मूल	शून्य}
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	शून्य}
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

**अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	7,99,58}	8,01,49	3,98,28	-4,03,21
अनुपूरक	1,91}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,81,76
(जनवरी 2011	: 1,25,00			
18 मार्च 2011	: 20,00			
31 मार्च 2011	: 2,36,76)			
पूंजी :				
मूल	19,55,00}	19,55,00	5,04,95	-14,50,05
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,50,05
(जनवरी 2011	: 6,25,00			
18 मार्च 2011	: 5,12,58			
31 मार्च 2011	: 1,12,47)			
टीका एवं टिप्पणियाँ :				

राजस्व:

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,81.76 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,03.21 लाख) से ₹ 21.45 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3452 पर्यटन 01 पर्यटक अवसंरचना 101 पर्यटक केन्द्र 01 पर्यटक केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 56.59}	56.59	38.08	-18.51
	पुनर्वि० -67.42}			
₹ 18.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2011)।				
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 प्रचार कार्य (योजना)			
	मूल 1,50.00}	82.58	84.94	+2.36
	पुनर्वि० -67.42}			
3.	80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 02 प्रचार कार्य (योजना)			
	मूल 1,50.00}	85.93	85.93	...
	पुनर्वि० -64.07}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 67.42 लाख तथा ₹ 64.07 लाख की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या-2 के अंतर्गत ₹ 2.36 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3452 पर्यटन			
	01 पर्यटक अवसंरचना			
	101 पर्यटक केन्द्र			
	02 पर्यटन प्रशिक्षण (पदस्थापित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण) (योजना)			
	मूल 10.00 }
	पुनर्वि० -10.00 }			
2.	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
	11 राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (योजना)			
	मूल 10.00 }
	पुनर्वि० -10.00 }			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	04 पर्यटन प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 10.00 }
	पुनर्वि० -10.00 }			
4.	09 प्रबंधकीय अनुदान/ सबसिडी/प्रोत्साहन आदि (योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	11 राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (योजना)			
	मूल 10.00}
	पुनर्वि० -10.00}			
6.	80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 03 प्रबंधकीय अनुदान/ सबसिडी/प्रोत्साहन आदि (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

- (iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,50.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,50.05 लाख) से ₹ 2,00.00 लाख कम था।
- (v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 104 संवर्धन तथा प्रचार 64 कंसलटेंसी एवं अन्य सेवाएं (नई) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	44.72	44.72	...
	पुनर्वि० -55.28}			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	796 62	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (योजना)	84.30	84.30	...
	मूल 3,00.00}				
	पुनर्वि० -2,15.70}				
3.	64	कंसलटेंसी एवं अन्य सेवाएं (नई) (योजना)	14.64	14.64	...
	मूल 1,00.00}				
	पुनर्वि० -85.36}				
4.	65	पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (योजना)	47.43	47.43	...
	मूल 3,25.00}				
	पुनर्वि० -2,77.57}				

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 55.28 लाख, ₹ 2,15.70 लाख, ₹ 85.36 लाख तथा ₹ 2,77.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	5452 80 104 02	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय सामान्य संवर्धन तथा प्रचार संवर्धन (योजना)
	मूल 25.00}				
	पुनर्वि० -25.00}				

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	60 अविकसित पर्यटन स्थलों का निर्माण-होटल, टुरिस्ट कम्पलेक्स आदि का उन्नयन (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
3.	63 होटल प्रबंधन संस्थान, फूड-क्राफ्ट संस्थान, साहसिक पर्यटक संस्थान एवं पर्यटन विकास प्राधिकार आदि के लिए सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 25.00 लाख तथा ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
4.	65 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (नई) (योजना)			
	मूल 3,25.00}
	पुनर्वि० -3,25.00}			
<p>₹ 81.25 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती नई योजनाओं की संस्वीकृति नहीं मिलने के कारण की गई। ₹ 2,43.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोग 20 भारत सरकार सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	60	अविकसित पर्यटन स्थलों का निर्माण-होटल, टुरिस्ट कम्प्लेक्स आदि का उन्नयन (चालु) (योजना)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}
7.	63	होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, साहसिक पर्यटक संस्थान एवं पर्यटन विकास प्राधिकार आदि के लिए सहायक अनुदान (योजना)		
	मूल	2,00.00}
	पुनर्वि०	-2,00.00}

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 25.00 लाख तथा ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2041	वाहन कर		
3055	सड़क परिवहन		
3075	अन्य परिवहन सेवाएं		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		
5075	अन्य परिवहन सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	82,53,53}	82,81,20	29,42,17	-53,39,03
अनुपूरक	27,67}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 52,09,32

पूंजी :

मूल	1,30,00,00}	3,04,16,00	3,01,18,91	-2,97,09
अनुपूरक	1,74,16,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 53,39.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 10.00 लाख), जनवरी 2011 (₹ 11.02 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 6.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 52,09.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,39.03 लाख) से ₹ 1,29.71 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2041 वाहन कर 101 संग्रहण प्रभार 01 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 76.42 } अनुपूरक 0.15 }	76.57	57.65	-18.92
2.	02 मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)			
	मूल 3,63.15 } अनुपूरक 10.80 }	3,73.95	2,90.56	-83.39
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 18.92 लाख और ₹ 83.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	3055 सड़क परिवहन 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01 राज्य पथ परिवहन निगम, झारखंड को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 75,97.38 } पुनर्वि० -52,09.32 }	23,88.06	23,88.06	...

₹ 52,09.32 लाख की प्रत्याशित बचत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना से वांछित अंकेक्षित राशि का माँग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

पूँजी :

(iv) संपूर्ण प्रावधान (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) का निम्न मामलों में उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 02 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवन का निर्माण (योजना)	25.00	...	-25.00
2.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)	30.00	...	-30.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)	24.00	...	-24.00
4.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)	40.00	-40.00

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	13 राज्य सड़क परिवहन, झारखण्ड के कार्यालयों तथा कर्मशाला के नवीनीकरण और मरम्मत (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215	जल पूर्ति तथा सफाई		
2216	आवास		
2217	शहरी विकास		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय		
6216	आवास के लिए कर्ज		
6217	शहरी विकास के लिए कर्ज		

राजस्व :

मूल	2,35,19,51}	3,12,97,92	2,56,81,43	-56,16,49
अनुपूरक	77,78,41}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				42,08,09
(15 जुलाई 2010	: 13,00,00			
31 मार्च 2011	: 29,08,09)			

पूंजी :

मूल	6,87,19,06}	6,93,97,04	36,58,45	-6,57,38,59
अनुपूरक	6,77,98}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,54,37,16
(15 जुलाई 2010	: 8,00,00			
30 अगस्त 2010	: 50,00,00			
8 मार्च 2011	: 1,00,00,00			
31 मार्च 2011	: 4,96,37,16)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 56,16.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹ 42,43.90 लाख), जनवरी 2011 (₹ 28,60.00 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 6,74.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 77,78.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 42,08.09 लाख), अंतिम बचत (₹ 56,16.49 लाख) से ₹ 14,08.40 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगम को सहायता 07 स्थानीय निकायों को सिवरेज/ ड्रेनेज निर्माण के लिए सहायक अनुदान (योजना)	10,00.00	2,84.54	-7,15.46
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -5,00.00 }	10,00.00	2,84.54	-7,15.46
₹ 7,15.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 नगर निगम को सहायता 04 परामर्शी एवं अन्य सेवाएं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (योजना)	5,00.00	4,90.00	-10.00
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -5,00.00 }	5,00.00	4,90.00	-10.00
3.	05 शहरी स्थानीय निकायों के आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायक अनुदान (योजना)	2,00.00	2,00.00	...
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -8,00.00 }	2,00.00	2,00.00	...

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,00.00 लाख और ₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। क्रम संख्या 2 के अन्तर्गत ₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	13 केन्द्र प्रायोजित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 8,00.00}	1,35.33	1,11.33	-24.00
	पुनर्वि० -6,64.67}			

क्रमशः अन्तरिम आवंटन की संस्वीकृति कम होने एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई तथा ₹ 4,64.67 लाख की प्रत्याशित बचत हुई। ₹ 24.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

5.	22 एन०यू०आई०एस० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	59.07	59.07	...
	पुनर्वि० -40.93}			

₹ 40.93 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
6.	15 शहरी स्थानीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,20.00}	1,98.00	1,98.00	...
	पुनर्वि० -22.00}			

₹ 22.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं होने के कारण हुई थी।

	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	092 अन्य कार्यालय			
7.	02 नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 5,30.56}	5,30.56	3,02.89	-2,27.67

₹ 2,27.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगम को सहायता 06 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 6,80.00}
	पुनर्वि० -6,80.00}			

₹ 1,70.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती और ₹ 5,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ठोस योजना के नहीं रहने तथा मंत्रिमंडल से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 06 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,70.00}
	पुनर्वि० -1,70.00}			

मंत्रिमंडल से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 1,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 शहरी स्थानीय निकायों को सिवरेज/ड्रेनेज निर्माण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 8,50.00}
	पुनर्वि० -8,50.00}			

₹ 2,12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती और ₹ 6,37.50 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ठोस योजना के नहीं रहने एवं मंत्रिमंडल से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2217 शहरी विकास			
	80 सामान्य			
	191 नगर निगम को सहायता			
4.	07 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,25.00	...	-2,25.00
	पुनर्वि० -75.00}			

केन्द्र सरकार से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती की गई। ₹ 2,25.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

5. 21 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)

मूल	3,00.00}
पुनर्वि०	-3,00.00}			

₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती और ₹ 2,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संस्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण हुई थी।

पूँजी :

(v) ₹ 6,57,38.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 6,77.98 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,54,37.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,57,38.59 लाख) से ₹ 3,01.43 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 14 जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना हेतु सहायक अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,65,00.00 } पुनर्वि० -1,56,69.13 }	8,30.87	8,30.87

₹ 1,56,69.13 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई थी।

2.	22 एन०यू०आई०एस० योजना हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	15.12	-2,84.88

₹ 2,84.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

3.	191 नगर निगम को सहायता 14 जे०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 55,00.00 } पुनर्वि० -54,00.00 }	1,00.00	1,00.00	...

₹ 54,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 14 केन्द्र जे०एन०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,25,00.00}	8,31.97	8,24.35	-7.62
	पुनर्वि० -2,16,68.03}			

₹ 2,16,68.03 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 7.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

5.	14 जे०एन०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 75,00.00}	4,00.00	4,00.00	...
	पुनर्वि० -71,00.00}			

₹ 71,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217 शहरी विकास पर पंजीगत परिव्यय 60 अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 07 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,00.00}
	पुनर्वि० -7,00.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	09 एस.जे.एस.आर.वाई. के लिए सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 24,00.00}
	पुनर्वि० -24,00.00}			
3.	21 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,00.00}
	पुनर्वि० -7,00.00}			
<p>उपर्युक्त तीन मामलों में केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 24,00.00 लाख और ₹ 7,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
4.	31 समेकित अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15,00.00}
	पुनर्वि० -15,00.00}			
5.	32 वधशाला आधुनिकरण हेतु सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 15,00.00 लाख एवं ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
6.	191 नगर निगम को सहायता 02 प्रोन्नति, अवार्ड, प्रचार, छपाई, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	03 शहरी प्रशासन का कम्प्युटीकरण, आधुनिकरण एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		...

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,00.00 लाख और ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

8.	06 केन्द्र प्रायोजित समेकित अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		...

योजना की स्वीकृति नहीं मिलने एवं केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	07 केन्द्र प्रायोजित वधशाला निर्माण/आधुनिकरण हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		...

योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 5,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 14 जे० एन०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60,00.00}
	पुनर्वि० -60,00.00}			
केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 60,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
11.	14 जे० एन०एन०यू०आर०एम० हेतु सहाय्य अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 20,00.00}
	पुनर्वि० -20,00.00}			
योजना उद्व्यय में कटौती के कारण ₹ 20,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 08 झारखण्ड अरवन प्लानिंग मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

**अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2700			
2701			
2705			
2711			
3451			
4700			
4701			
4711			

राजस्व :

मूल	2,24,62,86}	2,39,27,88	2,08,29,43	-30,98,45
अनुपूरक	14,65,02}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2011) 23,76,56

पूंजी :

मूल	3,82,00,00}	3,82,00,00	2,28,29,13	-1,53,70,87
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 1,06,11,77
(31 अक्टूबर 2010 : 40,00,00
31 मार्च 2011 : 66,11,77)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 30,98.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 1.81 लाख) और मार्च 2011 (₹ 14,63.21 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,65.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,76.56 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,98.45 लाख) से ₹ 7,21.89 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, 01-मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, 001-निदेशन और प्रशासन, 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना) और 03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, 001-निदेशन और प्रशासन, 07-मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,66.46 लाख और ₹ 5,42.02 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹ 98,84.97 लाख और ₹ 73,80.91 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2700 मुख्य सिंचाई	3,23.50	3,23.29	-0.21
	01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	01 तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)			
मूल	3,77.92}			
पुनर्वि०	-54.42}			
2.	2701 मध्यम सिंचाई	39,95.69	38,17.26	-1,78.43
	03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	06 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
मूल	48,00.65}			
अनुपूरक	1,13.16}			
पुनर्वि०	-9,18.12}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 54.63 लाख और ₹ 10,96.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 काँची कमान क्षेत्र विकास 02 काँची सिंचाई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 80.00}
	पुनर्वि० -80.00}			
2.	02 काँची सिंचाई योजना (योजना)			
	मूल 80.00}
	पुनर्वि० -80.00}			
3.	101 मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 80.00}
	पुनर्वि० -80.00}			
4.	01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	...	-80.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 20.00 }	20.00	...	-20.00
7.	02 काँची सिंचाई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00 }
	पुनर्वि० -20.00 }			
8.	02 काँची सिंचाई योजना (योजना)			
	मूल 20.00 }
	पुनर्वि० -20.00 }			
	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	001 निदेशन और प्रशासन			
9.	01 गंगा नदी के दाएं तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

पूँजी:

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,06,11.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,53,70.87 लाख) से ₹ 47,59.10 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 08 स्वर्णरेखा परियोजना (कार्य) (योजना)	40,00.00	31,01.25	-8,98.75
	मूल 40,00.00 } पुनर्वि० -64.03 }	40,00.00	31,01.25	-8,98.75

₹ 8,98.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

2.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)	5,35.97	17.03	-5,18.94
	मूल 6,00.00 } पुनर्वि० -64.03 }	5,35.97	17.03	-5,18.94
3.	62 मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)	15,76.80	15,06.41	-70.39
	मूल 34,60.00 } पुनर्वि० -18,83.20 }	15,76.80	15,06.41	-70.39

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 27,00.00}	19,03.46	4,08.71	-14,94.75
	पुनर्वि० -7,96.54}			
5.	66 नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति (योजना)			
	मूल 75.00}	55.21	34.17	-21.04
	पुनर्वि० -19.79}			
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 7,00.00}	5,08.99	4,80.50	-28.49
	पुनर्वि० -1,91.01}			
7.	62 मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 81,30.00}	50,21.81	33,60.00	-16,61.81
	पुनर्वि० -31,08.19}			
8.	68 भवनों का संधारण (योजना)			
	मूल 50.00}	49.69	29.16	-20.53
	पुनर्वि० -0.31}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	69 प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सेमिनार (योजना)			
	मूल 30.00}	9.49	9.26	-0.23
	पुनर्वि० -20.51}			
10.	70 ई-गवर्नेंस (योजना)			
	मूल 50.00}	30.45	15.89	-14.56
	पुनर्वि० -19.55}			
11.	800 अन्य व्यय 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 7,00.00}	5,87.19	61.67	-5,25.52
	पुनर्वि० -1,12.81}			
12.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० (योजना)			
	मूल 6,00.00}	2,84.82	2,82.85	-1.97
	पुनर्वि० -3,15.18}			
13.	65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	7.72	7.50	-0.22
	पुनर्वि० -32.28}			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01	बाढ़ नियंत्रण			
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
14.	01	बाढ़ सुरक्षात्मक एवं कटाव निरोधक सिविल निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल	24,00.00}	4,52.88	2,84.59	-1,68.29
	पुनर्वि०	-19,47.12}			
15.	57	बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का क्रियान्वयन (योजना)			
	मूल	7,80.00}	3,90.00	3,60.02	-29.98
	पुनर्वि०	-3,90.00}			
<p>उपर्युक्त चौदह मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>					
16.	58	नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का क्रियान्वयन (योजना)			
	मूल	3,50.00}	2,80.00	2,80.00	-
	पुनर्वि०	-70.00}			

₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 63 मध्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
2.	65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 23.00}
	पुनर्वि० -23.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 डेम सेफ्टी एवं हाईड्रोलॉजी प्रोजेक्ट-2 (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
4.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	...	-4,00.00

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	63 मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 32.00}
	पुनर्वि० -32.00}			
	4711 बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़-नियंत्रण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
6.	58 नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का क्रियान्वयन हेतु निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
7.	59 चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के कार्यों का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
8.	60 बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(viii) शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 08-स्वर्णरेखा परियोजना (कार्य) के अन्तर्गत ₹ 1,52.26 लाख का अधिक व्यय, जो कि ₹ 70,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्नलिखित मामले में बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
03 मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक			
799 उच्चत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	...	1,42.53	+1,42.53

बिना बजट प्रावधान के ₹ 1,42.53 लाख के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(ix) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
मूल 55,20.00 }	40,54.97	49,69.80	+9,14.83
पुनर्वि० -14,65.03 }			

₹ 14,65.03 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 9,14.83 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

(x) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 1,42.53 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष "उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2011 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	44,54.05	1,76.53	34.00	1,42.53	45,96.58
जोड़	44,54.05	1,76.53	34.00	1,42.53	45,96.58

**अनुदान संख्या - 50 - लघु सिंचाई विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2702 लघु सिंचाई			
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	60,64,32}	70,49,67	60,91,01	-9,58,66
अनुपूरक	9,85,35}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				7,39,99

पूंजी :

मूल	1,22,20,00}	1,22,20,00	92,39,75	-29,80,25
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				27,42,28

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 9,58.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 9,85.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,39.99 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,58.66 लाख) से ₹ 2,18.67 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) शीर्ष-2702-लघु सिंचाई, 02-भू-जल, 005-अन्वेषण, 01-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,13.52 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 60,64.39 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2702 लघु सिंचाई 02 भू-जल 005 अन्वेषण	3,73.77	3,28.96	-44.81
	02 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 6,80.82 } पुनर्वि० -3,07.05 }			
2.	03 सतही सिंचाई योजना का सम्पोषण (गैर-योजना)	1,43.89	1,11.19	-32.70
	मूल 3,04.46 } पुनर्वि० -1,60.57 }			

₹ 3,51.86 लाख तथा ₹ 1,93.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

पूँजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 27,42.28 लाख), अंतिम बचत (₹ 29,80.25 लाख) से ₹ 2,37.97 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(v) शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 101-सतही जल, 28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना) 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) (योजना) तथा 28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०)(योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,05.85 लाख, ₹ 1,20.08 लाख तथा ₹ 1,13.61 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 27,00.00 लाख, ₹ 12,25.00 लाख तथा ₹ 32,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत(₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	4,14.06	3,77.73	-36.33
	पुनर्वि० -85.94}			
2.	19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 9,00.00}	5,34.69	4,63.00	-71.69
	पुनर्वि० -3,65.31}			
3.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,78.68	1,78.63	-0.05
	पुनर्वि० -1,21.32}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,22.27 लाख, ₹ 4,37.00 लाख तथा ₹ 1,21.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2011)।				
4.	30 भवन/गोदाम तथा कार्यालय का निर्माण तथा जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 30.00}	1.85	1.85	...
	पुनर्वि० -28.15}			

₹ 28.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 80.00}	34.89	28.96	-5.93
	पुनर्वि० -45.11}			
₹ 51.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 5,30.00}	4,18.02	4,22.48	+4.46
	पुनर्वि० -1,11.98}			
₹ 1,11.98 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4.46 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 2,10.00}	1,48.99	1,45.88	-3.11
	पुनर्वि० -61.01}			
8.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 70.00}	25.34	10.53	-14.81
	पुनर्वि० -44.66}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 64.12 लाख तथा ₹ 59.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(vi) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 101 सतही जल 07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
2.	07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
3.	22 क्षतिग्रस्त मोटर गाड़ियों का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
4.	32 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	789 28	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)		
	मूल	5,50.00}
	पुनर्वि०	-5,50.00}
6.	796 01	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)		
	मूल	3,00.00}
	पुनर्वि०	-3,00.00}
7.	03	रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक (के०प्रा०यो०)		
	मूल	1,20.00}
	पुनर्वि०	-1,20.00}
8.	07	वाटर बॉडिज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)		
	मूल	1,00.00}
	पुनर्वि०	-1,00.00}
9.	29	क्षतिग्रस्त मोटर गाड़ियों का पुनर्स्थापन (के०प्रा०यो०)		
	मूल	25.00}
	पुनर्वि०	-25.00}

उपयुक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

(vii) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ (-)18.01 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष "उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2010 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2011 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	2,27.54	...	18.01	(-)18.01	2,09.53
जोड़	2,27.54	...	18.01	(-)18.01	2,09.53

**अनुदान संख्या - 51 - कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2236	पोषण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	12,51,58,84}	12,88,57,05	10,79,73,59	-2,08,83,46
अनुपूरक	36,98,21}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,29,73,42

(24 जून 2010	: 16,64,22
13 जनवरी 2011	: 1,10,00
19 फरवरी 2011	: 4,74,24
31 मार्च 2011	: 1,07,24,96)

पूंजी :

मूल	2,28,76,00}	2,75,51,47	1,65,99,52	-1,09,51,95
अनुपूरक	46,75,47}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

95,06,71

(फरवरी 2011	: 6,76,22
31 मार्च 2011	: 88,30,49)

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 2,08,83.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 (₹10,14.58 लाख), जनवरी 2011 (₹ 18,85.29 लाख) तथा मार्च 2011 (₹ 7,98.34 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36,98.21 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक संकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,29,73.42 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,08,83.46 लाख) से ₹ 79,10.04 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-शिक्षा-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुदान (योजना), 57-उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना), 59-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना), 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 103-महिला कल्याण, 28-आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 28-आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना), 2236-पोषण, 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,24.56 लाख, ₹ 1,08.36 लाख, ₹ 1,32.21 लाख, ₹ 1,23.80 लाख, ₹ 2,33.75 लाख, ₹ 2,45.65 लाख तथा ₹ 5,59.82 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 91,40.00 लाख, ₹ 12,00.00 लाख, ₹ 15,91.00 लाख, ₹ 22,85.29 लाख, ₹ 24,50.00 लाख, ₹ 1,50,00.00 लाख तथा ₹ 1,80,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	75.61	32.01	-43.60
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा 02 छात्रावास (गैर-योजना)			
	मूल 78.70 } पुनर्वि० -3.09 }			
₹ 46.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,24.11	1,11.46	-12.65
	01 निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 1,40.00 } पुनर्वि० -15.89 }			

₹ 15.89 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से माँग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 12.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	13 छात्राओं हेतु साइकिल योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	6,41.24	-1,58.76
4.	16 शिक्षा-वोकेशनल प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	76.48	-33.52
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,58.76 लाख तथा ₹ 33.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
5.	19 शिक्षा-गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	34.90	34.90	...
	पुनर्वि० -25.10}			
₹ 25.10 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।				
6.	22 बाबु जगजीवन राम बालिका छात्रावास की निर्माण योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 3,00.00}	44.72	44.72	...
	पुनर्वि० -2,55.28}			
₹ 2,55.28 लाख की बचत भारत सरकार से नई योजना हेतु निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
7.	23 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 11,25.00}	9,82.10	8,81.94	-1,00.16
	पुनर्वि० -1,42.90}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	25 उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 11,25.00}	8,86.24	8,86.24	...
	पुनर्वि० -2,38.76}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,42.90 लाख एवं ₹ 2,38.76 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं किए जाने के कारण हुई थी। क्रम सं. 7 के अन्तर्गत ₹ 1,00.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
9.	42 शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 3,00.00}	1,72.04	1,72.03	-0.01
	पुनर्वि० -1,27.96}			
₹ 1,27.96 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि का आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।				
10.	62 मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 9,00.00}	6,22.49	3,91.25	-2,31.24
	पुनर्वि० -2,77.51}			
₹ 2,77.51 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों के द्वारा निधि की माँग नहीं किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 2,31.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
11.	10 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 6,00.00}	4,61.25	4,12.02	-49.23
	पुनर्वि० -1,38.75}			
₹ 1,38.75 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 49.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	13 छात्राओं के लिए साइकिल योजना (योजना)			
	मूल 5,50.00}	5,50.00	2,46.83	-3,03.17
13.	21 उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,20.74	-79.26
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,03.17 लाख तथा ₹ 79.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
14.	54 अत्योदय योजना अन्तर्गत आदिम जनजाति के लिए मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,75.00}	96.00	95.39	-0.61
	पुनर्वि० -1,79.00}			
₹ 1,79.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।				
15.	66 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास (के०यो०यो०)			
	मूल 1,00.00}	66.48	66.48	...
	पुनर्वि० -33.52}			

₹ 33.52 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	796 03 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना आदिम जनजातियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}	16.42	14.01	-2.41
	पुनर्वि० -23.58}			
₹ 23.58 लाख की प्रत्याशित बचत अतिरिक्त निधि हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
17.	04 जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 59,76.06}	10,68.00	9,83.69	-84.31
	पुनर्वि० -49,08.06}			
₹ 49,08.06 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 84.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
18.	17 मेसो परियोजना का प्रशासन (योजना)			
	मूल 7,50.00}	5,53.85	4,33.08	-1,20.77
	पुनर्वि० -1,96.15}			
₹ 1,96.15 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 41.15 लाख) तथा गाड़ी के क्रय की आवश्यकता नहीं रहने (₹ 1,55.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 1,20.77 लाख की अंतिम बचत को कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
19.	24 अनुसूचित जनजातियों के लिए वोकेशनल शिक्षा (योजना)			
	मूल 2,76.00}	2,76.00	1,90.85	-85.15
₹ 85.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	26 झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	41.79	40.35	-1.44
	अनुपूरक 41.79}			
	पुनर्वि० -50.00}			
	₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई थी।			
21.	38 बिरसा मुण्डा डी.ए.वि. विद्यालय हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,04.72	1,04.72	...
	पुनर्वि० -45.28}			
	₹ 45.28 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।			
22.	47 शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,01.25	-48.75
	₹ 48.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
23.	55 अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 4,75.00}	2,16.00	1,10.58	-1,05.42
	पुनर्वि० -2,59.00}			

₹ 2,41.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 18.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,05.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	58 मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 12,00.00}	9,98.70	8,26.17	-1,72.53
	पुनर्वि० - 2,01.30}			

₹ 2,01,30 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
₹ 1,72.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

25.	61 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	8,60.63	-3,39.37

26.	68 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आश्रम विद्यालय की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 13,80.00}	13,79.60	6,10.07	-7,69.53
	पुनर्वि० -0.40}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,39.37 लाख तथा ₹ 7,69.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

27.	69 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00}	1,54.96	1,54.96	...
	पुनर्वि० -95.04}			

₹ 95.04 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि का आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 03 प्रवेशिकोत्तर तकनीकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)	1,25.00	76.55	-48.45
	मूल 1,25.00}	1,25.00	76.55	-48.45
29.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 13 छात्राओं के लिए साइकिल योजना (योजना)	14,00.00	9,32.17	-4,67.83
	मूल 14,00.00}	14,00.00	9,32.17	-4,67.83
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 48.45 लाख तथा ₹ 4,67.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
30.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 युवा शक्ति योजना (के०यो०यो०)	1,07.14	65.55	-41.59
	अनुपूरक 1,12.20} पुनर्वि० -5.06}	1,07.14	65.55	-41.59
₹ 5.06 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 41.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
31.	50 किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (के०यो०यो०)	2,99.73	1,61.96	-1,37.77
	मूल 3,00.00} पुनर्वि० -0.27}	2,99.73	1,61.96	-1,37.77

₹ 1,37.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
32.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,72,00.00}	1,44,43.30	1,40,26.55	-4,16.75
	अनुपूरक 4,74.24}			
	पुनर्वि० -32,30.94}			
<p>₹ 32,30.94 लाख की प्रत्याशित बचत संविदा भत्ता हेतु निधि का प्रावधान किये जाने (₹ 4,74.24 लाख) तथा निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 27,56.70 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 4,16.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
33.	106 सुधारात्मक सेवाएँ 39 प्रतिप्रेषण गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,29.56}	1,77.14	1,48.94	-28.20
	पुनर्वि० -52.42}			
<p>₹ 52.42 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 28.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
34.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिये स्थापना) (योजना)			
	मूल 7,23.00}	7,21.40	5,60.12	-1,61.28
	पुनर्वि० -1.60}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)			
	मूल 14,40.00}	14,40.00	12,38.08	-2,01.92
	पुनर्वि० -67.14}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,61.28 लाख तथा ₹ 2,01.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
36.	19 तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए राँची, चाईबासा, जमशेदपुर, गुमला एवं दुमका में उत्तर रक्षा गृह/ नारी निकेतन, शोर्ट स्टेहोम-सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,30.00}	62.86	62.86	...
	पुनर्वि० -67.14}			
₹ 67.14 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की माँग नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
37.	33 नोराड (स्वावलम्बन) (योजना)			
	मूल 35.00}	4.96	4.96	...
	पुनर्वि० -30.04}			
38.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यक्रम के लिए स्थापना (योजना)			
	मूल 7,24.00}	7,18.20	6,26.65	-91.55
	पुनर्वि० -5.80}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 30.04 लाख एवं ₹ 5.80 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। क्रम संख्या 38 के अन्तर्गत ₹ 91.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
39.	2236 पोषण 02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101 विशेष पोषण कार्यक्रम 04 किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (योजना)	4,00.00	3,41.48	-58.52	
40.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 परिवार एवं बाल कल्याण के लिए पोषक भोजन वितरण की विशेष योजना (योजना)	45,00.00	35,78.90	-9,21.10	
	मूल	4,00.00 }	4,00.00	3,41.48	-58.52
	मूल	45,00.00 }	45,00.00	35,78.90	-9,21.10

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 58.52 लाख तथा ₹ 9,21.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 15 छात्राओं का पोशाक (गैर-योजना)	1,33.73	...	-1,33.73	
	मूल	1,33.73 }	1,33.73	...	-1,33.73

₹ 1,33.73 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि -40.00}			
केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	67 शिक्षा-विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			
कोषागार से निधि की निकासी नहीं किये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
4.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 14 छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियाँ (गैर-योजना)			
	मूल 2,68.06}	2,68.06	...	-2,68.06
₹ 2,68.06 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 02 व्यावसायिक प्रशिक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}
	पुनर्वि० -40.00}			
भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	26 26 झारखण्ड जनजाति शोध संस्थान, राँची (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप राज्यांश का आवंटन नहीं किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
7.	28 28 लाह विकास योजना (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
पूर्व में स्वीकृत आवंटित निधि का व्यय नहीं होने के कारण ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
8.	60 60 खेल छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन (योजना)			
	मूल 35.00}
	पुनर्वि० -35.00}			
₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 65.00}
	पुनर्वि० -65.00}			
10.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 65.00}
	पुनर्वि० -65.00}
केन्द्र से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
केन्द्र से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हो पाया।				
12.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 35.00}
	पुनर्वि० -35.00}			
13.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 35.00}
	पुनर्वि० -35.00}			

केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	02	समाज कल्याण		
	102	बाल विकास		
	48	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (क०प्रा०यो०)		
	मूल	3,22.93}
	पुनर्वि०	-3,22.93}		

निविदा का निर्णय नहीं होने के कारण ₹ 3,22.93 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हो पाया।

15.	103	महिला कल्याण			
	20	तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उत्तर रक्षा गृह/ नारी निकेतन/शोर्ट स्टेहोम-सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन- सहायक अनुदान (योजना)			
		मूल	25.00}
		पुनर्वि०	-25.00}		

उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन के भवनों का रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

16.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	40	नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता (योजना)			
		मूल	35.00}
		पुनर्वि०	-35.00}		

योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	44	तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन शोर्ट स्टेहोम-सह-प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन-सहायक अनुदान (योजना)		
		मूल 35.00}
		पुनर्वि० -35.00}

उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन के भवनों का रखरखाव नहीं किये जाने के कारण ₹ 35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

18.	52	आफ्टर केयर होम का संचालन (योजना)		
		मूल 50.00}
		पुनर्वि० -50.00}

आफ्टर केयर होम के भवनों का रखरखाव नहीं किये जाने के कारण ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी :

(v) ₹ 1,09,51.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 46,75.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 95,06.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,09,51.95 लाख) से ₹ 14,45.24 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
1.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00}	5.00	5.00	...
	पुनर्वि० -3,95.00}			

₹ 3,95.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

2.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,98.76	3,14.41	-84.35
	पुनर्वि० -1.24}			
3.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	283 आवास			
	06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	1,26.75	-1,73.25

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 84.35 लाख तथा ₹ 1,73.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास (योजना)			
	मूल 3,50.00}	1,00.00	99.50	-0.50
	पुनर्वि० -2,50.00}			

₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

5.	05 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय/ आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार/ निर्माण (बिरसा मुण्डा डी.ए.वी. विद्यालय) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,14.80	1,14.80	...
	पुनर्वि० -85.20}			

₹ 85.20 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि का आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।

6.	08 संविधान की धारा 275(1) (योजना)			
	मूल 74,00.00}	81,53.20	70,78.37	-10,74.83
	अनुपूरक 41,62.00}			
	पुनर्वि० -34,08.80}			

₹ 34,08.80 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार को भेजे गए पुनरीक्षित प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 10,74.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

7.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	30.35	30.35	...
	पुनर्वि० -69.65}			

₹ 69.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 1,03.00}	63.04	63.04	...
	पुनर्वि० -39.96}			
	₹ 39.96 लाख की प्रत्याशित बचत कम निधि का आवंटन किये जाने के कारण हुई थी।			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 1,02.00}	62.71	62.71	...
	पुनर्वि० -39.29}			
	₹ 39.29 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।			
10.	06 आवासीय विद्यालय का निर्माण (योजना)			
	मूल 75.00}	67.01	54.39	-12.62
	पुनर्वि० -7.99}			
	₹ 7.99 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			
11.	80 सामान्य 796 जनजातिय क्षेत्र उपयोगना 12 अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 1,12,00.00}	72,19.41	71,67.16	-52.25
	पुनर्वि० -39,80.59}			
	₹ 39,80.59 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि का ही केवल आवंटन किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 52.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			
भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	04 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास-छात्रावास का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,65.00}	15.00	...	-15.00
	पुनर्वि० -1,50.00}			
₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,00.00 लाख की बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप नई योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी। ₹ 50.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
3.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,50.00}
	पुनर्वि० -3,50.00}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.00}
	पुनर्वि० -1,50.00}			
उपर्युक्त तीनों मामलों में भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख, ₹ 3,50.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 06 आवासीय विद्यालयों का निर्माण (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00
₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
7.	80 सामान्य 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 अल्पसंख्यक जातियों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 2,70.00}
	पुनर्वि० -2,70.00}			
8.	11 अल्पसंख्यक जातियों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 1,06.22}
	पुनर्वि० -1,06.22}			

अनुदान में गलती के कारण उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,70.00 लाख एवं ₹ 1,06.22 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 52 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	29,16,35}	79,95,83	67,12,57	-12,83,26
अनुपूरक	50,79,48}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2011)				6,51,32

पूंजी :

मूल	43,15,00}	43,15,00	11,28,40	-31,86,60
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (5 अक्टूबर 2010 : 15,00,00 31 मार्च 2011 : 16,31,45)				31,31,45

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 12,83.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2011 (₹ 79.48 लाख) एवं मार्च 2011 (₹ 50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 50,79.48 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,51.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,83.26 लाख) से ₹ 6,31.94 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 05 राष्ट्रीय कैडेट कोर-शिविर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 32.11}	38.62	35.96	-2.66
	अनुपूरक 20.56}			
	पुनर्वि० -14.05}			
2.	104 खेलकूद 02 खेलकूद (गैर-योजना)			
	मूल 61.22}	53.09	46.06	-7.03
	पुनर्वि० -8.13}			
3.	25 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला/प्रखण्ड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/खेल संघों को अनुदान (योजना)			
	मूल 75.00}	20.00	20.00	...
	पुनर्वि० -55.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 16.71 लाख एवं ₹ 15.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	26 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री/अनुदान/कार्यशाला (योजना)			
	मूल 2,05.00}	2,05.00	1,64.36	-40.64
	पुनर्वि० -11.00}			
₹ 40.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 26 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री/अनुदान/कार्यशाला (योजना)			
	मूल 70.00}	59.00	31.42	-27.58
	पुनर्वि० -11.00}			
₹ 38.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 पाइका(पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (योजना)			
	मूल 90.00}	7.50	7.49	-0.01
	पुनर्वि० -82.50}			
7.	11 खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)			
	मूल 75.00}	29.00	29.00	...
	पुनर्वि० -46.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 82.50 लाख एवं ₹ 46.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	17 राष्ट्रीय खेल की तैयारी एवं आयोजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	60.00	40.19	-19.81
	पुनर्वि० -40.00}			
9.	25 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला/प्रखण्ड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/खेल संघों को अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	2,28.00	1,67.39	-60.61
	पुनर्वि० -72.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 59.81 लाख एवं ₹ 1,32.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
10.	26 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/ खेल कीट/खेल सामग्री/अनुदान/कार्यशाला (योजना)			
	मूल 3,25.00}	3,25.00	2,26.47	-98.53
₹ 98.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
11.	2205 कला एवं संस्कृति 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)			
	मूल 70.00}	67.63	47.31	-20.32
	पुनर्वि० -2.37}			
₹ 22.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 104 खेल-कूद 03 खिलाड़ी/कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)			
	मूल 20.00 } पुनर्वि० -20.00 }
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01 पाइका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15.00 }	15.00	...	-15.00
3.	25 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/ खेल संघों को अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00 } पुनर्वि० -25.00 }
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 पाईका (पंचायत युवा खेल-कूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,70.00 }	2,70.00	...	-2,70.00
5.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21.00 }	21.00	...	-21.00

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (योजना)			
	मूल 15.00}
	पुनर्वि० -15.00}			
7.	13 युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 40.00}	3.16	...	-3.16
	पुनर्वि० -36.84}			
8.	24 साहसिक खेल (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
9.	800 अन्य व्यय 01 पाइका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15.00}	15.00	...	-15.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 31,31.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 31,86.60 लाख) से ₹ 55.15 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	4.85	-45.15
	03 खेल-कूद और युवा सेवाएं			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	11 राष्ट्रीय खेल, 2007 का आयोजन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	4.85	-45.15
	पुनर्वि० -71.47}			
₹ 45.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
2.	14 एस्ट्रोर्टफ हॉकी स्टेडियम (रख-रखाव) एवं विद्युत विपत्र (योजना)	28.53	28.54	+0.01
	मूल 1,00.00}	28.53	28.54	+0.01
	पुनर्वि० -71.47}			
3.	15 बिरसा मुण्डा स्टेडियम की सुरक्षा एवं रखरखाव एवं विद्युत विपत्र (योजना)	58.38	58.37	-0.01
	मूल 2,00.00}	58.38	58.37	-0.01
	पुनर्वि० -1,41.62}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 71.47 लाख एवं ₹ 1,41.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	04 कला तथा संस्कृति			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	08 राज्य संग्रहालय की सुरक्षा/ रखरखाव एवं विद्युत विपत्र (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}	40.86	30.86	-10.00
	पुनर्वि० -59.14}			

₹ 69.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 खेलकूद और युवा सेवाएं			
	102 खेलकूद स्टेडियम			
	08 खेल विद्यालय (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,30.00}
	पुनर्वि० -1,30.00}			
2.	09 खेल छात्रावास एवं खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण (योजना)			
	मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	10 खेल सामग्री निर्माण की इकाई (नई योजना) (योजना)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	12 दुमका में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
5.	13 एन.सी.सी. प्रशासनिक भवन का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
6.	04 कला तथा संस्कृति 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
7.	05 ललित कला अकादमी- रिजनल सेन्टर (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।				
8.	06 बहुदेशीय भवन का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 15,00.00}
	पुनर्वि० -15,00.00}			

₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11,00.00 लाख की बचत योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	07 हेरिटेज पार्क (नई योजना) (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			
<p>₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,00.00 लाख की बचत योजना उद्व्यय में कटौती किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 3,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।</p>				
10.	09 बहुदेशीय सांस्कृतिक केन्द्रों की सुरक्षा एवं रखरखाव (नई योजना) (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
11.	800 अन्य व्यय 01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2011)।

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या 12 पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक व्यय (+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(हजार रुपयों में)	
1 - कृषि विभाग	राजस्व दत्तमत	...	1,11,56	(+) 1,11,56
3 - भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	30,00	...	(-) 30,00
12 - वित्त विभाग	पूंजी दत्तमत	9,92,49	...	(-) 9,92,49
22 - गृह विभाग	राजस्व दत्तमत	...	20,51	(+) 20,51
23 - उद्योग विभाग	राजस्व दत्तमत	...	34,19,28	(+) 34,19,28
39 - आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	...	4,84,07,72	(+) 4,84,07,72
40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	...	12,09,08	(+) 12,09,08
42 - ग्रामीण विकास विभाग	पूंजी दत्तमत	1,00,00	...	(-) 1,00,00

परिशिष्ट - क्रमांत

अनुदान/विनयोग की संख्या और नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक व्यय (+)/कमी (-)
1	2	3	4
(हजार रुपयों में)			
44 - माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत ...	2,10,75	(+) 2,10,75
49 - जल संसाधन विभाग	पूंजी दत्तमत ...	52,89,50	(+) 52,89,50
52 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राजस्व दत्तमत ...	50,73	(+) 50,73
जोड़ :	राजस्व दत्तमत 30,00	5,34,29,63	(+) 5,33,99,63
	पूंजी दत्तमत 10,92,49	52,89,50	(+) 41,97,01
कुल जोड़ :	राजस्व 30,00 पूंजी 10,92,49	5,34,29,63 52,89,50	(+) 5,33,99,63 (+) 41,97,01

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2011